लोक-सभा

गुरुवार,
१५ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

गुरूवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चमड़े का सामान

*१७९०. **श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारतीय सशस्त्र बलों की चमड़े के सामान सम्बन्धी आवश्यकताओं की मात्रा तथा कीमत कितनी थी; और

(ख) इस का कितना भाग भारत के युद्ध सामग्री कारखानों ने पूरा किया तथा उस का कितना भाग (१) स्वदेशी तथा (२) विदेशी बाजारों से खरीदा गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५४-५५ में सशस्त्र बलों की चमड़े के सामान सम्बन्धी आवश्यकताओं की कीमत लगभग ४० लाख रुपया थी। मुख्य आवश्यकता जूतों आदि की थी जिस की कीमत लगभग ३५ लाख रुपये थी और शेष आवश्यकतायें विभिन्न प्रकार की विविध वस्तुओं के बारे में थीं।

(ख) १२·३२ लाख रुपये का चमड़े का सामान युद्ध सामग्री कारखानों से प्राप्त किया गया, २७·३४ लाख रुपये का सामान अन्य स्वदेशी बाजारों से खरीदा गया और लगभग २७,००० रुपये का सामान बाहर से आयात किया गया।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने कहा कि ४० लाख रुपये के मूल्य के सामान में से लगभग १२ लाख रुपये का चमड़े का सामान युद्ध सामग्री कारखानों में तैयार किया गया। क्या निकट भविष्य में इन युद्ध सामग्री कारखानों में चमड़े के सामान का उत्पादन बढ़ाये जाने की कोई सम्भावना है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, क्योंकि उस से निजी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो लोग निजी क्षेत्र में पहले से ही चमड़े का काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हम यह समझें कि हम जान बूझ कर चमड़े के सामान के उत्पादन को युद्ध सामग्री कारखानों में कम किये हुए हैं ?

सरदार मजीठिया : हम जान बूझ कर कम नहीं कर रहे। हम पंचवर्षीय योजना के अनुसार जिस के लिये हम सभी कार्य कर रहे हैं, हमें नियंत्रित कर रहे हैं।

श्री मुहीउद्दीन : क्या रक्षा मंत्रालय कुटीर उद्योगों से भी चमड़े का सामान

खरीदता है, और यदि हां, तो कैसे खरीदे गये माल की कुल कीमत क्या है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास पृथक् पृथक् जानकारी नहीं है किन्तु मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा ।

सशस्त्र बलों में भर्ती

*१७९१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिये नवयुवकों को आकर्षित करने के हेतु १९५० से क्या विषेश उपाय अपनाये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : इश्तहारों के ज़रिये और भर्ती सम्बन्धी लिटरेचर को बांट कर काफ़ी प्रचार किया गया है । इसके अलावा नौजवानों को सेना में लाने के लिये नीच लिखे उपाय काम में लाये गये हैं :—

(१) भर्ती करने वाले अफ़सरों के दौरे तथा स्कूल व कालजों में लेक्चर ।

(२) आम जनता की सूचना के लिये सैनिक जीवन सम्बन्धी फिल्मों का प्रदर्शन ।

(३) रेडियो द्वारा उचित ड्रामों तथा अन्य रिकार्डों का ब्राडकास्ट ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का कोई रेकार्ड रखा जाता है कि पहले जिन जातियों को नानमार्शल कहा जाता था उन से इस बीच में भर्ती में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और क्या यह बात सत्य है कि पहले जिन इलाकों से भर्ती अधिक हुआ करती थी, वहीं से अब भी भर्ती अधिक हो रही है ?

सरदार मजीठिया : भारत सरकार अब मार्शल और नानमार्शल रेसेज़ में कोई फर्क नहीं समझती । यह बात ठीक है कि जहां से पहले भर्ती होती थी वहीं अब भी होती है क्योंकि अपने आप वे नौजवान आते हैं जो कि फ़ौज को अपना कैरियर बनाना चाहत हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बात सत्य है कि कुछ दिनों पहले इस बात पर विचार किया गया था कि भर्ती के कार्य को प्रगति देने के लिये कुछ ग़ैरसरकारी व्यक्तियों का परामर्श और सहयोग लिया जाय ? मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

सरदार मजीठिया : इस के अलावा जो हमारे रिक्रूटिंग आफ़िसर्स हैं वह बराबर जाते हैं और जो जो भी नौजवान चाहते हैं कि वह फ़ौज को अपना कैरियर बनायें उन को वे पूरी तौर से देखते हैं और देखने के बाद उन को भर्ती करते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या शारीरिक मापों सम्बन्धी आवश्यकतायें अर्थात् क़द, छाती और दूसरी बातें समस्त देश में एक समान हैं अथवा क्या उन में कोई प्रादेशिक विभिन्नतायें हैं ?

सरदार मजीठिया : उस में विभिन्नतायें हैं । उदाहरण के लिये गुरखा छोटे क़द के होते हैं, और उन के लिये क़द सम्बन्धी अर्हता स्पष्ट रूप में पंजाबियों से कम रखी गई है जो कि क़द में लम्बे होते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : गुरखों के अतिरिक्त जहां तक कि देश के अन्य भागों से

सेना में भरती का सम्बन्ध है क्या कोई प्रादेशिक विभिन्नतायें हैं ?

सरदार मजीठिया : हां, श्रीमान् । विभिन्नतायें हैं और वे विभिन्न सेवाओं के अनुसार भी हैं, क्योंकि कतिपय सेवाओं में हम वही क़द नहीं चाहिये, जैसे कि उदाहरणार्थ इंजीनियरों आदि के लिये। ऐसे मामलों में विभिन्नतायें हैं।

एम० ई० एस० ठेकेदार

*१७९२. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ से १९५३-५४ तक एम० ई० एस० की ओर से ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के लिये, ठेकेदारों को कितनी अधिक रकम दी गई ;

(ख) उन से कितनी रकम वापस ले ली गई है ; और

(ग) अपराधी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४]

श्री गिडवानी : इस विवरण के अनुसार अधिक दी गई ३,८४,५४० रुपयों की रकम में से अब तक २,६०,७७७ रुपये वापस लिये गये हैं। क्या शेष रकम के वापस प्राप्त किये जाने की कोई संभावना है ?

सरदार मजीठिया : शेष रकम को वापस लेने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है और हमें निराशा नहीं है।

श्री गिडवानी : किस कमांड में रकम का अधिक भुगतान किया गया था, और क्या उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इस अधिक रकम के भुगतान के लिये उत्तरदायी हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां तक कमांडों का सम्बन्ध है, मेरे पास पृथक् पृथक् जानकारी नहीं है, किन्तु माननीय सदस्य इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे कि अधिक भुगतान कठिनाई से वास्तविक ठेके की रकम का कोई ०·१ प्रतिशत है और वह विभिन्न कारणों से ही हो गया है। उदाहरण के लिये नियमों को गलत लागू किये जाने, मापन आदि में गलती होने इत्यादि के कारण। किन्तु जैसा कि मैं ने कहा उसे वसूल किया जा रहा है और इन उपायों को कड़ा करने के लिये प्रत्येक सावधानी से काम लिया जा रहा है।

श्री गिडवानी : यह केवल ऐसी गलतियों का ही प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह है कि क्या कोई पदाधिकारी किसी कारण से ठेकेदारों को अधिक रकम का भुगतान कर देने के लिये उत्तरदायी है?

सरदार मजीठिया : सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो मैं उस पर विचार करूंगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह रकम यदि इसे वसूल न किया जा सका, तो बही खाते में डाल दी जायेगी अथवा, वह रकम उन पदाधिकारियों से वसूल की जायगी जो मापन जांच इत्यादि कामों के लिये उत्तरदायी थे ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने कहा है, हम वसूली के बारे में बहुत निराश नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति आयेगी उस समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

समुद्रपार छात्रवृत्तियां

*१७९४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां देते समय अनुसूचित जातियों के छात्रों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अनुसूचित जातियों के कितने छात्रों को विदेशी छात्र-वृत्तियां मिल रही हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) संवरण गुणों के आधार पर किया जाता है, किन्तु यदि अन्य बातें समान हों तो प्राथमिकता अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाती है ।

(ख) कोई नहीं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बहुत थोड़े से ही सदस्य विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने योग्य होते हैं, क्या यहां इस देश में उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि वे विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये जा सकें ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये समुद्रपार छात्रवृत्तियों का पृथक प्रबन्ध किया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों की संख्या ६ करोड़ तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या दो करोड़ है, क्या विदेशों को भेजे जाने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ायी जायेगी?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि कई बार तो समुद्रपार छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हता रखने वाले इन जातियों के व्यक्तियों को खोज निकालना भी कठिन होता है ।

शिक्षा पर व्यय

*१७९५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत में शिक्षा पर व्यय में अनुमानत: कितनी वृद्धि हुई ?

शिक्षा मंत्री के० सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १९५५-५६ के बजट में राज्यों सहित भारत में शिक्षा पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ३१·६२ करोड़ रुपयों की बढ़ोत्री है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें विज्ञान के सम्बन्ध में क्या अधिकता दी गई है?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास राज्य सरकारों से सम्बन्धित विज्ञान के आंकड़े नहीं हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, टेकनिकल शिक्षा के लिये इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में आयव्ययक प्राक्कलनों में १,०४,७४,००० रुपये की वृद्धि की गई है ।

श्री कामत : इस बात पर विचार करते हुए कि संविधान के अनुछेद ४५ में उपबंधित नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रबन्ध सम्बन्धी आधी अवधि तो समाप्त हो चुकी है, क्या सभासचिव यह बतायेंगे कि क्या हमने इस ध्येय को पूरा करने में आधा मार्ग तै कर लिया है?

डा० एम० एम० दास : यह कहना बहुत कठिन है कि हमने आधा मार्ग तै

कर लिया है, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमने इस दिशा में सारवान प्रगति की है ।

विनियोजन प्रत्याभूति समझौता

*१७९६. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका की सरकार से भारत में अमेरिकी विनियोजन को सुविधा देने के लिये "विनियोजन प्रत्याभूति समझौते" के बारे में कोई बातचीत चल रही है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : अभी मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार को इस रकम के बारे में कोई जानकारी है जिस के उस समझौते के अन्तर्गत विनियोजित किये जाने की संभावना है ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं श्रीमान् ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समाजवादी ढांचे को दृष्टि में रखते हुए, क्या वह भारतीय व्यापारिक संस्थायें जिन में इस समझौते के अनुसार अमेरिकन पूंजी लगाई जायेगी राष्ट्रीयकरण से मुक्त होंगे ?

श्री बी० आर० भगत : यह पूंजी गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये आयेगी; समाजवादी ढांचे में निजी क्षेत्र भी सम्मिलित है । जहां तक कि राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस समय हिन्दुस्तान में अमरीका की कितनी पूंजी लगी हुई है? उसकी तादाद क्या है?

श्री बी० आर० भगत : अगर इसके लिये प्रश्नकर्ता अलग सूचना देंगे तो जवाब दे सकता हूं ।

श्री विश्व नाथ राय : इस समझौते की मुख्य बात क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं नहीं कह सकता कि इस समझौते की मुख्य बात क्या है । जहां तक इस समझौते के सामान्य आधार का सम्बन्ध है मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस समझौते के सिद्धान्त अन्य देशों के राष्ट्रजनों पर भी लागू किये जायेंगे यदि उन देशों की सरकारें ऐसा करने को सहमत हो गईं तो ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न पर विचार करना अन्य देशों के राष्ट्रजनों तथा वहां की सरकारों का काम है । वर्तमान समझौता तो भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार के बीच हुआ है ।

स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

*१७९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वत्रंता आंदोलन के इतिहास के सम्पादक बोर्ड ने अपना काम कितना पूरा कर लिया है ; और

(ख) क्या बोर्ड को दिसम्बर १९५५ से भी आगे तक अपना काम जारी रखने की आज्ञा दी जायगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान १३ अगस्त, १९५५, को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : यदि उस बोर्ड को इतिहास लिखने की आज्ञा नहीं दी गई है तो भारत के स्वत्रंता आंदोलन के इतिहास के लिए सम्पादक बोर्ड बनाने का क्या प्रयोजन था ?

डा० एम० एम० दास : निर्देशन पदों में स्वत्रंता आंदोलन के इतिहास के संकलन करने का कार्य सम्मिलित था । बोर्ड को तीन वर्ष का समय तथा विशिष्ट रकम इस कार्य की पूर्ति के लिये दी गई थी । बोर्ड ने यह अनुभव किया है कि सामग्री उनकी आशाओं से कहीं अधिक है और बोर्ड ने यह कहा है कि इस काम के लिये उन्हें अधिक समय तथा अधिक रकम दी जाये । किन्तु सरकार इस विचार से सहमत नहीं है । सरकार का यह विचार है कि देश में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी अधिकांश एकत्रित की जा चुकी है, और यदि कुछ शेष भी है तो उसके इस वर्ष के अन्त तक एकत्रित कर लिये जाने की आशा है । ऐसे बोर्ड की आवश्यकता आरंभ में संगठन को स्थापित करने तथा आरंभिक कार्य करने के लिये थी; इसने यह सारा काम पूरा कर लिया है और अब इस काम के लिये इतने बड़े संगठन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह काम अब एक छोटे संगठन द्वारा जारी रखा जा सकता है ।

ड.० राम सुभग सिंह : सभासचिव ने अपने उत्तर के आरंभ में कहा था कि सम्पादक बोर्ड के निर्देश पदों में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का लिखा जाना भी सम्मिलित था; किन्तु अपने उत्तर के पिछले भाग में उन्होंने कहा है कि सम्पादक बोर्ड केवल सामग्री इकट्ठा करने के लिये ही था । मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस उत्तर को ठीक समझूं ।

डा० एम० एम० दास : मैं ने कहा है कि आरंभ में यह विचार किया गया था कि देश में समस्त उपलब्ध सामग्री दो वर्ष में एकत्रित कर ली जायेगी और इतिहास तीन वर्ष की अवधि में लिख कर पूरा कर लिया जायेगा जैसा कि संकल्प में दिया हुआ है और उस पर उतनी ही रकम व्यय होगी जितनी उस प्रयोजन के लिये निर्धारित या स्वीकृत की जाने को थी । किन्तु अब यह देखा गया है कि बोर्ड के विचारानुसार उसे काम पूरा करने के लिये अधिक समम तथा धन की आवश्यकता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार उस बोर्ड को १८५७ के भारतीय विद्रोह को इतिहास का संकल्प करने के काम में लगाने की प्रस्थापना करता है, क्योंकि सस प्रकार का इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है और फिर उस कारण से भी क्योंकि बोर्ड ने जो सामग्री इकट्ठी की है वह १८५७ के भारतीय विद्रोह के इतिहास की एक उपयुक्त पृष्ठ भूमि हो सकती है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि इतिहास लिखना एक व्यक्ति का कार्य नहीं है । सामग्री इकट्ठी कर ली गई है और काम हमारे एक विख्यात विद्वान डा० एस० एन० सेन को सौंप दिया गया है ।

श्री कासलीवाल : माननीय सभासचिव ने कहा है कि इस बोर्ड का उद्देश्य जानकारी एकत्रित करना तथा उसे क्रम देना मात्र था; क्या इस आन्दोलन का इतिहास लिखा जाने को है ?

डा० एम० एम० दास : यह लिखा जाने को है ।

कार्मिक संघ

*१७९८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा संस्थापनाओं में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के कितने कार्मिक संघ हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितने संघों को मान्यता प्रदान की गयी है और क्या उन में से किसी को मान्यता प्रदान करने से इनकार किया गया था;

(ग) क्या ये कार्मिक संघ कर्मचारियों द्वारा संगठित तथा संचालित किये जाते हैं अथवा किन्हीं बाहिर के व्यक्तियों द्वारा; और

(घ) उनके द्वारा १५ अगस्त, १९४६ से आज तक कितनी हड़तालें संगठित तथा संचालित की गयी हैं और उन हड़तालों के कारण रक्षा संस्थापनाओं में कितने कार्य घण्टे नष्ट हुए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १ जनवरी, १९५५ को रक्षा संस्थापनाओं में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के पंजीबद्ध कार्मिक संघों की संख्या ९६ थी।

(ख) रक्षा संस्थापनाओं में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के उन कार्मिक संघों की, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, संख्या ६४ है। किसी भी कार्मिक संघ को मान्यता प्रदान करने से इनकार नहीं किया गया है; परन्तु इन संघों के सम्बन्ध में जिनके द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं अथवा जिनके सम्बन्ध में पत्र व्यवहार हो रहा है अथवा मामला विचाराधीन है, मान्यता प्रदान करने का निर्णय आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) रक्षा संस्थापनाओं में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के कार्मिक संघ अधिकतर स्वयं कर्मचारियों द्वारा संगठित किये गये हैं। तो भी, कुछ एक कार्मिक संघों में बाहिर के व्यक्ति भी पदाधिकारियों के रूप में काम करते हैं।

(घ) रक्षा संस्थापनाओं में १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमश: १३, ३३ और २७ हड़तालें हुई थीं।

१५ अगस्त, १९४६ से लेकर ३१ मार्च, १९५२ तक हुई हड़तालों की संख्या और १५ अगस्त, १९४६ से लेकर आज तक हुई हड़तालों के परिणामस्वरूप नष्ट हुए कार्य-घंटों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या किसी अनुशासनहीनता अथवा प्राधिकार के उल्लंघन के और विशेषकर असैनिक कर्मचारियों में दिखायी देने वाली अनुशासन-हीनता के परिणामस्वरूप नियमित सेनाओं में होने वाली किसी अनुशासन-हीनता के कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : सशस्त्र बलों में किसी भी अनुशासन हीनता का मुझे ज्ञान नहीं है; वास्तव में तो उनके अनुशासन की पहले ही प्रशंसा की जा चुकी है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : प्राधिकारियों से मान्यता चाहने वाले किसी भी कार्मिक संघ को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

सरदार मजीठिया : श्रम मंत्रालय द्वारा लगाई गई सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, हमने एक शर्त यह भी लगाई है कि सेवायुक्त किये गये कर्मचारी उन संघों की कार्यपालिका में नहीं आने चाहियें ।

श्री बिट्ठल राव : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग ३१ संघों को मान्यता प्रदान करने के निर्णय अभी विलम्बित हैं, इन ३१ संघों में से कितने संघों के मामले पांच वर्ष से अधिक समय से निलम्बित पड़े हैं ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपमंत्री द्वारा अनुशासनहीनता का कोई भी मामला नहीं देखा गया है, क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली की कुछ एक कर्मशालाओं में वहां के पदाधिकारियों के दृष्टिकोण के कारण श्रमिकों और प्रबन्धकों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं ?

सरदार मजीठिया : प्रबन्धकों और कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्धों के बारे में, मेरी जानकारी में कोई भी निश्चित बात नहीं आई है । परन्तु यदि माननीय सदस्य किन्हीं घटनाओं की सूचना दे सकते हैं तो मैं उनके बारे में अवश्य जांच करूंगा ।

आसाम में पैट्रोल की खोज

*१७९९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : **क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पैट्रोल आदि की खोज करने के लिये एक नया समवाय, जिस की अंश-पूजी में सरकार का भी भाग होगा, स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इसके कब से कार्य प्रारम्भ कर देने की संभावना है; और

(घ) इसका आसाम के वर्तमान तैल समवाय से यदि कोई सम्बन्ध होगा तो क्या होगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). नये समवाय का ज्ञापन और अन्तर्नियम अभी तक बनाये नहीं गये हैं । तथापि ऐसा निर्णय किया गया है :

१. कि केवल ३१ मार्च, १९५६ स पूर्व स्थापित होने वाले नये समवाय को ही रियायतें दी जायेंगी ।

२. कि खान सम्बन्धी पट्टा केवल उपर्कथित समवाय को ही दिया जायेगा ।

३. कि समवाय के निदेशक बोर्ड में कम से कम दो भारतीय नियुक्त किये जायेंगे, जिन में से एक तो भारत सरकार का प्रतिनिधि होगा और दूसरा आसाम सरकार का प्रतिनिधि होगा ।

४. कि सरकार समवाय की अंश पूजी के ३३-१/३ प्रतिशत की सीमा तक अशंदान देगी ।

५. कि जब भी अपेक्षित अर्हता, योग्यता तथा अनुभव रखने वाले भारतीय राष्ट्र-जन उपलब्ध होंगे तो समवाय अपने संगठन में भारतीयों को अभार-

तीयों पर वरीयता देकर नियुक्त करेगा; और

(६) कि समवाय भारतीय राष्ट्रजनों की एक पर्याप्त संख्या को भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करेगा ताकि जहां तक संभव में हो सके इस संघटन में भारतीय ही सेवायुक्त हों।

(घ) वर्तमान तैल समवायों में से एक समवाय इस समवाय की जी पूंजी में अंशदान देने वाला दूसरा अंशधारी होगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह केवल एक खोज करने वाला समवाय ही है अथवा यह उत्पादन कार्य भी करेगा ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह एक खोज करने वाला समवाय होगा; जब खोज का काम पूरा हो जायगा, यह उत्पादन कार्य भी करेगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या नहरकटिया नामक क्षेत्र, जहां पहले ही तेल पर्याप्त मात्रा में पाया गया है, इस समवाय में सम्मिलित होगा अथवा यह डिगबोई तैल समवाय के पास जायेगा ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस समवाय का सम्बन्ध हिजेरैन तथा मोरन क्षेत्रों से रहेगा। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में मामले पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस समवाय विशेष में कोई प्राविधिक विशेषज्ञ हैं ? उनके पास जो प्राविधिक विशेषज्ञ समिति है उस की संरचना क्या है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे पूरा विश्वास है कि समवाय के पास प्राविधिक विशेषज्ञ होंगे। उन्हें इस प्रकार के कार्य का पर्याप्त अनुभव है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या भारत सरकार ने आज के प्रातः कालीन समाचार पत्रों म यह पढ़ा है कि पाकिस्तान में ४०,००० वर्ग मील में तेल के लिये खोज की जाने वाली है, और अन्तिम इकाई से सम्बन्ध रखने वाले करार में लाभ के बराबर विभाजन का उपबन्ध है ? क्या भारत सरकार ने अपने पूर्व साहस और उपक्रम के आधार पर इस उपबन्ध के अनुसार अर्थात लाभ के बराबर बांटा जाये रखे जाने की मांग की है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : लाभों के सम्बन्ध में सरकार विभिन्न समवायों से बात चीत करती है और वह अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करती है और सदैव राष्ट्रीय हितों को सोचती है। प्रैस में छपी इस रिपोर्ट को मैंने देखा है। इस के सम्बन्ध में मैं स्पष्टतः और कुछ नहीं कह सकता।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : इस क्षेत्र से तेल का अनुमानतः उत्पादन कितना है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : अभी खोज प्रारम्भ नहीं की गई है।

श्री मेघनाद साहा : क्या आसाम आयल कम्पनी ने बहुत सा खोज सम्बन्धी कार्य किया है ? क्या आसाम सरकार को अथवा इस समिति को उस खोज के परिणामों का ज्ञान है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : आसाम आयल कम्पनी को इस सार्थ से सम्बन्धित किया जायगा। यह उन समवायों में से एक है जिनको कि अंश दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री मेघनाद साहा : मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्हें कहना था वह उन्होंने कह दिया है ।

समुद्र पार की छात्रवृत्तियां

*१८००. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले किन्हीं विद्यार्थियों को १९५५ में विदेशों में भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें किन किन देशों को भेजा गया है;

(ग) उन्हें किन किन विषयों के लिये छात्रवृत्तियां दी गयी हैं; और

(घ) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें १९५५-५६ के लिये चुन लिया गया है अथवा जिनके चुने जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) दो ।

प्रश्न के भाग (क) को **स्पष्ट करने** के लिये मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यद्यपि इसका उत्तर है "कोई भी नहीं", तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी हैं । जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, सात व्यक्ति चुने गये हैं और दो व्यक्ति जा भी चुके हैं । परन्तु वे दोनों व्यक्ति वास्तविक अर्थों में विद्यार्थी नहीं हैं । चुनाव के समय वे सरकार के अधीन पहले ही से सेवायुक्त थे और काम कर रहे थे ।

डा० रामा राव : भाग (घ) में जिन दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उन्हें किन विषयों के लिये चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : इसके सम्बन्ध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

पुनर्वास अनुदान

*१८०१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्दमान के निवासियों की उनके द्वारा द्वितीय महायुद्ध में उठाई गई क्षतियों की पूर्ति के लिये की गई पुनर्वास अनुदानों की मांग पर विचार किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी हां । इसके सम्बन्ध में अभी अभी एक निर्णय को अन्तिम रूप दिया गया है और आशा की जाती है कि दीन व्यक्तियों के मामलों में शीघ्र ही सहायता दी जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या क्षति-ग्रस्त परिवारों के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है और कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें पुनर्वास अनुदान देने के लिये लगभग कितनी राशि की आवश्यकता है ?

श्री दातार : इस समय तो सरकार न इस कार्य के लिये पांच लाख रुपये निश्चित किये हैं। इसके सम्बन्ध में किसी भी परिवार को जो अधिकतम राशि दी जायेगी वह २००० और ३००० रुपये के बीच है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या ये पुनर्वास अनुदान, जो कि उन परिवारों को अथवा उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे जिन्होंने आधिपत्य समय क्षति उठायी है, उनके द्वारा उठाई गई क्षति के अनुसार दिये जायेंगे अथवा किसी और आधार पर ?

श्री दातार : सामान्यतः उनके द्वारा उठाई गई क्षति के आधार पर ।

श्री कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेताजी की आरजी हकूमते-आज़ाद हिन्द ने अंग्रेज़ों को निकाल दिया था और इन द्वीपों का शहीद और स्वराज के नाम से प्रशासन किया था, क्या ये क्षतियां, जिनकी ओर इस प्रश्न को निर्देश किया गया है, आज़ाद हिन्द सेना के हट जाने के उपरान्त एंग्लो अमरीकन सेनाओं द्वारा की गयी थीं, अथवा उससे पूर्व वे किसी अन्य समय के सम्बन्ध में हैं ?

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, उन द्वीपों पर जापान के अधिकार की समाप्ति और उनके भारत के अन्तर्गत आ जाने के उपरान्त ही हमें ज्ञात हुआ कि विभिन्न व्यक्तियों को सम्पत्ति-नाश के कारण तथा बागानों के नष्ट हो जाने से किस सीमा तक क्षति उठानी पड़ी थी । तदुपरान्त सारे प्रश्न पर विचार किया गया। क्षतियों का मूल्यांकन किया गया और अब उन व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये यह राशि दी जा रही है ।

श्री कामत : मेरा प्रश्न यह है कि ये हानियां किसने कीं और कब कीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। वे हानियां इन द्वीपों के भारत के पास आने से पूर्व ही हुई थीं--चाहे उनके लिये कोई भी उत्तरदायी क्यों न हो।

श्री एन० बी० चौधरी : युद्ध काल में इन द्वीपों को कुल कितनी क्षति हुई थी ?

श्री दातार : मैं कुल क्षति के बारे में बताने में असमर्थ हूं। परन्तु, जहां तक इन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उन्हें हम जापानी अधिकार के समय हुई सभी क्षतियों की पूर्ति के लिये पर्याप्त राशि दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या कोई अनुमान लगाया गया है .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।

बहुप्रयोजनीय पाठशालाओं का पाठ्यक्रम

***१८०३. श्री राम दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा बोर्ड ने बहुप्रयोजनीय माध्यमिक उच्च पाठशालाओं अथवा मिडल पाठशालाओं के लिए पाठ्यक्रम आदि से सम्बंध रखने वाली अपनी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा योजना के केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के उपरान्त किया जायेगा ।

श्री डाभी : क्या मैं ... ...

अध्यक्ष महोदय : अभिसमय यह है कि उसी व्यक्ति को जिसने प्रश्न पूछा होता है प्रथम अवसर दिया जाता है ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि मल्टी परपज़ स्कूल जो आजकल काम कर रहे हैं वे बिना करिकुलम और सिलेबस को एपरूव कराये काम कर रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : प्रश्न का सम्बन्ध पाठ्यक्रम और पाठचारिका से है । माननीय सदस्य का वास्तविक अनुपूरक प्रश्न क्या है ? मैं समझ नहीं सका ।

श्री राम दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बहुप्रयोजनीय पाठशालायें, जो इस समय चल रही हैं ऐसे पाठ्यक्रम और पाठचारिका के अनुसार कार्य कर रही हैं जिसे विभाग द्वारा मंजूर नहीं किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक नयी योजना है । केवल पिछले वर्ष ही तो योजना को पूर्ण रूप से बनाया गया था । पाठ्यक्रम और पाठचारिका को निश्चित किये बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती । मैं नहीं समझता कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा विचारित योजना के अनुसार सभी राज्यों की सभी पाठशालाओं ने इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री राम दास : इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : कई समितियां नियुक्त की गयी हैं । अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा बोर्ड ने, जिसे प्रविधिक और वाणिज्यिक विषयों के सम्बन्ध में एक पाठ्यक्रम और पाठचारिका बनाने का कार्य सौंपा गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । केन्द्रीय समन्वय समिति इस प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी और पाठ्यक्रम तथा पाठचारिकों को निश्चित करेगी ।

श्री डाभी : प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी पाठशालायें खोली गयी हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक इस योजना को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, अभी सभी राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । यह सभी कुछ तो राज्य सरकारों के संसाधनों पर निर्भर करता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार समानता के आधार पर ही अनुदान दे रही है । प्रत्येक राज्य सरकार इस योजना को कितनी पाठशालाओं में कार्यान्वित करेगी इसके सम्बन्ध में कुछ एक राज्यों के लिये तो निर्णय किया जा चुका है, परन्तु सभी के लिये नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी आवश्यकताओं के आधार पर जिन उच्च पाठशालाओं और मिडिल पाठशालाओं को इस योजना के अधीन लाया जायेगा उनकी प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई प्रयोगात्मक निर्णय किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यदि इस प्रश्न के लिये एक पृथक पूर्व-सूचना दी जाये तो मैं उसका सहर्ष उत्तर दूंगा । प्रस्तुत प्रश्न का तो पाठचारिका आदि के सम्बन्ध में है ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९५५

*१८०४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के लागू किये जाने में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) कब तक इस के लागू किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५५ को राष्ट्रपति की अनुमति १० अगस्त, १९५५ को प्राप्त हुई थी और इस समय इस अधिनियम को १ नवम्बर, १९५५ से लागू करने का विचार है। इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यावहारिक उपलक्षणाओं का अनुमान लगाने और सम्बद्ध प्राधिकारियों को प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिये इतनी अवधि की आवश्यकता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इस में किस तरह की प्रैक्टिकल डिफ़ीकल्टीज़ होंगी ?

श्री दातार : हम यह निर्णय कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो सके इस अधिनियम को १ नवम्बर को लागू कर दिया जाये। हमने उनको तीन मास का समय दिया था। हम उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ उत्तर पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

देहातों में शिक्षा

*१८०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहाती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् की संरचना और कृत्य क्या हैं ; और

(ग) यह परिषद् कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित उच्च शिक्षा विद्यालयों को कोई अनुदान देने की प्रस्थापना करती है ?

डा० एम० एम० दास : यह अनुपूरक पश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। अनुपूरक प्रश्न अनुदान के सम्बन्ध में है, परन्तु मूल प्रश्न सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार निकट भविष्य में विश्वविद्यालय आयोग की ग्राम्य विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है अथवा नहीं ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का निर्देश ग्राम्य उच्च शिक्षा समिति की सिफ़ारिशों की ओर है, तो मेरा उत्तर हां में है। सरकार ने इस समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार इस बात के कोई आंकड़े रखती है कि अपनी नीति को सूचित करने के लिये प्रति वर्ष शिक्षा मंत्रालय म सरकार द्वारा अब तक कितनी परिषदें, आयोग, विशेषज्ञ निकाय तथा उच्च अधिकार प्राप्त निकाय स्थापित किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित उच्च शिक्षा विद्यालयों की संख्या जान सकता हूं जिन पर विचार करने के लिये यह आयोग नियुक्त किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : क्या मैं इस ग्राम्य उच्च शिक्षा समिति के सम्बन्ध म स्थिति को स्पष्ट कर दूं ? इस समिति ने ग्राम्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्त प्रश्न पर विचार किया था और इस समिति की सिफारिशों पर कुछ शिक्षा संस्थाओं को, जो समस्त भारत में से चुनी गयी हैं, उच्च शिक्षा विद्यालयों के रूप में विकसित किये जाने के लिये चुना गया है । उन को ग्राम्य विश्वविद्यालय नहीं अपितु केवल ग्राम्य विद्यालय ही पुकारा जायेगा ।

छूट्टी के नियम

*१८०६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में छुट्टी के नियम के सम्बन्ध में विद्यमान असमानतओं को दूर करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में छुट्टी के नियमों सम्बन्धी विद्यमान असमानताओं के दूर करने की आवश्यकता और सीमा, जिस तक इन्हें दूर किया जाना चाहिये, पहले से विचाराधीन हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन असमानताओं की, जो सरकार के विचाराधीन हैं, मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : ये बातें इस प्रकार से हैं: अर्जित छुट्टी: सेवा के प्रथम दस वर्षों में—

श्रेणी १, २ व ३—सेवा काल का ग्यारहवां भाग तथा १२० दिनों की सीमा तक ।

श्रेणी ४—सेवा काल का बाईसवां भाग तथा ६० दिनों की सीमा तक ।

सेवा के दसरें दस वर्षों में—
श्रेणी १, २ व ३—सेवा काल का ग्यारहवां भाग तथा १२० दिनों की सीमा तक ।

श्रेणी ४—सेवा काल का सोलहवां भाग तथा ९० दिनों की सीमा तक ।

प्रथम बीस वर्षों में अर्ध-वेतन छुट्टी :

श्रेणी १, २ व ३—सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में २० दिन ।

श्रेणी ४—सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में १५ दिन ।

लोहे के मूल्य

*१८०७. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में भारतीय लोहे के उद्धरित मूल्यों के इतने तेजी से चढ़ जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन्हें और चढ़ने से रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). भारतीय लोहे के उद्धरित मूल्य जिसकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, कुछ सप्ताह पहले बम्बई और कलकत्ता के स्टाक एक्सचेंजों में बहुत से दूसरे शेयरों के मूल्य में सामान्य वृद्धि हो जाने के बाद चढ़े थे। इस वृद्धि के विभिन्न कारण बताए जाते हैं तथा इन में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बड़े पैमाने पर उद्योगों में धन विनियोग की सम्भावनाओं के फलस्वरूप सट्टे के सम्बन्ध में क्रियाशीलता का बढ़ जाना और मण्डी में उत्साहपूर्ण आशा का उत्पन्न होना है। ये मूल्य हाल में गिर गए हैं तथा इन्हें बढ़ने से रोकने का सवाल इस समय पैदा नहीं होता है। सरकार स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखेगी जैसा कि वह पहले रखती रही है।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या लोहे और इस्पात की विभिन्न किस्मों के विद्यमान मूल्यों के कारण छोटे पैमाने के इंजीनियरी उद्योगों को दिक्कत का सामना है—विशेषत: इस विचार से कि उत्पादक-विक्रेताओं, पंजी विक्रेताओं तथा दूसरे विक्रेताओं के सम्बन्ध में नियत मूल्यों की विभिन्न दरें हैं जिनमें ३० से ४५ रुपये का अन्तर है ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे सन्देह है कि यह अनुपूरक सवाल पैदा नहीं होता है। यह प्रश्न कलकत्ता और बम्बई में भारतीय लोहे के शेयरों के मूल्यों के चढ़ जाने के बारे में है। माननीय सदस्य का यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा जा सकता है।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय लोहे के उद्धरित मूल्यों की वृद्धि का इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों में हुए परिवर्तन से कोई सम्बन्ध है ?

श्री एम० सी० शाह : बात यह नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन चढ़ रहे मूल्यों का सरकार द्वारा निश्चित लोहे के प्रतिधारण मूल्यों से कोई सम्बन्ध है?

श्री एम० सी० शाह : यह तो वही प्रश्न है। बात यह नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह सट्टे की क्रियाशीलता के बढ़ जाने तथा बाज़ार में आशावाद के कारण है।

दोहरा कराधान

*१८०८. **श्री नटेशन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार से दोहरे कराधान को टालने के लिए कोई वार्ता चल रही है;

(ख) यदि ऐसा है तो करार को तय करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या करार के होने तक दोहरे कराधान के निर्धारणों को निलम्बित रखा गया है; और

(घ) यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) किसी समय सीमा का निश्चित करना सम्भव नहीं है।

(ग) भारत और श्रीलंका में उसी आय पर दोहरे कराधान सम्बन्धी निर्धारणों को निलम्बित नहीं रखा गया है बल्कि उचित समय में उन्हें पूर्ण बनाया जाता है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नटेशन : मद्रास में उन करदाताओं की संख्या क्या है जिन्हें दोहरे कराधान से छूट दी जायगी?

श्री एम० सी० शाह : जैसा मैंने कहा निर्धारण निलम्बित नहीं हैं।

श्री नटेशन : तो उन व्यक्तियों के लिए क्या आराम हुआ जो यहां तथा श्री लंका में भी कर देते हैं?

श्री एम० सी० शाह : कुछ समय के लिए श्रीलंका में अर्जित आय देय कर को निलम्बित रखा गया है तथा हम श्रीलंका सरकार से दोहरे कराधान के टालने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर रहे हैं।

श्री नटेशन : श्रीलंका सरकार द्वारा शीघ्र फैसले के किए जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री एम० सी० शाह : दोहरे कराधान को टालने के सम्बन्ध में हम करार की कुछ मदों का पहले से ही सुझाव दे चुके हैं। मामला श्रीलंका सरकार के विचाराधीन है। अब श्रीलंका सरकार ने कुछ और प्रस्ताव रखे हैं जिन पर विचार हो रहा है।

श्री नटेशन : भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के सामने क्या प्रस्ताव रखे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : दोहरे कराधान को टालने के करार की सामान्य शर्तें।

सरकारी कर्मचारियों का पाकिस्तान को प्रवजन

*१८०९. **डा० सत्यवादी**: क्या गृह-कार्य मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिया गया हो:

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारीयों की संख्या क्या है जिन्होंने १९४७ में पाकिस्तान जाना स्वेच्छा से स्वीकार किया परन्तु जिन्होंने वास्तव में प्रव्रजन नहीं किया; और

(ख) क्या इन सब कर्मचारियों को सेवाओं में ले लिया गया है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है, फिर भी ४९३६ व्यक्तियों ने, जिन्होंने अन्तिम रूप से पाकिस्तान जाना स्वीकार किया था, भारत में नौकरी में पुनः लिए जाने की प्रार्थना की थी।

(ख) उन्हें भारत में सेवाओं में लिए जाने का अधिकार तो प्राप्त नहीं था, फिर भी दया के आधार पर उनमें से कुछेक को तो लिया गया है परन्तु ठीक ठीक संख्या का इस समय पता नहीं है।

श्री कामत : इन कर्मचारियों से कितने मामलों में इस प्रकार का जवाब तलब किया गया कि उन्होंने क्यों इच्छा प्रगट की तथा फिर क्यों प्रव्रजन नहीं किया?

श्री दातार : उन्होंने पहिले इस आशा पर इच्छा प्रगट की थी कि वहां की नौकरी की शर्तें अधिक अच्छी होंगी बाद में उनकी भ्रांति दूर हो गई इसलिये अन्तिम रूप से पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रगट करने के पश्चात् भी वे यहीं रहे।

श्री कामत : क्या सरकार को बिना कोई सफाई दिये हुए ही उन्हें नौकरियों में ले लिया गया?

श्री दातार : जवाब तलब करने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं, सहानुभूति के आधार पर सरकार ने उन्हें पुनः नौकरियों में लगाने में सहायता की।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं ऐसे कुल गज़टेड पदाधिकारियों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने पाकिस्तान जाने की इक्छा व्यक्त की किन्तु पाकिस्तान नहीं गये?

श्री दातार : हमारे पास ऐसी कोई सूची नहीं है, क्योंकि उन व्यक्तियों ने पहिले पाकिस्तान जाने का विचार किया था । इनकी कुल संख्या जानने के विचार से हमने सितम्बर १९५१ में एक अधि-सूचना जारी की थी तथा उन व्यक्तियों की सूचना मांगी थी जिन्होंने अन्तिम रूप से पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रगट की थी किन्तु जो भारत में ही रह गये । जहां तक इच्छा प्रगट करने का प्रश्न है, हमारे पास केवल यही आंकड़े हैं ।

सरदार इकबाल सिंह मैंने केवल गज़टेड पदाधिकारियों के सम्बन्ध में पूछा था, साधारण व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं।

श्री दातार : मेरे पास यहां पर यह जानकारी नहीं है ।

चौधरी मुहम्मद शफी : क्या मैं उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने भारत आने की इच्छा प्रगट की किन्तु जिन्हें अभी तक उनके पूर्व-पदों पर नियुक्त नहीं किया गया?

श्री दातार : जहां तक भारत आने की इच्छा प्रगट करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनको उनके स्थान दे दिये गये हैं । वे यहां कार्य कर रहे हैं । वे भारत सरकार के कर्मचारी थे ।

तेल को छोड़ कर अन्य खनिज पदार्थ

*१८१०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री पश्चिमी बंगाल के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां कि १९४७ से १९५४ की अवधि के दौरान तेल के अलावा अन्य खनिज पदार्थों के निक्षेप खोजने का सर्वेक्षण किया गया ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : सभा-पटल पर अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५]

श्री एन० बी० चौधरी : क्या विवरण में उल्लिखित किसी खनिज पदार्थ को निकालने की योजना तैयार की गई है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत के भूतत्वीय परिमाप का प्रयोजन भारत का सर्वेक्षण करना है । आवश्यक कार्यवाही करना भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का काम है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस समय खोज रोक दी गई है अथवा जारी है ? यदि जारी है, तो किन स्थानों में खोज हो रही है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा खोज ?

श्री एन० बी० चौधरी : जी हां ।

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत के भूतत्वीय परिमाप के पास क्षेत्र सर्वेक्षण की एक योजना है, और कार्यक्रम के अनुसार सारा कार्य हो रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विशेष मद का निर्देश कर रहे हैं । यदि वह पूर्व सूचना देंगे तो मैं पूछ ताछ करूंगा ।

तस्कर-व्यापार रोकने के उपाय

*१८११. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और भारत के बीच तस्कर व्यापार रोकने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या प्रभाव हुआ है ; और

(ख) तस्कर व्यापार को रोकने में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तस्कर-व्यापार की मात्रा में परिवर्तन सामान्यतः कई कारणों से होता है, जिनमें सरकार तथा वाणिज्यिक पदों से सम्बधित अन्य व्यक्तियों द्वारा तस्कर व्यापार रोकने के उपाय सम्मिलित हैं; इसलिये यर्थातत: यह कहना संभव नहीं कि भारत-पाकिस्तान सीमा के बीच का तस्कर व्यापार, सरकार द्वारा किये गये उपायों से कहाँ तक रुका है, लेकिन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में कुछ सफलता प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) तस्कर व्यापार को रोकने के सरकारी उपाय तस्कर व्यापार की परिवर्तित टेकनीक का सामना करने की आवश्यकता अनुसार बदलते रहतें हैं । इसके अलावा, श्रीमान, लोक हित को ध्यान मे रख कर भी यह अच्छा न होगा कि तस्कर व्यापार को रोकने सम्बन्धी वर्तमान तथा विचाराधीन उपायों को प्रगट कर दिया जाय ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या पाकिस्तानी रूपये के अवमूल्यन से तस्कर-व्यापार को रोकने की दिशा में अच्छा प्रभाव पड़ा है ?

श्री ए० सी० गुह : अभी किसी प्रकार का अनुमान लगाना बहुत शीघ्रता की बात होगी किन्तु हम आशा करते हैं कि इससे तस्कर व्यापार घटेगा तथा अब तस्कर-व्यापार को कम प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच है कि सीमा पार तस्कर-व्यापारियों के व्यवसायी दल यह काम करते रहते हैं तथा सरकार ने उन्हें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया है ?

श्री ए० सी० गुह : वस्तुतः, तस्कर-व्यापार एक व्यवसाय है । इस लिये कुछ व्यवसायी दल होने चाहियें । मेरे विचार से सरकार यथासम्भव कार्यवाही कर रही है किन्तु इतने पर भी तस्कर-व्यापार चलता रहता है । माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि तस्कर-व्यापार को रोकने में पूरी सफलता प्राप्त की जानी चाहिये । मेरे विचार से कोई भी देश तस्कर-व्यापार को रोकन में पूरी सफलता का दावा नहीं कर सकता है । हमारे देश के लिये तो यह और भी कठिन है क्योंकि यहां बिना किसी प्राकृतिक सीमा के १७५० मील से अधिक स्थल-सीमा है । मैं इतना आशावादी नहीं हो सकता कि तस्कर-व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में पूरी सफलता का आश्वासन दे सकूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : दोनों देशों में वे सर्वप्रिय वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें तस्कर व्यापार चलता है ?

श्री ए० सी० गुह : यह बाज़ार की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है । जब जिस वस्तु को चोरी छिपे ले जाना लाभकर होता है तब वह वस्तु दूसरे देश

में चोरी-छिपे ले जायी जाती हैं। इस समय पूर्व की ओर आयात करने की सर्वप्रिय वस्तु सुपारी है। निर्यात की दिशा में, इस देश से चोरी-छिपे ले जाई जाने वाली वस्तुओं में वस्त्र सर्वप्रिय हैं।

बिहार में खुदाई

*१८१३. **श्री इब्राहीम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की खोज करने के लिये वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ के दौरान बिहार राज्य में कितनी बार खुदाई की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन खुदाइयों में वर्षवार कितनी धनराशि व्यय हुई ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-१९५५ के दौरान प्रति वर्ष एक खुदाई हुई।

(ख) वार्षिक क्रम से व्यय इस प्रकार हुआ है :

१९५१-५२	२,२४९ रुपये
१९५२-५३	४,२०० रुपये
१९५३-५४	८,५६३ रुपये
१९५४-५५	६,८०० रुपये

श्री इब्राहीम : बिहार में खुदाई किन किन स्थानों में हुई है ?

डा० एम० एम० दास : वर्ष १९५१-५२ में पटना के निकट बुलन्दी बाग में खुदाई हुई। १९५२-५३ में भी यह कार्य जारी रहा। वर्ष १९५३-५४ में पुरानी राजगीर घाटी में जीवकाम्रवन में खुदाई की गई। १९५४-५५ में उक्त खुदाई फरवरी १९५५ तक जारी रही।

श्री इब्राहीम : क्या किसी निजी संस्था ने भी बिहार में खुदाई का कार्य किया है ?

डा० एम० एम० दास : पटना की के० पी० जायसवाल गवेषणा संस्था ने कुमराहर (जिला पटना) तथा करिआं (जिला दरभंगा) में खुदाई की थी। उन्होंने यह खुदाई १९५१-५२ में प्रारम्भ की थी। और १९५४-५५ में उन्होंने इस कार्य को पुनः प्रारम्भ किया।

श्री इब्राहीम : कौन कौन सी वस्तुए पाई गईं ?

डा० एम० एम० दास : कई चीजें पाई गईं। कुछ पुरानी इमारतों के भग्नावशेष धर्म-विहार इत्यादि प्राप्त हुए।

श्री भागवत झा आजाद : जब कि बिहार की सरकार तथा ऐसी संस्थायें खुदाई के कार्य में लगी हुई थीं तो भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केवल २०,००० रुपये व्यय किये। क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह राशि बिहार में ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये बहुत कम है ?

डा० एम० एम० दास : पहिली बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के पास असीमित राशि नहीं है। दूसरे, बिहार ही ऐसा राज्य नहीं है जहां इस प्रकार के भग्नावशेष पाये जाते हैं और खुदाई की जा सकती है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*१८१४. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, बंगलौर में कितने रेल के डिब्बे निर्माण करने की क्षमता है; और

(ख) क्या इस क्षमता की वृद्धि करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १५ डिब्बे प्रति मास ।

(ख) जी हां ।

श्री गिडवानी : यदि कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाय तो क्या डिब्बों के उत्पादन-व्यय में कुछ कमी होगी; और यदि हां, तो क्या उत्पादन-वृद्धि की कोई योजना है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा है, यह स्वाभाविक है कि उत्पादन वृद्धि से उत्पादन व्यय घटता है और इससे स्वतः ही लागत कम होगी ।

श्री गिडवानी : क्या उत्पादन वृद्धि की कोई गुंजायश है, तथा क्या उसके लिये सभी संसाधन उपलब्ध हैं ?

सरदार मजीठिया : जी हां । उत्पादन में वृद्धि करने की गुंजायश है । केवल कच्चे माल का अभाव है ।

श्री गिडवानी : क्या रेलवे मंत्रालय ने पेरम्बूर में एक-साथ जुड़े डिब्बों का निर्माण करने का कारखाना चलाने के पूर्व यह पता लगाने के लिये कि क्या इस कारखाने में अधिक उत्पादन की गुंजायश है रक्षा मंत्रालय से परामर्श किया था ?

सरदार मजीठिया : जी हां । वस्तुतः यह एक संयुक्त दायित्व है । सरकार जो कुछ भी करती है वह पारस्परिक परामर्श के द्वारा ही करती है ।

श्री गिडवानी : मेरा प्रश्न यह था कि अब बंगलौर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में उत्पादन की गुंजायश है तो पेरम्बूर में एक नया कारखाना क्यों खोला गया ? जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है, यदि बंगलौर के कारखाने में ही उत्पादन बढ़ाया जाता तो डिब्बे सस्ते भी रहते ।

अध्यक्ष महोदय : इससे अनिवार्य रूप में यह नहीं समझा जा सकता। माननीय मंत्री पहिले ही कह चुके हैं कि सदैव पारस्परिक परामर्श से कार्य होता है ।

सरदार हुक्म सिंह : जिस कमी की शिकायत की गई है क्या शीघ्र ही उसके दूर होने की कोई आशा है, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में भी १५ डिब्बों की क्षमता का उल्लेख है ? अब भी वहीं संख्या दी जा रही है ।

सरदार मजीठिया : उत्पादन क्रमशः बढ़ गया है । यदि मुझे आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति हो तो १९४९ में कुल ४९ डिब्बे निर्मित हुए थे जबकि १९५४ में १५८ डिब्बे निर्मित हुए। इस प्रकार उत्पादन क्रमशः बढ़ा है । हम इस के लिए क्षम्य हैं और उत्पादन में इससे भी आगे बढ़ सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कारखाने की क्षमता १५ डिब्बे प्रति मास है । अब भी क्षमता उतनी ही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले वर्ष की अपक्षा उत्पादन में कोई प्रगति अथवा वृद्धि हुई है ?

सरदार मजीठिया जैसा कि मैं कह चुका हूं, कच्चे माल के अभाव म हम उसे अग्रेतर नहीं बढ़ा सक हैं ।

अभ्रक निक्षेप

*१८१५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं के निकट सोन नदी के दक्षिणी भाग में अभ्रक के निक्षेप पाये गये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४६]**

श्री रघुनाथ सिंह : उसका सर्वेक्षण आरम्भ हुआ है या नहीं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां, यह सर्वे की ही रिपोर्ट है।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्तर प्रदेश की हिमालय श्रंखला की सड़क बनाते वक्त जो बहुत सा माईका मिलता है, उसका सरकार को पता है ?

डा० क० एल० श्रीमाली : जी हां, जिस स्थान का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है, वहां पर माईका मिलता है और यह बात सरकार को मालूम है लेकिन व्यापार की दृष्टि से वह बहुत लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या सरकार के पास दक्षिणी भागलपुर में प्राप्त अभ्रक के उपयोग करने की कोई योजना है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना देंगे तो मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

अन्दमान द्वीपसमूह

*१८१६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह को भारत से सम्पर्क स्थापित करने के लिये दूसरे पोत की खरीद के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार इन द्वीपों के पत्तनों का विकास करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, यथा सम्भव शीघ्र ही एक पोत लेने का विचार है।

(ख) जी हां। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कुछ पत्तनों के विकास की योजनाओं पर विचार किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस पोत की खरीद के फलस्वरूप भारत व अन्दमान के बीच जैसी कि बहुत पहिले से मांग की गई है, कितनी बार पोत चलेगा ?

श्री दातार : सप्ताह में एक बार यात्रा हो सकेगी।

श्री भागवत झा आजाद : खरीदे जाने वाले जहाज का क्या मूल्य होगा ?

श्री दातार : एक पुराना पोत खरीदने का विचार है जिसका मूल्य ३० लाख रुपये हो सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या पिछले वर्षों में तीनों अन्दमान द्वीपों—उत्तरी अन्दमान, मध्य अन्दमान और दक्षिणी अन्दमान द्वीपों—के बीच परिवहन विकसित करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही दे चुका हूं । इस प्रश्न पर सूक्षमता से विचार किया जा रहा है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि हमारी इस सभा के माननीय सहयोगी बिशप रिचर्डसन जो कि इन द्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि परिवहन की असुविधाओं के कारण उन्हें वहीं रुकने के लिये विवश होना पड़ता है ?

श्री दातार : सरकार माननीय सदस्य की कठिनाइयों से अवगत है और वह उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रही है ।

कैन्टीन भंडार विभाग

*१८१९. **श्री राम दास** : क्या माननीय रक्षा मंत्री ५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९२४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैन्टीन भंडार विभाग के कर्मचारियों का वेतन-स्तर सरकारी कर्मचारियों के वेतन-स्तर के बराबर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब पुनरीक्षित वेतन स्तर क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). दो दिन पूर्व १३ सितम्बर, १९५५ को कैन्टीन कर्मचारी संघ तथा बोर्ड के बीच हुई एक बैठक में कुछ निश्चय किये गये ।

इससे यथा सम्भव उनकी सेवा की शर्तें रक्षा विभाग के कुछ अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान कर दी गईं, जिसके फलस्वरूप व्यय प्रति वर्ष २,४०,००० रुपये बढ़ गया ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कैन्टीन में ऐसे कितने एम्पलायीज हैं जिन्होंने अपनी तन्ख्वाह लेने से इन्कार कर दिया है, क्योंकि उन को बहुत नुकसान होता है ?

सरदार मजीठिया : केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है । वह भी दो दिन पूर्व हुई इस बैठक के पश्चात से बहुत प्रसन्न है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस कैन्टीन विभाग के द्वारा प्रति वर्ष कितना लाभ अर्जित किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो नये पे स्केल्स का निर्णय किया गया है, वह आगे से लागू होगा या जब से कि यह कैन्टीन का डिपार्टमेंट अलग किया गया है, तब से लागू किया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : नये वेतन स्तर इस वर्ष पहिली अक्टूबर से लागू हो जायेंगे ।

राष्ट्रीय नाट्यशाला

*१८२०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्यशाला का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : योजना तैयार हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय नाट्यशाला का निर्माण कार्य आरम्भ होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : योजना कौन बना रहा है और वह कितना समय लेंगे।

डा० एम० एम० दास : सरकार ने दो वास्तुशास्त्रियों को विदेशों में भेजा है। वे उन देशों में विभिन्न आधुनिक नाट्यशालाओं को देखेंगे और जब लौट कर आयेंगे तो योजना तैयार करके सरकार के पास पेश करेंगे :

श्री डी० सी० शर्मा : इस राष्ट्रीय नाट्यशाला के निर्माण में कितना धन व्यय किया जाने वाला है ?

डा० एम० एम० दास : ७५ लाख रुपये।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह राष्ट्रीय नाट्यशाला राष्ट्रीय नाट्यशाला आन्दोलन में सहायक होगी और राष्ट्र भाषा तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं को समाविष्ट कर लेगी या यह केवल दिल्ली के निवासियों के लिए होगी ?

डा० एम० एम० दास : मैं नहीं समझता कि एक नाट्यशाला का किसी भाषा से क्या संबंध है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार की योजनायें केवल नाट्यशाला के निर्माण से ही सम्बन्धित हैं या उसके अन्दर के प्रदर्शनों से यदि योजनाओं का संबंध अन्दर के प्रदर्शनों से है तो क्या उसमें भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं को स्थान मिलेगा या केवल राज्य भाषा को ?

डा० एम० एम० दास : संगीत नाटक अकादमी ने यह प्रस्ताव दिसम्बर १९५३ में रखा था; उसके बाद प्रधान मंत्री ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया और उन्हीं के आदेशानुसार यह सब काम हो रहा है। मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र के प्रश्न पर बाद में चर्चा की जायेगी और बाद में निश्चय किया जायेगा।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नाट्यशाला सभी भाषाओं और भारत की पूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेगी। यह देश का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगी।

विप्रेषण लेखे

*१८२१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च १९५५ को इंगलैंड में विप्रेषण लेखे की कुल कितनी शेष राशि समायोजन के लिए शेष रह गयी थी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : १९५४-५५ के लेखे अभी अन्तिम रूप में तैयार नहीं हुए हैं पर प्रारम्भिक आंकड़ो के अनुसार ३१ मार्च, १९५५ को शुद्ध शेष राशि लगभग २७ लाख पौण्ड थी।

श्री एन० बी० चौधरी : विप्रेषण लेखे की मुख्य मदें क्या क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : एक मद असैनिक है जो डाक और मनीआर्डर भेजने, ब्रिटिश सरकार की ओर से खरीद, भारतीय नौवहन स्वामियों के लेखाओं के शेष तथा विविध से सम्बन्धित हैं। इसका कुल योग लगभग ७००,००० पौण्ड है। दूसरी मद मुख्य उप-शीर्षक के अन्तर्गत रक्षा की है जिसमें निवृत्ति वेतन मंत्रालय से लिए जाने वाले भुगतान महावेतनाधिकारी की ओर से दिये गए निवृत्ति वेतन और युद्धकार्यालय के अन्य निवृत्ति वेतन सम्मलित हैं। इसका

पूर्ण योग २० लाख पौंड से कुछ अधिक है।

श्री एन० बी० चौधरी : यहां बताये गए निवृत्ति वेतनों की राशि क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : रक्षा मद के अन्तर्गत, महा वेतनाधिकारी की ओर से दिये गए निवृत्ति वेतनों की राशि २१८० पौण्ड, नावाधिपति-पद की ओर से दिये गए निवृत्ति वेतनों आदि की राशि २२७२ पौण्ड और युद्ध-कार्यालय की ओर से दिये गए निवृत्ति वेतनों आदि की राशि ४९,४२९ पौण्ड है।

तुर्क देश से सांस्कृतिक सम्बन्ध

*१७८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुर्क देश और भारत के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : भारतीय गणतंत्र और टर्की गणतंत्र के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों के बारे में एक करार पर जून १९५१ में हस्ताक्षर किय गए थे। करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४७]

श्री डी० सी० शर्मा : करार के अन्तर्नियम ४ में कहा गया है कि दोनों देश सांस्कृतिक संस्थाएं अर्थात् शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय, शैक्षिक प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाएं, कला की उन्नति के लिए संस्थाएं जैसे कलाप्रदर्शनगृह, कला केन्द्र और कला समितियां और फिल्म पुस्तकालय स्थापित करेंगे। इस सम्बन्ध में टर्की और भारत ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : करार हो जाने के बाद, सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद्, वैदेशिक कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने करार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा की और यह निश्चय हुआ कि फिलहाल कुछ मदों को कार्यान्वित किया जाय। मैं आपकी अनुमति से, उन मदों को माननीय सदस्य को पढ़कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह एक लम्बी सूची है ?

डा० एम० एम० दास : ८ मदें हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: करार के अन्तर्नियम १ में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों की अदला-बदली की जायेगी। क्या ऐसी कोई अदला-बदली हुई है, यदि हां, तो किस रूप में ?

डा० एम० एम० दास : पहली मद के सम्बन्ध में सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् ने टर्की सरकार से प्रार्थना की है कि वह भारत का भ्रमण करने के लिए एक प्रोफेसर का नामनिर्देशन करे। नामनिर्देशन की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक प्रोफेसर की नियुक्ति का सम्बन्ध है, अर्थात् मद संख्या २ का, परिषद् ने इसे पूरा कर दिया है और श्री मणिलाल पटेल दिसम्बर १९५४ में इस्तमबोल विश्वविद्यालय में भारत-विद्या के प्रोफेसर नियुक्त हो गए हैं। अंकारा में भारत-विद्या का एक और विभाग खोलने की बात विचाराधीन है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को पता है कि जब महात्मा गांधी की 'आत्म-कथा' टर्की के समाचार पत्रों और पुस्तक रूप में अनुवादित और प्रकाशित की गयी थी, तो उसे वहां के लोगों ने बहुत पसन्द किया था ? क्या सरकार को यह भी पता है कि टर्की में भारत की विदेशी नीति के सम्बन्ध में जो गलतफहमी है, उसे 'डिसकवरी आफ इंडिया' का टर्की भाषा में अनुवाद करके काफी हद तक हटाया जा सकता है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।

डा० रामा राव : समझौते में खेल की टीमों के आने जाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० एम० एम० दास : खेल की टीमों के आने जाने का मामला मद संख्या ४ और ५ (करार के अन्तर्नियम ६) में शामिल है । यह विचाराधीन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रादेशिक सेना

*१७८९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें एक ऐसा विधान लागू करने के लिए राज़ी हो गयी हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्यतः प्रादेशिक सेना में भर्ती किया जाय; और

(ख) कितने राज्य सरकारी कर्मचारियों को सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों और कुछ विशेष श्रेणियों की लोकोपयोगी संस्थाओं के कर्मचारियों की अनिवार्य भरती वाले केन्द्रीय विधान पर सहमत हो गयी हैं । इस सम्बन्ध में १ मई १९५४ को प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था ।

(ख) आठ राज्य सरकारों ने असैनिक संगठन स्थापित कर लिए हैं जिनमें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं मिलता ।

मनीपुर पुलिस

*१७९३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर पुलिस विभाग के असिस्टेन्ट-सब-इन्सपेक्टरों, सब-इन्सपेक्टरों और इन्सपेक्टरों की वेतन-वृद्धि तब तक रोकी रखी जाती है जब तक कि वे आसाम पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा न पास कर लें, चाहे वह मनीपुर पुलिस की विभागीय परीक्षा पास कर चुके हों; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). आसाम सरकार के एक प्रबन्ध के अनुसार मनीपुर के पुलिस पदाधिकारियों को आसाम के लोक-सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली आसाम पुलिस परीक्षा पास करनी पड़ती है । मनीपुर प्रसाशन द्वारा कोई अलग परीक्षा नहीं ली जाती ।

श्रीराम कामर्स कालेज

*१८०२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष दिल्ली के श्रीराम कामर्स (वाणिज्य) कालेज को कितनी आवर्त्तक और अनावर्तक राशि का अनुदान दिया जाने वाला है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४८]**

सैन्य सामान कारखाने

*१८१२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या सरकार ने सैन्य सामान के कारखानों की कार्यप्रणाली के पुनर्विलोकन के लिए नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सरकार ने सैन्य सामान के कारखाने के पुनर्संगठन समिति की अधिकांश मुख्य-मुख्य सिफारिशों को कुछ सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है । समिति की सिफारिशों पर एक महत्त्वपूर्ण निश्चय यह किया गया है कि रक्षा संगठन मंत्री के सभापतित्व में एक रक्षा उत्पादन बोर्ड स्थापित किया जाय । जब यह बोर्ड स्थापित हो जायेगा तो वह समिति की छोटी बड़ी सभी सिफारिशों पर विचार करेगा ।

व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना

*१८१७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५–५६ के लिए इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक संस्थाओं में शिक्षोत्तर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कितने विद्यार्थियों को कितनी वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : चालू वर्ष में स्नातकों को ६४५ वरिष्ठ छात्रवृत्तियां और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को २२७ कनिष्ठ छात्रवृत्तियां दी गयी हैं । ५०० वरिष्ठ और १८८ कनिष्ठ छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों को चुना गया है और शेष के लिए चुनाव किए जा रहे हैं ।

असिस्टेण्ट

*१८१८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के १०० लोगों को असिस्टेण्टों के रूप में भरती करने के लिए अभी हाल में एक परीक्षा ली थी ?

(ख) यदि हां, तो परीक्षा के कितने केन्द्र थे; और

(ग) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने उम्मेदवार इस परीक्षा में प्रत्येक केन्द्र में बैठे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, इस वर्ष जुलाई में संघ लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा ली थी ।

(ख) ९ ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४९]**

चोरी-छिपे माल ले जाना

९४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में वाघा सीमा पर चोरी-छिपे ले जाये जाने वाले पकड़े गये सोने का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में चोरी छिपे माल ले जाने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गयी; और

(ग) चोरी-छिपे ले जाने वाले माल का विवरण क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४-५५ में वाघा सीमा पर भारत की ओर चोरी-छिपे ले जाये जाने वाले पकड़े गये माल का कुल मूल्य लगभग १,१७,१९७ रुपये है ।

(ख) उक्त अवधि में एक भी व्यक्ति न पकड़ा गया और न एक भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दण्ड मिला ।

(ग) १९५४-५५ में सीमा पर भारत की ओर चोरी-छिपे ले जाये जाने वाले पकड़े गये माल का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परि-शिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५०]**

चोरी-छिपे माल ले जाना

९४३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में भारत में ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो चोरी-छिपे सोने का व्यापार करते थे ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : वर्ष १९५४-५५ में भारत में चोरी-छिपे सोने का व्यापार करने वाले गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या ३३ थी ।

शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो

९४४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री २७ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा दिल्ली में हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) उक्त प्रशिक्षण में किन-किन राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) इस ट्रेनिंग पर केन्द्रीय सरकार का कोई खर्च नहीं हुआ । राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के यात्रा तथा दैनिक भत्ते आदि के खर्च को सम्बन्धित राज्य सरकारों ने ही बर्दाश्त किया था ।

(ख) १. अजमेर, २. आन्ध्र, ३. आसाम, ४. बिहार, ५. बम्बई, ६. कुर्ग, ७. देहली, ८. हैदराबाद, ९. कश्मीर, १०. कच्छ, ११. मध्यभारत, १२. मध्यप्रदेश, १३. मद्रास, १४. मैसूर, १५. उड़ीसा, १६. पेप्सू, १७. पंजाब, १८. राजस्थान, १९. सौराष्ट्र, २०. त्रावनकोर-कोचीन, २१. त्रिपुरा और २२. वेस्ट बंगाल ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

९४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पुरुष छात्रसैनिकों की संख्या क्या है जिनका नाम राष्ट्रीय रक्षा

अकादमी के रजिस्टर पर पिछले तीन वर्षों से है;

(ख) इस अवधि में कितने छात्र-सैनिकों को निकाल दिया गया और उनके निकालने के क्या कारण थे; और

(ग) इन छात्रसैनिकों को कितने वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निकाला गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५१**]

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

९४६. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था के गवेषणा विभाग से उसके स्थापित होने के पश्चात् प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है;

(ख) उनमें से कितनों को नौकरी मिली है;

(ग) क्या उनके लिखे निबन्ध का ठीक प्रकार से प्रचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रचार का माध्यम क्या था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५२**]

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा संस्था के एम० एड० विद्यार्थियों द्वारा पेश किये गये अनुमोदित प्रतिवेदनों या निबन्धों की रूपरेखा को समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है ।

जाली नोट बनाना

९४७. { **चौधरी मुहम्मद शफी** :
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५, से अब तक जाली नोट छापने और उन्हें अपने अधिकार में रखने के अपराध में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये;

(ख) ऐसे प्राप्त किये गये नोटों की संख्या कितनी है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). इन अपराधों से कितने व्यक्ति सम्बन्धित थे, इस की सूचना शीघ्र प्राप्य नहीं है, और उसके लिये विशेष उपक्रम किया जायेगा ।

भारत के रिजर्व बैंक के चलमुद्रा तथा वित्त के प्रतिवेदन, १९५४-५५ के विवरण ९१ और ९१क में दी गई वर्ष प्रति वर्ष की जानकारी की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें जालसाज़ी के कारण दिये गये दण्डों तथा जाली नोटों के मूल्य का उल्लेख है ।

खोवाई का आदिम जातियों का छात्रावास

९४८. **दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोवाई का आदिम जातियों का छात्रावास बड़ी जीर्ण दशा में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). जी नहीं। खोवाई के छात्रावास में कुछ मरम्मत की जरूरत है और त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मरम्मत तलब खण्ड में जो छात्र रहते थे उन्हें पृथक् भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

मिल में बनाये गये वस्त्रों पर उपकर

९४९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) १९५४-५५ में हथकरघा तथा खादी-उद्योग-विकास के हेतु मिलों में बनाये गये वस्त्रों पर लगाये गये विशेष उपकर से कितनी रकम प्राप्त हुई; और

(ख) इस रकम में से बिहार राज्य को कितना धन दिया गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४-५५ में हथकरघा तथा खादी-उद्योग विकास के लिये मिल में बनाये गए कपड़े पर उपकर से प्राप्त की गई शुद्ध रकम की प्राप्ति इस प्रकार हुई :—

१९५४-५५

(१) सूती वस्त्र	६,१७,४०,०००	रु०
(२) नकली रेशम	४,६७,०००	रु०
(३) ऊनी वस्त्र	३,०००	रु०
(कुल आमदनी)		
योग	६,२२,१०,०००	रु०

(ख) उक्त रकम में से बिहार को दिया गया **धन इस प्रकार** है :—

(१) हथकरघे—

अनुदान	८,८५,६२७	रु०
ऋण	११,९८,०१०	रु०
योग	२०,८३,६३७	रु०

(२) खादी—

अनुदान	७,५२,६५६	रु०
ऋण	२१,००,०००	रु०
योग	२८,५२,६५६	रु०
कुल योग	४९,३६,२९३	रु०

स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता महा कालिज

९५०. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में १ मार्च, १९५५ से चल रहे स्त्रियों के चलते फिरते जनता कालिजों (महा विद्यालयों) की संख्या कितनी है;

(ख) उन के शिक्षकों की संख्या, उन की योग्यतायें, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली वयस्क स्त्रियों की संख्या कितनी है, और उन के प्रवेश के लिये न्यूनतम किन योग्यताओं की जरूरत होती है;

(ग) उन का विहित शिक्षण-क्रम या है; और

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के महाविद्यालय चलाना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५३]

जुआ खेलना

९५१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से अब तक दिल्ली राज्य में पुलिस ने जुए के अड्डों पर कितने छापे मारे; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) २८।

(ख) ३६०।

कम्पनियां (समवाय)

९५२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों;

(क) किन-किन कम्पनियों में केन्द्रीय या राज्य सरकारों या दोनों के ५१ प्रतिशत अंश (शेयर) हैं ;

(ख) इनम से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कौन-कौन से उद्योग चलाये जाते हैं ; और

(ग) इनमें से कितनी कम्पनियों में प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिंग एजेंट) हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के मन्त्रालयों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायगी ।

यात्रा भत्ते

९५३. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर इस बात का विवरण रखने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा उस के कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्तों की कितनी रकम ली गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा मुख्य कार्यालय स्थित उस के कर्मचारियों द्वारा लिये गये दैनिक तथा सड़क के यात्रा भत्ते की रकम का विवण इस प्रकार है :—

(क) आयुक्त	८,६४८ रुपये
(ख) कर्मचारी	७,९०५ रुपये
योग	१६,५५३ रुपये

इस में खण्डीय (रीजनल) सहायक आयुक्तों तथा उन के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते शामिल नहीं हैं । इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

गुरुवार,
१५ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक सभा

गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

लोक लेखा समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर —उत्तर) : मैं विनियोग लेखा (असैनिक), १९५०-५१ तथा लेखा परीक्षा (असैनिक), १९५२—भाग १ तथा २ आदि खंड १ के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (१९५४-५५) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जो० बी० पंत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि तरुण व्यक्तियों के लिये हानिकर कतिपय प्रकाशनों के प्रचार को रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तरुण व्यक्तियों के लिये हानिकर कतिपय प्रकाशनों के प्रचार को रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंडित जो० बी० पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्धी में अग्रेतर चर्चा करेगी। जो सदस्य प्रतिवेदन के संबंध में कोई स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे कृपया अपने प्रस्ताव सचिव को १५ मिनट के भीतर दे दें।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस के लिये निर्धारित दस घंटे की अवधि को बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह प्रार्थना कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों से करनी चाहिये थी—इस समय हम इस पर विचार नहीं कर सकते—मैं समझता हूं कि दस घंटे का समय पिछले सत्र में निर्धारित किया गया था।

श्री वेलायुधन '(क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक वर्ष के प्रतिवेदन के लिये निर्धारित था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं भाषण का समय १५ मिनट से दस मिनट किये देता हूं ताकि अधिक सदस्य बोल सकें ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् दस मिनट में तो कोई भी व्यक्ति इस विषय में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय कम करना नहीं चाहता हूं—यह तो समय बढ़ाने की योजना के विरुद्ध एक दूसरी योजना थी ।

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : कल मैं कह रही थी कि हरिजनों के जो एम० ए० और बी० ए० पास लड़के हैं उन को केन्द्रीय सरकार में बड़ी नौकरियों में नहीं लिया जाता है। उन में से बहुत से योग्य भी हैं लेकिन फिर भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो हरिजन नौकरियों में हैं उन को २०-२० और २५-२५ वर्ष तक एक ही स्थान पर रखा जाता है, वहीं पर वह घिसटते हैं और उन को एक भी प्रमोशन नहीं दी जाती है ।

अब आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों की बात ले लीजिये । एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज़ में जिन लोगों को लिया जाता है उन के बारे में पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किन को लेना है । यह भी ठीक बात नहीं है ।

मैं ने रिपोर्ट में यह देखने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश सरकार की नौकरियों में कितने हरिजन ऐसे हैं जोकि स्थायी हैं और कितने ऐसे हैं जोकि अस्थायी हैं लेकिन मुझे यह इनफारमेशन उस में नहीं मिली इस के साथ साथ में कहना चाहती हूं कि जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है जितनी जगह उन के लिये सुरक्षित रखी गई उन पर हरिजनों के सिवा किसी दूसरी जाति के लोगों को न लिया जाय ।

शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकार ने स्कालरशिप देने की बात कही है । मैं कहती हूं कि यह जो स्कालरशिप की रकम दी जाती है वह बहुत देर से दी जाती है जिस से कि शुरू शुरू में जो खर्च होता है वह हरिजनों के लिये खर्च करना बहुत कठिन होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वे बेचारे जो रुपया उन्हें शुरू शुरू में खर्च करना पड़ता है उस को वह अपने पास से खर्च कर नहीं पाते और उन को घर में बैठना पड़ता है । इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उन को स्कालरशिप की आधी रकम अगस्त में दे दी जाया करे जिससे कि जो शुरू का खर्च होता है वह वे लोग कर सकें और बाकी की जो आधी रकम है वह बाद में उन को दी जा सकती है ।

अब मैं मध्य प्रदेश में विधार्थियों के लिये जो होस्टल हैं उन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूं । उन में कितने ऐसे हैं जिन की ऐसी हालत है कि वहां पर विद्यार्थियों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है । महाकौशल की २०,००० की आबादी और वहां पर एक भी होस्टल नहीं है । गांव से जो हरिजन विद्यार्थी आते हैं उन को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अकेले लड़कों को कोई भी अपने घर में रहने के लिये जगह देना पसन्द नहीं करता । इस के लिये मेरा सुझाव यह है कि वहां पर होस्टल बनवाये जायें ।

जो हरिजन स्त्रियां हैं उन की शिक्षा का भी ठीक प्रबन्ध नहीं है । वह भी बहुत ही शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं । उन की पढ़ाई लिखाई का भी प्रबन्ध करना बहुत ज़रूरी है । मैं चाहती हूं कि जो हरिजन लड़कियां

हैं और जो स्कूलों में जाती हैं उन सब को पांचवीं से ले कर मैट्रिक तक स्कालरशिप दिया जाय ताकि वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ सकें । स्त्रियों को भी महिला समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत सरकार को चाहिये कि वह सहायता दे ताकि उन की उन्नति हो सके । हमारे मध्य प्रदेश में इस साल ही हरिजनों के लिये फ्री एजुकेशन हो गई है । इस पर कई लोग यह कहते सुने गये हैं कि सरकार तो हरिजनों की ससुर बन गई है कि वह उन को इस प्रकार की सुविधायें दे रही है । इसी तरह से और कई प्रकार की बातें कही जाती हैं । जबकि बम्बई में, हैदराबाद, लखनऊ इत्यादि में फ्री एजुकेशन होने के साथ साथ स्कालरशिप भी दिये जाते हैं और किताबें इत्यादि भी दी जाती हैं । कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में मुझे यह पता नहीं लगा कि मध्य प्रदेश सरकार को हरिजनों की भलाई के लिये जितना भी रुपया दिया गया है उस को किस प्रकार से खर्च किया गया है, यह आंकड़े इस रिपोर्ट में नहीं दिये गये हैं । मैं ने देखा है कि जिन प्रान्तों में हरिजन कम हैं उन को उन प्रान्तों के मुकाबले में जहां पर कि हरिजन ज्यादा हैं, ज्यादा रुपया दिया जा रहा है । अब आप देखिये कि यहां पर दिल्ली में तकरीबन दो लाख हरिजन हैं और दिल्ली सरकार को दो करोड़ रुपया दिया जा रहा है और इस के मुकाबले में मध्य प्रदेश को जहां पर कि हरिजनों की आबादी ३५ या ३६ लाख है केवल चार करोड़ रुपया ही दिया जा रहा है । इस पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार से और कई प्रकार की बेइंसाफ़ियां होती हैं । सेना में हरिजनों को उन की आबादी के लिहाज़ से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । बहुत कम संख्या में यह लोग सेना में लिये गये हैं । यही पुलिस का हाल है । पुलिस में भी हरिजनों को एक वजह से या दूसरी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है । अभी मुझे एक केस याद है । बनवारी लाल नाम का एक हरिजन लड़का था । वह पुलिस में भरती होने के लिये गया । वह हर प्रकार से फिट था और उस को केवल यह कह कर कि तुम्हारी छाती ३५ इंच नहीं है ३२ इंच है इसलिये तुम नहीं लिये जा सकते । मैं जानती हूं कि उस को जानबूझ कर नहीं लिया गया हमारे सदन के बाहर ऐसे कितने ही पुलिस मैन हैं जिन को अगर उस की तुलना में खड़ा किया जाय तो उस से कम ही दिखेंगे । उन से मैं उसे किसी से भी किसी भी सूरत में कम नहीं समझती हूं । यह बात ऐसी है जोकि जानबूझ कर की गई है । इसी प्रकार की और भी बहुत सी बातें हैं जोकि आप को बतलाई जा सकती हैं । गांवों में छुआछूत के बारे में बहुत से झगड़े होते रहते हैं जोकि प्रकाश में नहीं आते । अखबार भी इन चीज़ों को छापने से हिचकिचाते हैं । हाल में मैं एक हरिजन बस्ती में जिस का नाम कि शेरशा मैस है वहां पर एक मीटिंग के सिलसिले में गई । वहां पर मुझे बताया गया कि बुलन्दशहर में एक गांव है टियाना जहां पर कि एक हरिजन लड़के को जोकि दसवीं क्लास में पढ़ता था और जिस को स्कालरशिप मिलती थी बड़ा होनहार लड़का था उसे जान से मार दिया गया है । हम चाहते हैं कि ऐसी जितनी भी बातें होती हैं इन सब की जांच कराई जाय ताकि आगे से ऐसी बातें न होने पायें ।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहती हूं कि हरिजनों के लिये एक अलहदा मिनिस्टरी बनाई जाय जोकि इन सब बातों को देख सके और इन को दूर कर सके । पाकिस्तान से जो शरणार्थी भाई आये हैं, मैं यह जानती हूं कि वे वहां पर सब कुछ छोड़ कर और उजड़ कर आये हैं, उन के लिये, जोकि

[श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर]

तकरीबन ७५ या ८० लाख हैं, एक अलग मिनिस्टरी बना दी गई है, लेकिन इन हरिजनों के लिये जिन की तादाद ९-१० करोड़ के करीब है उन के लिये क्यों एक अलग मिनिस्टरी नहीं बनाई जा सकती ।

इन सब बातों को देखते हुए और हरिजनों की उन्नति की इस धीमी रफ्तार को देखत हुए मैं समझती हूं कि संविधान द्वारा निश्चित अवधि के जो बाकी चार वर्ष रह गये हैं, उन में हरिजनों की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकेगी । मेरा सुझाव है कि इस रफ्तार को तेज़ करने के लिये और इस बात की जांच करने के लिये कि संविधान के द्वारा जो सुविधायें हरिजनों को दी गई हैं, वे वास्तव में उन को दी जा रही हैं या नहीं, एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो प्रत्येक राज्य से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करे और देखे कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

श्री बर्मन : आज हम एक महान् राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहे हैं । हम जानते हैं कि इस प्रकार की समस्यायें हमारे सामने एक नहीं, अनेक हैं—इतनी समस्यायें हमारे सामने आ गई हैं कि हमारे मंत्री महोदय किधर देखें और किधर न देखें । जिस प्रकार हमारी अन्न की समस्या है और इंडस्ट्रीज़ की पैदावार बढ़ाने की समस्या है, उसी प्रकार यह समस्या भी हमारे सामने आई है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या का महत्व दूसरी समस्याओं से कम नहीं है, बल्कि अधिक है और यदि इस को समय पर हल न किया गया, तो हिन्दुस्तान की अच्छी तरह तरक्की नहीं हो सकती है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ की वाणी है कि जब तक पिछड़े हुए लाखों और करोड़ों भारतवासियों की तरक्की नहीं होगी, तब तक भारत की समस्या हल नहीं हो सकती है । यह बात बिल्कुल सच है । यह बहुत खुशी की बात और बहुत आनन्द की बात है कि आज पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने इस समस्या को अपने हाथ में ले लिया है । मैं जानता हूं कि यू० पी० के हमारे जो हरिजन भाई हैं, उन्हों ने हम को यह जानकारी दी है—यू० पी० में इस समस्या को हल करने के लिये पण्डित पन्त ने बहुत प्रयत्न किया है और बहुत हद तक इस को मिटाया है । यह बात ठीक है कि सारे हिन्दुस्तान में यू० पी० एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और इसलिये यू० पी० की समस्या के हल हो जाने से सारे हिन्दुस्तान की समस्या भी हल हो जायेगी । कई भाई कहते हैं कि जो यू० पी० है, दैट इज़ भारत—यू० पी० ही भारत है । पहले तो मद्रास ही भारत में एक बड़े भाई के समान था, लेकिन अब यू० पी० बन गया है और जो यू० पी० की देख-भाल करने वाला था, वह आज यहां आ गया है—उस ने सारे हिन्दुस्तान के बोझ को अपने माथे पर ले लिया है । हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात है । इस समस्या को हल करने के लिये अब वह बड़ा भाई हमारे पास आ गया है और इस से हम निश्चिन्त हो गये हैं कि अब हमारी तरक्की और भलाई होगी । जैसा वह हम को बतलायेंगे, वैसा हम लोग करते रहेंगे ।

यह कहने के बाद मैं श्रीकान्त भाई को बधाई देना चाहता हूं । इस रिपोर्ट को हम तो श्रीकान्त रिपोर्ट समझते हैं । इस को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की रिपोर्ट कोई नहीं कहता है । श्रीकान्त भाई की क्या जाति है, यह हम नहीं जानते हैं । हम तो यह जानते हैं कि वह हमारे दर्द को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि इस की क्या

दवाई है । वह हमारे लिये बहुत काम करते हैं और इसलिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । उन के दिल में इतना दर्द है, परन्तु उस की दवाई इतनी कम है कि वह सारी देह के लिये काफ़ी नहीं है । फिर भी चूंकि श्रीकान्त भाई ने कुछ उपाय बताये हैं और एक बड़ा भाई यहां आ गया है और उसने सारे बोझ को अपने माथे पर ले लिया है, इसलिये हम को शान्ति हो गई है ।

अब मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं । समय बहुत कम है, इस लिए केवल दो एक बातें संक्षेप में कहूंगा ।

पहली बात यह है कि हमारे सब दुखों और असुविधाओं को दूर करने के लिये सब से पहले शिक्षा की तरफ कदम उठाये जाने चाहियें । हम लोग समझते हैं कि अगर हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और लिख पढ़ जायेंगे, तो हमारा बहुत कुछ दर्द और तकलीफ दूर हो जायेंगे । जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंग, तब तक हमारे दुःख दूर नहीं होंगे । दुनिया की तरफ देखते हुए भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार—सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमारी मदद की, उस के लिये मैं उस को हर वर्ष बधाई देता हूं और इस वर्ष भी देता हूं । परन्तु मैं उनका ध्यान एक आवश्यक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में हम ने देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट स्कालरशिप बोर्ड के सामने यह मामला आया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री शिड्यूल्ड कास्ट के थर्ड डिवीजन वालों को स्कालरशिप नहीं देना चाहती है । और इस के लिये आर्गुमेंट यह रखा गया कि अन-एम्प्लयामेंट प्राब्लम दिन प्रति दिन बढ़ रही है और अगर हम थर्ड डिवीजन में परीक्षा पास करने वालों को भी छात्रवृत्तियां देंग तो यह प्राब्लम और भी बढ़ जायेगी । मैं तीन वर्ष तक इस बोर्ड का मेम्बर था । मैं इस प्राब्लम को कुछ समझता हूं । आप आंकड़ों की तरफ देखिये । आप को मालूम होगा कि पहले सिर्फ एक हजार से कम लड़के कालिजों में पढ़ते थे । उस के बाद हम लोगों के कहने से होम मिनिस्ट्री और फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने मदद दी । उन्हों ने कहा कि अभी हम कुछ वर्षों तक सभी एलीजीबिल कैन्डीडेट्स को स्कालरशिप देते रहेंगे । हमारे समाज पर इस बात का इतना असर हुआ कि जो भाई पहले अपने लड़कों को कालेज में नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उन के पास पढ़ाने के लिये खर्चा नहीं था, वे अब अपने लड़कों को कालिजों में भर्ती करा देते हैं । सन् १९५२-५३ में उस से डबल हो गये और १९५३-५४ और १९५४-५५ में चौगुने हो गये । यह समझिये कि यह लड़के सारे हिन्दुस्तान के हैं । इन को इस प्रकार की सहायता केवल केन्द्र की ओर से मिलती है, राज्य सरकारें इस प्रकार की सहायता नहीं देतीं । इस प्रकार से आठ दस हजार लड़के सारे हिन्दुस्तान में होंग । मैं नहीं समझता कि इन आठ दस या बीस हजार लड़कों के कारण ही अन-एम्प्लायमेंट का प्राब्लम बढ़ जायेगा ? अगर मिनिस्ट्री का ऐसा ख्याल है तो हम समझते हैं कि हमारा भविष्य अन्धकारमय है । हम उस समय तक कोई उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि केन्द्रीय सरकार हमारी शिक्षा की समस्या को हल नहीं कर सकती सारे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति करने का काम होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर के अधीन है । मेरी उन से नम्र विनती है कि सरकार जो कदम हमारी शिक्षा में उन्नति करने के लिये आगे बढ़ा चुकी है उस को पीछे न ले जाये ।

इस के बाद नौकरी का प्रश्न आता है । उस के बारे में हमारे दूसरे भाई कहेंगे । मैं इस बारे में अपने भाषण में केवल एक बात कहना चहता हूं । मुझे इस विषय में कहने को तो बहुत कुछ है पर समय बहुत कम है इसलिये मैं केवल एक ही बात कहता हूं । एक बार श्री दातार ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों का नौकरी का कोटा जो कि रिजर्व किया गया है वह किस तरह से पूरा हो उस पर

[श्री बर्मन]

सरकार विचार कर रही है। हम देखते हैं कि इतना समय हुआ कि मिनिस्टरी ने हमारा कोटा तै कर दिया है पर हम उस पर अमल होते नहीं देखते। इस पर अमल क्यों नहीं होता है, और इस पर किस तरह से अमल हो सकता है, उस पर दातार साहब ने कहा कि सरकार विचार कर रही है। हम नहीं जानते कि अभी तक इस प्रश्न पर विचार हो चुका या नहीं। तो नौकरी के विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सन् १९५४-५५ में १७१८ शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के आई० ए० एस० की परीक्षा के लिये पबलिक सर्विस कमीशन के सामने उपस्थित हुए और ८२ लड़के आई० पी० एस० परीक्षा के लिये पबलिक सरविस कमीशन के सामने उपस्थित हुए लेकिन उन में से एक भी लड़का नहीं चुना गया। हमारे लड़के जो मैडिकल कालिज में भरती होते हैं वे एम०बी० परीक्षा में पास होते हैं, जो लड़के केन्द्रीय सरकार की सहायता से इंजीनियरिंग कालिजों में भर्ती होते हैं वहां भी वे परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन जब वे पबलिक सरविस कमीशन के सामने जाते हैं तो पास नहीं होते। मैं इस कारण पबलिक सर्विस कमीशन की कोई शिकायत नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस कारण हम पबलिक सर्विस कमीशन से नाराज हैं। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जहां गलती हो उस का सुधार होना चाहिये। यह देखना चाहिये कि क्या कारण है कि वे कालिजों की परीक्षाओं में पास हो जाते हैं और पबलिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। कई लड़के जो कि लिखित टैस्ट में पास हो जाते हैं, वे वाइवा वोसी में फेल हो जाते हैं। अब आप सोचिये कि इस का क्या कारण है। आप देखिये कि वे किस वातावरण में रहते हैं, किस वातावरण में पैदा होत हैं। और किस वातावरण में शिक्षा पाते हैं। आप देखें कि वे किस प्रकार के कालिजों में शिक्षा पाते हैं। ये लोग नीची श्रेणी के छोटे छोटे कालिजों में शिक्षा पाते हैं, जहां पर न अच्छे प्रोफैसर होते हैं और न जिन कालिजों की आर्थिक अवस्था ही अच्छी होती है तो यह लोग आर्थिक दुर्व्यवस्था में छोटे छोटे कालिजों में शिक्षा पाते हैं। इस कारण जो हाई क्लास सोसाइटी के जो लड़के हैं उन का ये मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ये उन का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो मैं इस के बारे में एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिये कि सारे हिन्दुस्तान में कोई अपर कास्ट वाले न होते, बल्कि सारे के सारे ४० करोड़ लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होते, तो क्या आप इंग्लैंड से अंग्रेजों को यहां का काम चलाने के लिये बुलाते। कभी नहीं। तो फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं लेते। आप के यहां सरविसेज में जितने परमानेन्ट आदमी हैं उतने ही करीब टेम्पोरेरी हैं। इन को टैम्पोरेरी लोगों में क्यों लिया जाय। अगर ये क्लास १ और क्लास २ के योग्य न हों, तो इन को क्लास ३ में ही प्रोवाइड कीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन लड़कों के माता पिता को, जो इन को गांवों से शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजते हैं, बहुत निराश होगी। वे लोग सोचेंगे कि इतना पढ़ाने लिखाने पर भी जब लड़कों को नौकरी नहीं मिलती तो इन का भविष्य क्या है। उन को देख कर दूसरे लड़कों के मां बाप भी सोचेंगे कि भाई लड़कों को पढ़ाना बेकार है, क्योंकि न तो पढ़ने के बाद उन को नौकरी मिलती है और न वे हमारे व्यवसाय को ही चलाने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने में लोगों का उत्साह कम हो जायगा। आप चाहें हिन्दुस्तान का कितना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, चाहे आप चार की जगह चालीस स्टील प्लांट खड़े कर दें, लेकिन जब तक यहां के ८० प्रतिशत लोग गिरी हुई अवस्था में रहेंगे

यह देश उठ नहीं सकेगा। हम लोग तो आज अपने देश में भिक्षुक से बने हुए हैं। भगवान ने हम लोगों की ऐसी हालत बनाई है। फिर हम लोग सोचते हैं कि देश आजाद हो गया है, शायद हमारी स्थिति में भी परिवर्तन होगा, हम लोगों की तरफ भी हमारे बड़े भाई जरूर देखेंगे। हमें इस बात का विश्वास है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की हो, हम भी उसमें पूरा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री काजरोल्कर (बम्बई नगर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : यह जो श्रीकान्त भाई की शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सन् १९५३-५४ की रिपोर्ट पेश हुई है मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन इस के साथ साथ मुझे बड़ा अफसोस है कि इस रिपोर्ट पर, जोकि १९५३-५४ की है, दो साल बाद सन् १९५५ के आखीर में बहस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहब ने जो सिफारिशें की हैं उन पर अमल होने को है। लेकिन इस पर दो साल बीत जाने के बाद विचार हो रहा है। अब जबकि तीसरी रिपोर्ट लिखने का समय आ गया है, तो हम को श्रीकान्त भाई की सन् १९५३-५४ की रिपोर्ट पर बहस करने का मौका मिला है।

मैं बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी और संसद् कार्य मंत्री से विनती करूंगा कि जिस तरह से उन्हों ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये प्राथमिकता रखी है, उसी तरह मेहरबानी करके शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट को भी प्राथमिकता दी जाय। सन् ५४ की रिपोर्ट बहुत विस्तृत है और उस में बहुत भली प्रकार से हम लोगों के बाबत लिखा गया है और हम हरिजनों को जो जो कठिनाइयां और दिक्कतें हैं उन को बहुत स्पष्ट शब्दों में उस रिपोर्ट में हमारे श्रीकान्त भाई ने लिखा है और उस के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्हों ने स्वयं हरिजनों की दशा को विभिन्न प्रान्तों और राज्यों में जाकर देखा है और अध्ययन किया है कि कौन कौन सी और क्या क्या कठिनाइयां हरिजनों को पेश आती हैं और शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी इस रिपोर्ट में उन के निराकरण के लिये बहुत ही उपयोगी सुझाव सरकार को दिये हैं और अनेकों सिफ़ारिशें भी की हैं कि अमुक अमुक बातें उन के लिये सरकार को करनी चाहियें लेकिन अभी तक का हमारा अनुभव हमें यही बताता है कि चीज़ें तो बहुत लिखी जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है और मैं समझता हूं कि जितनी सिफ़ारिशें सरकार से उस रिपोर्ट में की गई हैं अगर उन की एक चौथाई सिफ़ारिशें भी स्वीकार कर ली जायें और अमल में लाई जायें तो हमारे बहुत से कष्ट दूर हो जायेंगे।

रिपोर्ट में हमारे श्रीकान्त भाई ने कहा है कि बहुत सी स्टेटों की जो स्कीमें होती हैं, वह बहुत देर से आती हैं और इस के लिये में अपने होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे दिल्ली में प्रान्तों के मंत्रियों और उन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलायें और उन को यह समझायें कि उन की हरिजनों के बारे में जो भी कल्याणकारी योजनायें हों वह फ़ाइनल कर के वित्तीय वर्ष में रख दी जाया करें ताकि उन स्कीमों पर अमल हो सके और उन के लिये जो सरकारी ग्रांट्स होती हैं, वे बेकार न जायें। आज दफ्तर की कार्यवाही और फ़ाइल बाज़ी की वजह से काफ़ी देर लग जाती है और अक्सर यह देखने में आया है कि किसी स्टेट को ४ लाख रुपये

[श्री राजरोल्कर]

की ग्रांट मिली है, लेकिन उस स्कीम को सैंक्शन कराने में ३, ४ महीने लग जाते हैं और इस कारण बहुत सी स्टेट्स अनुदान खर्च नहीं कर पातीं और वे लैप्स हो जाती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में कोई ऐसा रास्ता निकालें जिस से वर्ष के आरम्भ में ही उन स्टेट्स को और जो अन्य गैर-सरकारी संस्थायें हैं, उन को ग्रांट्स मिल जायें।

हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने राज्य सरकारों से बहुत से प्रश्न किये थे लेकिन उत्तर अभी तक दो, तीन या चार राज्यों से ही प्राप्त हुए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दो मर्तबा कान्फ्रेंस हुई जिन में कमिश्नर साहब, राज्यों के मंत्रिगण और जो अन्य उच्च अधिकारी आये थे उन्हों ने आपस में बैठ कर इस मसले पर विचार किया और सलाह-मंत्रणा की और उस कान्फ्रेंस से बड़ा लाभ हुआ। मेरी प्रार्थना है कि उसी तरह की एक कान्फ्रेंस शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में यहां बुलाई जाय जिस में सारे राज्यों के मंत्रिगण और वेलफ़ेयर अफ़सर भाग लें और उन के सुझावों पर विचार किया जाय।

जहां तक हरिजनों को नौकरियां देने का सवाल है उस के बारे में अभी मेरी एक बहन और श्री बर्मन ने बतलाया कि जब कभी हरिजनों को नौकरी देने का सवाल आता है तो "एफ़िशिएंसी" के नाम पर सारा मामला उखड़ जाता है। आज हज़ारों हरिजन भाई ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उन को नौकरी नहीं मिल रही है। कभी तो यह कहा जाता है कि हम को क्वालीफाइड हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलते हैं और अगर कहीं क्वालीफाइड उम्मीदवार मिल भी गया तो यह कह उस को नहीं लिया जाता है कि उस के अन्दर एफ़िशिएंसी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हरिजन मां बाप अपनी मेहनत का पैसा खर्च कर के अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, अगर उन को नौकरी न मिले तो उन्हें कितनी निराशा होगी और अगर उन को नौकरियों में विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो हरिजन अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिये कैसे तयार होंगे ? आप देखते हैं कि पुलिस और मिलेटरी में जो लोग भरती किये जाते हैं वे पहले दिन से कोई "क्विक मार्च" नहीं करने लगते, उन को 'कोच' किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, तब कहीं जा कर वे क़वायद और ड्रिल करते हैं। उसी तरह मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हरिजन लड़कों को कोच करने का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वह नौकरी पर लग सकें और मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरिजन लड़कों को अगर तीन महीने या छै महीने की कोचिंग दी गई तो वह काफ़ी एफ़िशिएंट हो जायेंगे। मैं पूछता हूं कि जब यहां से ब्रिटिश सरकार चली गई और उस के साथ में जो बड़े-बड़े अंग्रेज अफसर थे वे चले गये तो कैसे सारा काम उन के नीचे के हिन्दुस्तानी अफसरों ने सम्हाल लिया ? उस की वजह यह थी कि वे काम को कर रहे थे और उन को आवश्यक कोचिंग उपलब्ध थी। इसी तरह अगर हमारे लोगों को मौका मिले और उन को अवसर दिया जाय तो हरिजन लोग भी योग्य साबित हो सकते हैं। आज हरिजन लोग नौकरियों के लिये चिल्ला रहे हैं और उन को कोई धंधा नहीं मिल रहा है और उन के यहां बेकारी का बोलबाला है। उदाहरण के लिये मैं आप को बतलाऊं कि हरिजनों का चमड़े का धंधा सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में चला गया है। जितनी बड़ी बड़ी जूते की कम्पनियां हैं वह सवर्णों के

द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे बाटा, फ्लेक्स आदि । अब जो हमारे कारीगर लोग जूता बनाने का काम करते हैं वह दिन भर काम करने के बाद आठ आने या एक रुपया कमा पाते हैं । मैं चाहता हूं कि जिस तरह सरकार "स्मौल स्केल इंडस्ट्रीडज" को प्रोत्साहन देती है, गवर्नमेंट ने खादी बोर्ड बनाया है और सरकार "स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज" के हेतु बहुत रुपया खर्च करती है, तो सरकार को इस लेदर इंडस्ट्री को भी संरक्षण देना चाहिये और आर्थिक सहायता देनी चाहिये जो कि अभी नहीं मिलती है । हालत यह है कि सवर्णों के कारखानों में हमारे हरिजन जो जूते बनाते हैं उन को तो गवर्नमेंट पसन्द करती है और आर्डर देती है लेकिन जब वे कारीगर खुद अपना माल बना कर सीधे गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तो उन का माल पसन्द नहीं किया जाता और उन को आर्डर नहीं दिया जाता। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई ऐसा समुचित प्रबन्ध करे जिस से इस लेदर इंडस्ट्री में लगे हुए हमारे भाइयों को प्रोत्साहन मिले। अब मैं जम्मू कशमीर के प्रश्न को लेता हूं । वहां के हरिजनों की हालत बहुत खराब है । मैं इस सम्बन्ध में एक बार वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिला भी था, लेकिन वह बोले कि यहां पर तो सभी लोगों की हालत ऐसी ही है और इस एक शब्द के ऊपर सारा मामला खत्म हो गया । यह तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और शेड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर ने यहां से कुछ पैसा दे कर उन की थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन जितनी मात्रा में यह मदद मिलती है, वह बहुत कम है, हां, यह जरूर है कि कई मर्तबा हमारे होम मिनिस्टर साहब जम्मू और काश्मीर गवर्नमेंट से कह चुके कि वह अपने यहां के शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का ज्यादा ध्यान रक्खे लेकिन बिना यहां से मदद गये हुए तो वह कुछ ज्यादा कर नहीं सकेगी ।

आप को मालूम होगा कि सन् १९४१ में जो सेन्सस हुआ था, उस के अन्दर जो हरिजनों की संख्या थी उस से सन् १९५१ के सेन्सस में उन की संख्या कम हो गई और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला--मेरठ--दक्षिण) आप ने सुधार कर लिया है । इस समय यह जन संख्या नहीं है ।

श्री काजरोल्कर : यह इम्प्रूवमेंट नहीं है, इस का कारण मैं बतलाता हूं । जो सेन्सस लेने वाले लोग थे, उन्हों ने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सवर्णों में लिख दिया, इस विचार से कि अगर उन की संख्या कम हो जायेगी तो उन्हें सीटें कम देनी पड़ेंगी ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : अगर उन को सवर्ण बना देते तो रोना क्या था ?

श्री काजरोल्कर : यह सेफगार्ड हमें जो दिये गये हैं वह दस साल के लिये हैं । इस बीच में अगर हरिजनों की उन्नति हो जाये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन इस तरह से हम को जो सेफगार्डस एजुकेशन के लिये या सर्विस के लिये दिय गये हैं, वह तुरन्त ही खत्म हो जायेंगे हम हरिजनों की हालत बहुत खराब है और आप जानते हैं कि वह कितने खराब हैं, लेकिन किसी किसी सरकार ने इस के बारे में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं । मैं इस सम्बन्ध में बम्बई गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट का नाम खास तौर से लेना चाहता हूं । बिहार गवर्नमेंट ने तो हरिजनों के मकानों का प्रबन्ध करने के लिये यह किया है कि वह १०० में से ४० परसेंट तो लोन देते हैं, ४० परसेंट सब्सिडी देते हैं, और २० परसेंट की मैनुअल लेबर लेते हैं । मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह सभी राज्य सरकारों से इस का अनुकरण करने के लिये कहें ।

अब रहा हमारे हरिजन भंगियों का सवाल । आज इतने साल हो गये, आप को मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने भंगियों के बारे में कितना

[श्री काजरोल्कर]

कहा और लिखा और उन की स्थिति को सुधारने के लिये कितना प्रयत्न किया। लेकिन अब तक उन लोगों का सवाल हल नहीं हुआ। हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है कि भंगी लोग आज भी हम लोगों का मैला अपने सिर पर उठा कर ले जाते हैं और हम लोग उन को ऐसा करते देख कर खुश होते हैं। अब तो कुछ इस प्रकार की कोई योजना होनी चाहिये कि सिर पर मैला उठा कर ले जाना कानूनन बन्द कर दिया जाये। उन लोगों के लिये घरों का प्रबन्ध करना भी बहुत आवश्यक है।

अनटचैबिलिटी आफैन्सेस बिल तो पास हो गया, लेकिन उस पर जैसा अमल होना चाहिये, वह अब तक नहीं हो सका है। इस के लिये जोरों से प्रचार होना चाहिये और खास कदम उठाये जाने चाहियें।

भाई श्रीकान्त ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर कोई हरिजन किसी दूकान में चाय पीने के लिये चला जाय, तो उस को मार कर निकाल दिया जाता है और उस दूकान को दूध से धुलवाया जाता है। बेचारे गरीब हरिजनको तो पाव सेर दूध पीने के लिये भी नहीं मिलता है, और यहां दस, बीस सेर दूध दूकान धोने के लिये खर्च किया जाता है।

हमारे लिये केन्द्र में एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। यह हमारी मांग कई साल से है, लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्यों उदासीन है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ने हम को जो सुरक्षा प्रदान की है वह केवल दस साल के लिये है, जिन में से कि पांच साल बीत चुके हैं। अगले पांच सालों में हम लोगों को दूसरे सवर्ण भाइयों के बराबर आने देने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे लिये एक पृथक मंत्रालय बनाया जाय। जब तक ऐसा न हो सके तब तक के लिये एक कमेटी या बोर्ड (ऐडवाइजरी बोर्ड) ही बनाना चाहिये जो कि और उस का चैयरमैन होम मिनिस्टर हो। उस में शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर हो, और फाइनेन्स तथा पलैनिंग विभाग के अफसर भी हों। उस बोर्ड में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जो भी काम किया जाने वाला हो उस की चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से काम हैं जो बहुत अच्छी तरह से और जल्दी हो जायेंगे

श्री जयपाल सिंह : (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : हमें इस नये प्रबन्ध का स्वागत करना चाहिये क्योंकि जो लोग पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के साथ संविधान सभा में रहे हैं व जानते हैं कि उस समय उन्होंने अनुसूचित जातियों के हित के लिय कितना अंशदान किया था। इस के बाद मैं यह शिकायत करना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन वर्ष के अन्त में आना चाहिय था वह अब आ रहा है। मुझे आशा है कि यह बात दोबारा न होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर आयव्ययक सत्र में भी चर्चा की जाय ताकि आयव्ययक उपबन्धों पर उस का कोई प्रभाव पड़े।

मैं दोनों प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह पुराने प्रतिवेदन का निखरा हुआ रूप ही है। मुझे आशा है कि अब आयुक्त को अपने कार्य में अड़चन नहीं रहेगी—क्योंकि अब उनके पीछे पन्त जी जैसे महान व्यक्ति हैं—जो कि राज्यों से आयुक्त को सहयोग दिलाने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे। आयुक्त के अनुसार, उन्हें राज्य सरकारों ने विशेष सहयोग नहीं दिया है।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस बार उन्हों ने पहले से दुगनी यात्रा की

है । किन्तु मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उन्हों ने पैदल यात्रा कितनी की है । अगले प्रतिवेदन में हमें आशा है कि वह यह बतायेंगे कि उन्हों ने कितनी पैदल यात्रा की है। अगले प्रतिवेदन में समस्त ब्यौरा होना चाहिये कि रेल द्वारा कितनी यात्रा की गई है; सड़क द्वारा कितनी तथा पैदल कितनी यात्रा की गई है । इस से पता चलेगा कि वह कहां कहां गये हैं, मुझे ज्ञात है कि आयुक्त ने क्या किया है । मुझे आशा है कि भविष्य में आयुक्त अधिक उत्तरदायी रूप से काम करेंगे ।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि दोनों सदनों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की एक स्थायी समिति होनी चाहिये । इस में अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । यह प्राधिकारी उन प्रतिनिधियों से मिलें और उन के दृष्टिकोणों को जान कर उन पर विचार करें । आज कल जो सामान्य सम्मेलन दो दिनों तक के लिये होना है–उस से कोई विशेष लाभ नहीं होता है । यदि कोई वास्तविक कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जानी है और वास्तव में अनुसूचित जातियों के लोगों की भावनाओं का ज्ञान प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि एक स्थायी समिति बनाई जाये और उस की बैठकें साल में कई बार हों और उस में जो भी सदस्य हों वे केवल संसद् के ही हों ।

एक पृथक मंत्रालय के निर्माण से सम्बन्धित एक संशोधन भी है । यह तो ठीक है किन्तु मंत्री केबिनट स्तर का होना चाहिये ताकि वह ठीक ढंग से कार्यवाही कर सके ।

मैं आयुक्त के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता––अपने प्रतिवेदन की अन्तिम कंडाका में उन्होंने कहा है कि हमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आशा नहीं करनी चाहिये—किन्तु फिर आगे कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता की जाने वाली कार्यवाही से अच्छे परिणाम निकलेंगे । यह बात मेरी समझ में नहीं आई है । एक अन्य पुस्तक उन्हों ने हम को दी है उस में बताया गया है कि राज्य सरकारों ने उन की सिफारिशों पर क्या कार्यावाही की है । आप पृष्ठ ५१ को देखें जो मेरे राज्य के सम्बन्ध में है जिस में आदिवासी अधिकतम हैं । यदि आप मद ८४ को देखेंगे तो उस से पता चलेगा कि धारा पाठशाला को दसवीं श्रेणी तक का स्कूल बनाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । तो विचाराधीन होने तथा क्रियान्वित करने में दिन रात का सा अन्तर होता है । उन्हें चाहिये कि हमें यह जानकारी दें कि पिछली सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ।

इस के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री से सम्बन्धित है—अर्थात् वह बात दामोदर घाटो निगम के बारे में है । आप को मालूम ही था कि इस बांध के बनने से कितने गांव पानी में डूब जायेंगे । गत कार्य में ५०,००० लोगों ने जमतरा के दण्डाधिकारी के सामने महान प्रदर्शन किया था किन्तु आयुक्त ने उस का कोई उल्लेख ही नहीं किया है : वास्तव में सारी धांधली बिहार सरकार की ही है । मैं बिहार के राज्यपाल से मिला तो उन्हों ने कहा कि हम ने प्लाट दे दिये हैं आप दामोदर घाटी निगम के पदाधिकारियों से मिलें । इस प्रकार मैं इधर उधर फिरता रहा हूं । अब २१ तारीख को केन्द्रीय सरकार तथा तत्सम्बन्धी सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हो रहा है । इस में आयुक्त को बुलाया जाना चाहिये और प्रधान मंत्री के आश्वासनों के आधार पर इन परियोजनाओं द्वारा विस्थापित होने वाले लोगों की ओर भी ध्यान दिया जाय । क्योंकि जल का स्तर बढ़ रहा है आदिवासियों तथा हरिजनों को झौंपड़ियां बनाने के लिये ९० रुपये दिये जा रहे हैं । यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता है । क्या यह आयुक्त का

[जयपाल सिंह]

कर्तव्य नहीं था कि वह ऐसी सब बातों की ओर ध्यान देते । क्या कांग्रेस दल ने सम्बलपुर के निर्वाचनों की हार से भी अभी कुछ नहीं सीखा है ।

हमें पुनर्वास के सम्बन्ध में नयी नयी पुस्तिका भी दी जाती हैं । मैं भी उस मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य था । एक आस्ट्रियन विशेषज्ञ को एक आदर्श गांव बनाने के लिये बुलाया गया था : हुआ क्या——पहली ही वर्षा में सारे का सारा गांव गिर पड़ा । अब सन्थाल लोग ऐसा गांव नहीं चाहते हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि संथालों से बढ़ा कर निर्माण कला यहां कोई नहीं जानता है ।

इस के बाद इस प्रतिवेदन में आदिवासियों की संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है । यहां पर बहुत सी बातें होती रहती हैं । किन्तु आदिवासी लोक साहित्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि उन की संस्कृति को नष्ट न कर दिया जाय—यदि आप को समाजवाद सीखाना हो तो उन से जाकर सीखिये । बिहार सरकार ग्राम पंजचायत अधि नियम द्वारा आदिवासियों को यह सिखाना चाहती है कि पंचायतें क्या हैं । पंचायतें तो वहां शताब्दियों से चली आ रही हैं । उन की संस्कृति में हस्तक्षेप न किया जाय, आयुक्त को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

हम दस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर आयोजित किये गये लोक नृत्य कार्यक्रम की सराहना करते हैं । सरकार को चाहिये कि आदिवासी लोक नर्तकों को दूसरे राज्यों में भी भेजे ताकि वे सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सकें ।

श्री बर्मन ने दस वर्ष की अवधि के बारे में भी निर्देश किया है । सरकार को इस सम्बन्ध में एक संशोधन लाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये और यह अवधि उस समय तक के लिये बढ़ा दी जानी चाहिये जब तक कि यह समस्त निर्योग्यतायें समाप्त न हो जायें ।

मुझे आशा है कि पंडित पन्त हमें निराश नहीं करेंगे । उन्हों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक जातियों का जो पक्ष लिया था उस की हम सराहना करते हैं । मुझे आशा है कि अगले वर्ष हम इस से अच्छे परिणाम देखेंगे ।

श्री राम दास (होशियारपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सब से पहले मैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूं, जिन्हों ने कि इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टस् लिखी हैं और जिन में काफी से ज्यादा मसाला विचार करने के लिये दिया गया है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर होम मिनिस्ट्री तीन महीने और इन्तजार कर लेती और उस के बाद इन तीनों रिपोर्टों को एक साथ ही विचाराधीन लाते, तो उस में क्या नुकसान था ?

एक माननीय सदस्य: उस में टाइम बच जाता ।

श्री राम दास : जी हां, उस में फायदा ही फायदा था । कम से कम जब होम मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिये खड़े हों, तो वह इस बात पर जरूर रोशनी डालें कि अगर तीन महीने के बाद तीनों रिपोर्टों को इकट्ठे ही विचाराधीन कर लिया जाता, तो क्या नुकसान हो जाता, । इस से मालूम होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की कितनी मेहनत है, वह फल नहीं ला रही है इस वजह से कि होम मिनिस्ट्री उस को वह वक्त और वह सीरियसनेस नहीं देती, जो कि उस को मिलनी चाहिये । मैं ने उन की हर एक रिपोर्ट में इस बात को देखा है कि उन्होंने शिकायत की है कि स्टेट गवर्नमेंट्स मेरे साथ को-अपरेट नहीं करती । मैं जानता हुंकि उनके पास कोई एक्सेक्यूटिव पावर्स

नहीं हैं, जिन के जरिये वह स्टेट गवर्नमेंट्स से अपनी मन्शा के मुताबिक कोई काम करा सकें, लेकिन अफसोस है कि होम मिनिस्ट्री ने भी अभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। कम से कम रिपोर्ट में तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने इस शिकायत को सुनने पर स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई हिदायत दी कि तुम इतनी बातों का जवाब दिया करो। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही असहयोग नहीं कर रही हैं, मालूम होता है कि होम मिनिस्ट्री भी उन को सहयोग नहीं दे रही है। इसलिये कम से कम आगे के लिये यह जरूर प्रबन्ध कर दिया जाये, बन्दोबस्त कर दिया जाये कि जो रिपोर्ट पेश हो, जैसा कि एक आनरेबल मैम्बर ने कहा है, वह बजट सेशन में विचाराधीन आ जानी चाहिये, ताकि जो विचार उस पर इस सदन में प्रकट किये जायें, उन का कोई न कोई असर बजट के ऊपर हो। अगर बजट के ऊपर उस का कोई असर नहीं होगा, तो फिर इस प्रकार की रिपोर्ट लिखने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री कम से कम यह शिकायत करने का मौका हम को फिर नहीं देगी। इस सारी रिपोर्ट लिखने का और डिपार्टमेंट बनाने का और विधान में इस किस्म का प्रावीजन करने का मतलब यह है कि जो हरिजन भाई हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं उन का उद्धार किया जाय और उन को ऊंचा उठा कर सोशली और इकानामिकली ऐसे स्तर पर लाया जाये जहां कि वे दूसरों के बराबर हो सकें। लेकिन इस के लिये जो मीन्स अख्तियार करने चाहियें वे नहीं अख्तियार किये जा रहे हैं।

सब से पहली बात जो कि हरिजनों के उद्धार के लिये मैं निहायत जरूरी समझता हूं वह उन की तालीम का बन्दोबस्त है। बगैर तालीम के वे लोग कभी नहीं उठ सकेंगे। कभी भी दूसरों के बराबर हमपल्ला नहीं हो सकेंगे। उन की तालीम के लिये एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जो रूल्स बनाये हैं वे मेरे पास हैं। उन के पढ़ने से मालूम होता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट को यह यकीन हो गया है कि इन के अन्दर तालीम बहुत ज्यादा हो गई है, कोई बन्दोबस्त जल्दी से जल्दी किया जाये कि यह बला आगे न बढ़ सके।

डा० सत्यवादी (करनाल,—रक्षित,—अनुसूचित जातियां) : होममिनिस्ट्री की दिलचस्पी बढ़ गई है क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गये हैं।

श्री राम दास : उन्हों ने कुछ तनख्वाह पर भी बन्दिश लगा दी है और कुछ लड़कों की तादाद पर भी बन्दिश लगा दी है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मेरे माननीय मित्र डा० एम० एम० दास यहीं थे।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : अपने स्थान पर किसी को छोड़ जाने का क्या लाभ है। हमें इस प्रतिवेदन पर ३ वर्ष में एक बार चर्चा करने का अवसर मिला है, और उस में भी मंत्री महोदय चले जाते हैं।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : माननीय सदस्यों को यह तो देखना चाहिये कि कभी किसी को बाहर भी जाना पड़ता है।

श्री राम दास : एक बात और है जिस से हरिजनों को बहुत तकलीफ होती है। हरिजनों को सर्टीफिकेट लेने के लिये डिप्टी कमिश्नर के पास जाना होता है। अगर कोई शखस यहां दिल्ली में है या किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में है तब तो उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उस हरिजन की मुसीबत का ख्याल कीजिये जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से २५, ३०, या ४० मील की दूरी पर रहता है। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास सर्टीफिकेट लेने आता है और कहता है कि मुझे सर्टीफिकेट मिलना

[श्री राम दास]

चाहिये, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है कि मैं तुम को नहीं जानता, तुम अपनी शहादत लाओ । वह कहता है कि अपने गांव के नम्बरदार को लाओ । अब गांव के नम्बरदार को लाना कोई आसान चीज नहीं है । जिन को उन्हें लाना पड़ता है वही जानते हैं कि यह काम कितना मुश्किल है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसे दूसरे सर्टीफिकेट्स के लिये आपने कायदा रखा है कि एम० पी० सर्टीफिकेट दे सकता है या एम० एल० ए० दे सकता या कोई गजेटेड आफिसर दे सकता है, या दूसरे लोग दे सकते हैं, या पंचायत के अफसर दे सकते हैं, वही कायदा आप इस सर्टीफिकेट के लिये भी रखिये । अगर ऐसा किया जाये तो इस से हरिजनों को बहुत सहूलियत होगी । इस सहूलियत के न होने से होता यह है कि वह आदमी डिस्ट्रिकिट हैडक्वार्टर पर आता है तो उसे मालूम होता है कि तहसीलदार साहब दौरे पर गये हैं, तो वह उन के पीछे पीछे मारा मारा फिरता है । इस तरह से सर्टीफिकेट लेने में उस को बहुत दिक्कत होती है, बहुत वक्त खर्च करना पड़ता है और काफी रुपया खर्च करना पड़ता है ।

इस के साथ ही आप ने स्कालरशिप लेने वाले हरिजन पर एक कैद यह लगा दी है कि यह उस की जिम्मेवारी होगी कि उस रुपये की वसूली की रसीद यहां बोर्ड के दफ्तर में पहुंच जाये । अब उस को प्रिंसिपिल या हैड आफ इंस्टीट्यूट वजीफा देते हैं । वह रसीद लिख कर उन के हवाले कर देता है । अब यह उन का फर्ज होना चाहिये कि वे उस रसीद को अपने दफ्तर में पहुंचायें न कि उस हरिजन लड़के का कि वह पहुंचाये । इस में लिखा है :

"इसे ठीक समय में बोर्ड में भिजवाना उम्मीदवार का उत्तरदायित्व है ।"

दूसरी बात इस सिलसिले में जो मैं अर्ज करूंगा वह यह है कि आप यह वजीफा दो इंस्टालमेंट्स में अदा करते हैं । मैं चाहता हूं कि आप इसे माहवार कर दें । हरिजन इतने अमीर नहीं हैं कि वे ६ महीने तक अपने पास से खा सकें ।

फिर आप ने एक और शर्त लगा दी है कि अगर लड़का फेल हो जाये तो उसका वजीफा बन्द हो जायेगा बशर्तेकि वह किसी बीमारी की वजह से इम्तिहान में दाखिल न हो सका हो । अगर ऐसा हो तो वह रिन्यूअल के लिये एपलाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि :

"परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यह सूचना बोर्ड के पास पहुंचनी चाहिये ।"

इम्तिहान खत्म होने से पहले वह लड़का प्रिंसिपल की मार्फत यहां दिल्ली के दफ्तर में इत्तला भेज दे कि वह बीमारी के कारण इम्तिहान में नहीं बैठ सका । अब इम्तिहानों की मुद्दत एक ही नहीं होती । कोई इम्तिहान चार दिन में पूरा होता है, कोई ६ दिन में, कोई दस दिन में । वह लड़का बीमार पड़ा हुआ है । तो इसी बीमारी के दौरान में उस को यहां दिल्ली रिपोर्ट भेजनी चाहिये । इसलिये अगर आप इस शर्त को उड़ा दें और ऐसा कायदा कर दें कि प्रिंसिपिल या हैड आफ इंस्टीट्यूटशन यह रिपोर्ट कर दे कि यह लड़का बीमार होने की वजह से इम्तिहान में नहीं बैठ सका, लेकिन अगर बैठता तो उस के पास हो जाने की उम्मीद थी, तो इस से उस को बहुत सहूलियत हो सकती है । मैं चाहता हूं कि आप ऐसा जरूर कर दें ।

फिर यह भी कहा गया है कि जो लड़के थर्ड क्लास में पास हों उन को वजीफा न दिया जाय । अगर ऐसी कोई तजवीज है तो वह हरिजनों के लिये निहायत ही नुकसानदेह होगी । आप देखें कि और लोगों के भी लड़के थर्ड डिवीजन में पास होते हैं । यह तो

क्या जनलर रन आफ दी कैंडीडेट्स है कि वे थर्ड क्लास में पास होते हैं। और हरिजनों से तो आम तौर पर थर्ड क्लास ही एक्सपैक्ट करना चाहिये। वह ऐसे माहौल से आते ह, वे ऐसे हालात से आते हैं कि मैं समझता हूं कि उन का फर्स्ट या सैकिंड क्लास में पास होना वंडर ही होगा। हरिजनों के लड़कों में से तो बहुत ही थोड़े फर्स्ट या सैकिंड क्लास में पास हो सकते हैं। इसलिये अगर कोई ऐसी तजवीज है कि थर्ड क्लास वालों को वजीफा न दिया जाये, तो मेहरबानी करके उस को पास न करें। अगर ऐसा किया गया तो ९५ परसेंट हरिजनों के वजीफे बन्द हो जायेंगे और वे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकेंगे।

दूसरे एजूकेशन के जरिये के इलावा उनके स्टेटस को बेहतर बनाने के लिये यह जरूरी है कि उन को सरकार के दरबार में नौकरी दी जाये। गोकि नौकरी एक बहुत निषिद्ध काम है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में इसका लोगों पर बहुत प्रभाव है। अभी तक हमारे मुल्क में सरकारी नौकरी करने वालों का मान है और सत्कार है। इस आदर और सत्कार के साथ दो नौकरियों को खास तौर से सम्बन्ध है। अगर कोई यहां सेक्रेटेरियट में सुपरिन्टेन्डेंट बन जाये, या डिप्टी सेक्रेटरी बन जाये, या उस से भी बड़ा अफसर बन जाये, तो उस का गांवों के अन्दर असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी को दफ्तर में बड़ी पोजीशन हो जाये तो उस को कोई नहीं जानता। लेकिन जो आदमी फौज में या पुलिस में नौकर होता है उस का प्रभाव पड़ता है। शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने जो अपनी रिपोर्ट में हरिजनों के फौज की नौकरी के बारे में आदाद दिये हैं उन से मालूम होता है कि फौज में हरिजनों की तादाद बहुत ही कम है। आप उन को उंगलियों पर ही गिन सकते हैं और आप को दूसरे हाथ की उंगलियों पर गिनने की भी जरूरत नहीं होगी। कुछ ऐसी ही हालत पुलिस के अन्दर है। पुलिस के लिये तो मैं बहुत ज्यादा जोरदार अल्फाज में कहूंगा कि इस में तो हरिजनों की बहुत ज्यादा भरती होनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि :

"पुलिस जमींदारों और अन्य ऐसे लोगों की ही सहायता करती है।"

आज हरिजन अपनी शिकायत ले कर थाने में नहीं जा सकते क्योंकि जिस की वे शिकायत ले कर जाते हैं उसी का भाई, भतीजा, दामाद, जाति वाला या उसी के इलाके का आदमी थानेदार बना बैठा होता है। वह उन की रिपोर्ट नहीं लिखता। ऐसे बीसों वाकें हुए हैं जिन में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। रिपोर्ट जो ले कर जाता है उस को दिन दिन भर बिठलाये रखते हैं। जब तक दूसरा फरीक नहीं आ जाता और उस की रिपोर्ट नहीं लिख ली जाती उस हरिजन की रिपोर्ट नहीं लिखते। यहां तक होता है कि दूसरे फरीक को बुला कर लाते हैं और उस की रिपोर्ट लिखते हैं, बाद को हरिजन की रिपोर्ट लिखते हैं। और उल्टा उसी को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हरिजनों को बड़ी तादाद में पुलिस में भरती करें। अगर आप उन को सुपरिन्टेंडेंट पुलिस या डी० आई० जी० न बनावें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप उन को थानेदार तो बनाइये, हवलदार बनाइये और एक कसीर तादाद में कांस्टेबिल बनाइये ताकि हरिजनों का हौसला बढ़े और उन को रिपोर्ट ले कर थाने में जाने में भय न रहे।

गांवों में हमारे भाइयों की हालत बड़ी ही दर्दनाक है और मालिकों द्वारा उन पर आये दिन जोरजुल्म और अत्याचार होते रहते हैं और वे बेचारे उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकते। उन को डराया और धमकाया जाता है कि बस चुप बैठो अगर तुम्हें इस गांव में बसना है। अब वह बेचारे हरिजन क्या कहें और क्या करें क्योंकि आखिर गांव में तो उन्हें रहना ही है। गांवों के अन्दर इस

[श्री राम दास]

सरकार की हुकूमत नहीं है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें, गांव के अन्दर हुकूमत आप की नहीं है, गांव के अन्दर हुकूम त लैंडलार्डस् की है और पुलिस की तो है ही क्योंकि उस के पास डंडा होता है। अगर मालिक चाहे तो एक हरिजन को हफ्तों तक अन्दर बन्द रख सकता है। पंजाब में मर्दमशुमारी के समय मालिकों ने उन को अपने घर के अन्दर बंद रक्खा और उन को हाजत रफा करने के लिये भी बाहर जाने की इजात नहीं थी और वह अपने जानवरों के लिये घास और चारा भी बाहर से नहों ला सकते थे, अपने लिये सप्लाई के डिपोज से अनाज भो नहीं ला सकते थे और यह देखने में आया कि हफ्तों लोगों ने बाहर न निकल सकने के कारण घरों के अन्दर गड़हे खोद कर अपनी हाजत रफा करी और चूंकि उन को चारा नहों मिल सका इसलिये उन को अपने ४०० और ५०० के मवेशी ५० और ६० रुपये में बेचने पड़ गये। इसलिये मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग में हरिजनों का लिया जाना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि उन के दिल से वह भय हट जाये और उन को इंसाफ मिल सके। एक गांव में हमें शिकायत मिली कि हरिजनों पर मालिकान का जुल्म हो रहा है तो उस के लिये हम ने एक आदमी को भेजा, कुछ नहीं बना, दूसरी दफा भेजा, लेकिन कुछ नहीं बना और शिकायत उन की वैसी ही बनी रही तब मैं ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट साहब से कहा कि क्या आप के पास कोई ऐसा अफसर नहीं है जो कि जरा मुंसिफ मिजाज हो. तब उन्हों ने वहां पर एक दूसरे अफसर को भेजा और तब जा और कहीं वहां पर शान्ति स्थापित हुई नहीं तो उस गांव के अन्दर आग लगी हुई थी। इसीलिये हमारी आप से मांग है कि आप हमारे लोगों में से पुलिस में थानेदार, हैड कांसटेबुल वगैरह भरती करें, बड़े अफसर तो आप बना नहीं सकते क्योंकि आप कहेंगे कि उन में बड़े औहदे के लिये योग्यता नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि बड़े अफसर अगर आप नहीं उन को बनाना चाहते तो कम से कम हवलदार और हवलदार नहीं तो कम से कम कांसटेबुल तो बना ही सकते हैं। हवलदार और कांसटेबुल बनाने के लिये तो क्वालिफिकेशन की कोई खास आवश्यकता नहीं है। थानेदार, ए० एस० आई० और हवलदार उन को बनाने में क्या मुश्किल है! अगर अंग्रेज लोग हम लोगों को ट्रेन कर के ऊंचे औहदों पर ले जा सकते थे तो क्या आप हम लोगों को ट्रेन कर के औहदों पर नहीं ले जा सकते। पुलिस और फौज के अन्दर हरिजनों को उन का पूरा हिस्सा मिलना चाहिये और आप देखते हैं कि जब पुलिस का ओहदेदार या मिलटरी का सूबेदार वर्दी लगा कर और दो, चार तमगे लगा कर गांव में निकलता है तो उस का गाव के लोगों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है और लोग उस की इज्जत करते हैं और जहां जाता है वहां उस को कुर्सी मिलती है। इसलिये मेहरबानी कर के पुलिस के अन्दर आप जरूर इस बात को कोशिश करें कि उनका पूरा कोटा हो जाये।

शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी कौंसिल बनाने के लिये कहा है जो यह देखेगी कि हरिजनों के लिये जो रिजर्वेशन दिया गया है वह कहां तक पूरा हुआ है। हम लोग एक साल से नहीं बल्कि लगातार तीन चार साल से इस बात के लिये दरख्वास्त करते आये हैं और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने दरख्वास्त की है कि हरिजनों के वास्ते एक सेप्रेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये। मुझे तो उस के बनाये जाने की कोई आशा नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सेप्रेट मिनिस्ट्री नहीं बना सकते तो कम से कम एक सेप्रेट मिनिस्टर ही बना दीजिये जो केवल शेड्यूल्ड कास्ट और हरिजनों के उद्धार के लिये

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदना के बारे में प्रस्ताव

काम करे और यह भी अगर न हो सके तो कम से कम जैसा कि रिपोर्ट में इशारा किया गया है इस काम के लिये एक कौसिल बना दी जाये जो यह देखे कि हरिजनों का जो सर्विसेज आदि में कोटा नियत है वह पूरा क्यों नहीं होता और वे लोग नौकरियों में क्यों नहीं लिये जाते। हमारे डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अभी उस रोज कहा था कि रिक्रूटमेंट के अन्दर हम इस बात का कोई लिहाज नहीं रखते कि यह किस जाति से आता है, किस तबके से आता है, वहां तो एक स्टैण्डर्ड होता है जिस के कि अनुसार लोग भर्ती किये जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि हो सकता है कि कहीं कहीं पर रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में हरिजनों के साथ सख्ती हुई हो और उनके साथ नाइंसाफी की गई हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कहीं कहीं नहीं हर जगह यह चीज चलती है और होता यह है कि उस हरिजन बेचारे को यह कह कर अनफिट करार दिया जाता है कि तुम्हारी लम्बाई कम है, तुम्हारी छाती कम है और तुम्हारा दौड़ना भी कम है और इस तरह के अड़ंगे लगा कर बाद में उस को रिजैक्ट कर दिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि रिक्रूटिंग आफिसर के साथ हम में से एक आदमी रख दिया जाये जो यह देखे कि इस तरह की ज्यादती का बर्ताव हमारे आदमियों के साथ न किया जा सके। इस सिलसिले में मैं आप को खुद अपना एक केस का तजुर्बा बतलाता हूं : एक शख्स था जो पहले फौज में भर्ती हो कर लड़ाई पर गया और बाद में वह डिस्चार्ज हो कर घर पर लौट आया और उस ने बाद में पुलिस में भरती होना चाहा तो वह मेरे पास आया कि चलिये मुझे पुलिस में भरती करवा दीजिये। मैं ने कहा कि अरे भाई तुम तो फौज में रह चुके हो पुलिस में भरती होने में तुम्हें क्या दिक्कत पड़ेगी, तुम खुद चले जाओ और जा कर पुलिस में भरती हो जाओ। मैं जब बाद में पुलिस दफ्तर पहुंचा तो मैं ने देखा कि वह आदमी कपड़े पहन रहा है, मैं ने पूछा कि क्यों क्या बात है तो उस ने मुझे बतलाया कि मुझे पुलिस के लिये अनफिट करार दिया गया है। मैं उसे ले कर भरती करने वाले अफसर के पास गया और कहा कि साहब यह तो फौज में रह आया है यह पुलिस के लिये कैसे अनफिट हो सकता है, इस ने फौज में रह कर लड़ाइयां लड़ी हैं और गोलियां चलाई हैं। वह अफसर मुझ को जानता था कि मैं कौन हूं और चूंकि उसने सही काम नहीं किया था इसलिये उस ने उस आदमी को भरती कर लिया और वह ए० एस० आई० हो कर आज थानेदार बना हुआ है। मैं अगर वहां पर उस के लिये नहीं जाता तो वह तो अनफिट बन ही गया था। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि रिक्रूटिंग अफसर के संग एक हरिजन आदमी रक्खा जाये जो यह देखे कि हरिजनों के संग नाइंसाफी तो नहीं की जा रही है। अगर आप पबलिक सर्विस कमीशन में हमारा आदमी नहीं रखना चाहते तो न सही लेकिन भरती करने वाले अफसरान के साथ तो हमारा आदमी बैठने दीजिये जो देखे कि तमाशा क्या होता है और किस तरह से हिसाब किताब चलता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं समझता हूं कि मुझे आयुक्त को धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि उन के प्रतिवेदन के एक खंड में आंग्ल-भारतीयों को सुरक्षण दिये जाने सम्बन्धी सुझाव हैं।

सब से बड़ी कमी इस प्रतिवेदन की यह है कि १९५३ के प्रतिवेदन पर अब १९५५ के अन्त में चर्चा की जा रही है। यह विलम्ब अक्षम्य है। सरकार की कथनी और करनी इस से स्पष्ट हो जाती है।

मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य था और यह प्रतिवेदन पिछले सत्र के अन्त के लिये रखा गया था। उस के बाद सरकार ने कोई

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

रुचि नहीं दिखाई और अब इस सत्र के अन्त में इस प्रतिवेदन को रखा जा रहा है। जो सुरक्षण रखे गये हैं उन का कोई लाभ इस समय प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे क्रियान्वित करने के कोई सुझाव इस समय लाभदायक नहीं होंगे ।

पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुक्त ने कंडिका ८ में जो कहा है वह गलत है। उन्होंने १९५३ के प्रतिवेदन में यह निर्देश किया ह कि मैं ने एक शिकायत की थी कि मद्रास सरकार ने आंग्ल-भारतीयों को दिये जाने वाले शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों में संविधान के विरुद्ध कार्य करते हुए कमियां की हैं। अब मैं उसी शिकायत को दुबारा कहता हूं कि मद्रास सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ३३७ के प्रतिकूल कार्यवाही की है—किन्तु आयुक्त ने इस सम्बन्ध में एक गलती की है। उन्हों ने कहा है कि १९४७-४८ के लिये मद्रास सरकार द्वारा निर्धारित रकम ११,१२,२९१ रुपये थी। उन का निष्कर्ष गलत तथ्यों पर निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद ३३७ के अनुसार यह अनुदान १९५० से १९५३ तक के लिये था। मेरे पास आंग्ल-भारतीय शिक्षा बोर्ड, मद्रास द्वारा दिये गये आंकड़े हैं। उस के अनुसार १९४७–४८ के लिये अनुदान की रकम ग्यारह लाख रुपये नहीं थी बल्कि १३,४६,७०० रुपये थी। यह रकम तीन वर्ष के लिये रहनी चाहिये थी। आयुक्त ने स्वीकार किया है कि मद्रास सरकार ने लगभग ग्यारह लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास सरकार ने तीन वर्षों में दो लाख रुपये की असंवैधानिक कमी प्रति वर्ष की। मैं चाहता हूं कि आयुक्त इस मामले पर दोबारा विचार करे ।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। १९४७–४८ में यहां के लिये नौ लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया था और उसी प्रकार यह रकम १९५३ तक जारी रहनी चाहिये थी। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने मद्रास सरकार की भांति दो लाख रुपये प्रति वर्ष की कमी की। इस स्थान पर भी आयुक्त ने गलती की है। राज्य सरकारों ने भी उन्हें गलत आंकड़े दिये हैं। यहां आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास किया है और कहा है कि अनुदान प्रति व्यक्ति आधार पर आधारित किये गये हैं और क्योंकि आंग्ल-भारतीय पाठशालाओं में भरती कम हो गई थी इस कारण अनुदान भी कम करने पड़े। यह बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में १९४८ में आंग्ल-भारतीय पाठशालाओं में ३०५७ विद्यार्थी थे और १९५४ में इन की संख्या ११,००० हो गई थी। जहां तक आंग्ल-भारतीयों का सम्बन्ध है १९४८ में उन की संख्या १९२९ थी : इसलिये इस संख्या में कमी नहीं हुई है ।

इस के बाद थांगेसरी तथा भांजमो पाठशालाओं के बारे में भी आयुक्त ने मेरी शिकायत को गलत बताया है—किन्तु मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह बात भी गलत है। यहां आयुक्त को त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने गलत मार्ग पर डाला है। मेरी शिकायत यह थी कि १९५१ के अनुदान इन पाठशालाओं को नहीं दिये गये हैं। यह अनुदान तीन वर्ष के बाद दिये गये थे ।

अब मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस दल ने उदारता से मेरी जाति को रेलवे, डाक व तार विभाग आदि में कुछ नौकिरियां देने का अभ्यंश निश्चित किया था जो कि संविधान के अनुच्छेद ३३६ में उपबन्धित है। मुझे खेद से यह कहना पड़ता है कि इस को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है। किन्तु आयुक्त ने इस का कारण यह

बताया है कि उपयुक्त अर्हता वाले आंग्ल-भारतीय पर्याप्त संख्या से नहीं मिल सके हैं—इस से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं। मैं समझता हूं कि मेरी जाति के एक तिहाई शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। व ३० तथा ४० रुपये की नौकरियां लेने को तैय्यार हैं——इसलिये यह कहना गलत है कि शिक्षित तथा उपयुक्त लोग नहीं मिलते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस के क्या कारण हैं——पहला कारण तो यह है कि सरकारी व्यवस्था ठीक तरह से कार्य नहीं करती है, बल्कि निश्चित रूप से अड़चनें पैदा करती हैं। आप रेलवे सेवा आयोग के कार्य को ही लीजिये। बहुत से शिक्षित आंग्ल-भारतीय युवक नौकरी के लिये आवेदन करते हैं——किन्तु उन्हें बुलाया ही नहीं जाता है। इन सब बातों का क्या कारण है। क्या यह सारी बातें जान बूझ कर नहीं की जाती हैं। मैं ने बम्बई रेलवे सेवा आयोग के प्रधान को कुछ शिकायतें की थीं किन्तु पहले तो उन्हों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया फिर जब मैं स्वयं उन से बम्बई में मिला तो उन्हों ने धृष्टता से कहा कि उन के पास रेलवे बोर्ड की हिदायतें हैं कि मेरी शिकायतों को न सुना जाये। मेरे विचार में ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की जा सकती हैं। ये सब कुछ हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आयुक्त का स्वय्या इस सम्बन्ध में क्या है। यह तो ठीक है कि चुनाव के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये——किन्तु जहां तक दी गई प्रतिभूतियों का सम्बन्ध है उन्हें पूरा किया जाये और कुछ लोगों के दुष्प्रभाव के कारण उन को प्रभावहीन न होने दिया जाये। आप देख सकते हैं कि एक रेलवे सेवा आयोग का सभापति इस प्रकार का व्यवहार करता है और आयुक्त का यह कहना है कि अभ्यंश के अनुसार भर्ती न किये जाने का कारण यह है कि शिक्षित युवक नहीं मिलते हैं। रेलवे सेवा आयोग स्वायत्तशासी आयोग नहीं है और न उन्हें इतना स्वायत्तशासी होना चाहिये कि उन का शब्द ही विधि बन जाये। मैं बम्बई रेलवे सेवा आयोग पर आरोप लगाता हूं कि उस ने जान बूझ कर मेरे सम्प्रदाय का विरोध किया है और कदाशय से काम लिया है।

बात केवल इतनी ही नहीं है कि इन रिक्तताओं का विज्ञापन नहीं किया गया था वरन् ऐसी ही नौकरियां में सुरक्षण किये गये हैं जिन से कि मेरे सम्प्रदाय का कोई संबंध नहीं है। पहले तो रलवे प्राधिकारी इन अभ्यंशों का परिपालन ही नहीं कर रहे थे। अब शास्त्री जी का सहयोग पूर्ण दृष्टिकोण होने से वह इनका परिपालन तो कर रहे हैं परन्तु कर इस प्रकार रहे हैं जिस से कि ये प्रतिभूतियां ही समाप्त हो जायें।

विभिन्न रेलवे सेवाओं के सम्बन्ध म प्रत्याभूति यह दी गई थी कि हम को सात या आठ प्रतिशत स्थान दिये जायेंगे और इस का आधार यह था कि आंग्ल-भारतीयों को रेलवे के उन पदों में सुरक्षण दिया जाये जिन के साथ उन के पहले से संबंध रहे हैं जैसे गार्ड, फायरमैन, ड्राइवर, असिस्टेन्ट स्टेशन-मास्टरत था पी० डब्लू०आई० इत्यादि। परन्तु सुरक्षण हमें क्लर्कों और सिगनलरों के पदों के सम्बन्ध में दिये जा रहे हैं जिस का परिणाम यह है कि वे आवेदन पत्र ही नहीं भेजते हैं।

जो आंकड़े आयुक्त से हमें प्राप्त हुए हैं उस के अनुसार बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय निरोधक अधिकारी वर्ग को श्रेणी ३ के वर्ग २ में ४५ प्रतिशत स्थानों का सुरक्षण किया गया था। १९५२–५३ में एक भी आंग्ल-भारतीय नहीं रखा गया वर्ग १ में यद्यपि ४५ प्रतिशत का सुरक्षण किया गया था फिर भी ३१-१०-५३को केवल १८ प्रतिशत रिक्तिताओं की पूर्ति की गई थी। मद्रास में मेरी जाति वालों का बड़ा भारी समूह न है और वहां ४५ प्रतिशत के सुरक्षणों में से ३१-१०-१९५३ तक केवल २५ प्रतिशत स्थानों की पूर्तियां की गई थीं।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

केन्द्रीय उत्पादन कर की श्रेणी ३ में केवल २.४३ प्रतिशत का सुरक्षण हमें प्राप्त है। परन्तु बम्बई में एक भी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की गई है। यही हालत पूर्वी रेलवे और दक्षिण रेलवे की है ? इसका कारण क्या है ? मेरी जाति के सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो काम की खोज में बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं फिर भी यह पद खाली हैं जिन के लिये बहुत मामूली शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता है और कहा यह जाता है कि मेरी जाति के लोग आवेदन नहीं करते हैं। इस का एक मुख्य कारण यह है कि काम दिलाऊ दफ्तर जान बूझकर रुकावट डालते हैं। अनेक बार मेरे पास शिकायतें आती हैं कि स्थानीय कामदिलाऊ दफ्तरों में मेरी जाति वालों के नाम ही रजिस्टर नहीं किये जाते हैं। यह स्थानीय दफ्तर उन के नाम आंग्ल-भारतीयों के रूप में रजिस्टर करने से इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है इसलिये उन का नाम केवल ईसाइयों के रूप में रजिस्ट्री किया जायेगा, इसलिये वे काम दिलाऊ दफ्तरों में नहीं जाते हैं।

सीमाशुल्क विभाग सम्बन्धी हमारे अभ्यंश पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का नियंत्रण है। मैं जानता हूं कि सीमा-शुल्क कार्यालय में बहुत से स्थान खाली पड़े हैं। और यह पता नहीं चलता कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड इन के सम्बन्ध में क्या कर रहा है।

संविधान के अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत सभी अल्पसंख्यक जातियों को, जिन में आंग्ल-भारतीय भी हैं, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थायें स्थापित करने और चलाने का मूल अधिकार दिया गया है। बम्बई सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं जिन से कि वह इस प्रत्याभूति के प्रभाव को नष्ट करना चाहती है। यही हालत त्रावनकोर-कोचीन की है। जो सुविधायें केन्द्र के द्वारा दी जाती हैं उन को राज्यों के कांग्रेस नेता दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से वे अनिच्छा पूर्वक अल्पमत की भाषा के माध्यम अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा देना स्वीकार कर रहे हैं। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि अंग्रेजी पुस्तकें मलयालम का लिप्यान्तर मात्र ही होती हैं। इस प्रकार वे कितनी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। जिन स्थानों में ऐसे स्कूल हैं वहां की प्रादेशिक भाषा मलयालम है। हम भी मलयालम पढ़ाना चाहते हैं। परन्तु राज्य सरकार का कहना है कि वह प्रादेशिक भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने को तैयार नहीं है।

मैं पंडित पन्त का बहुत आभारी हूं। वह उस विशेष समिति में थे जो आंग्ल-भारतीय जाति के संबंध में सिफारिशें करने के लिये नियुक्त की गई थी। यह उन की सहायता का ही परिणाम है कि मैं इस अल्प संख्यक सम्प्रदाय को यह प्रत्याभूतियां दिला सका था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन प्रत्याभूतियों का ऐसे तरीके से परिपालन किया जाने दें जिस से उन का अभिप्राय पूरा हो सके। अब केवल पांच वर्ष की ही बात है।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर-झंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सब से पहले मैं श्री श्रीकांत जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और इस के साथ ही साथ मैं सदन के सामने राजस्थान के हरिजनों की जो कुछ समस्यायें हैं उन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा इलाका है जो कि काफी पहले से ही सामन्त-वाद का एक गढ़ रहा है। और इस समय वह—यदि मैं यह बात कह दूं, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी—एक प्रकार के जातिवाद और अंध विश्वास का गढ़ बना हुआ है। वहां जो हरिजन रहते हैं, उन की इस समय क्या स्थिति

हैं यह मेरे कहने से बाहर है। मैं आप को क्या बताऊं? मेरे पास दर्जनों एप्लीकेशन्ज आती हैं और जब मैं उन को पढ़ता हूं, तो मेरा हृदय रोने लगता है। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग आठ वर्ष होने जा रहे हैं उस से पहले हम ने समझा था कि हमारा देश आजाद होगा, तो हम हरिजन भी आजाद होंगे, सुखी होंगे और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उपभोग कर स्वतन्त्र भारत के नागरिक बनेंगे। परन्तु आज स्थिति उस के सर्वथा विपरीत है। यह ठीक है कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न कर रही है परन्तु उस की नीचे की मशीनरी ऐसी है कि जितने हमारे कानून हैं और जितने हमारे आर्डर्ज निकलते हैं उन पर सही रूप में अमल नहीं हो रहा है, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि "बहुखनेसु चोर मरावे, चोर बहुरा भाई।" वही बात इस सम्बन्ध में चरितार्थ हो रही है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग थानेदार और तहसीलदार के पदों पर लगे हुए हैं, जो हरिजनों की एप्लीकेशन्ज और दरख्वास्तों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने एक परिगणित जाति कल्याण विभाग भी बनाया हुआ है, जिसमें हरिजनों के कल्याण की काफी चर्चा होती है, पोस्टर भी छपते हैं, पुस्तकें भी निकलती हैं और फोटो भी छापे जाते हैं लेकिन अगर देखा जाये कि वस्तुत सही कार्य कितना हो रहा है, तो वह कहने से कुछ बाहर। जब भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है, तो मैं उसको अपने मुख्य मंत्री के पास भेज देता हूं। वह इस विषय में काफी इन्ट्रेस्ट (दिलचस्पी) लेते हैं और उस एप्लीकेशन को सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इक्के-दुक्के कामों से हरिजनों का कोई भला नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में सामूहिक तौर पर कार्य करने के लिये कोई योजना नहीं बनाई जाती और उस योजना के ऊपर ईमानदारी से अमल नहीं किया जाता, तब तक हरिजनों का उद्धार होना असम्भव है।

कहने को तो हमारे भाई बहुत कुछ कह रहे हैं और उस का मैं समर्थन कर रहा हूं—और यह समर्थन क्या है, हम लोग तो भुक्त भोगी हैं, सब कुछ भोग कर आये हैं। लेकिन एक बात, जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिये थी, कहने के लिये मैं बाध्य हुआ हूं। मैं देखता हूं कि आज यह सदन सूना पड़ा हुआ है। उपस्थित सदस्यों में एक दो हरिजनों के हितैषी और उन का कल्याण चाहने वाले अन्य लोग अवश्य होंगे, लेकिन बाकी सब आदिवासी और हरिजन ही मिलेंगे। वे गरीबों के वोटों से चुन कर यहां आये हैं, उन को यहां पर बैठ कर सुनना चाहिये था कि गरीबों, दलितों और हरिजनों की क्या पुकार है। वे लोग केवल पैसे के बल पर या पार्टी के द्वारा यहां आए हुए हैं, उन को गरीबों की क्या चिन्ता है? मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग भी हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो गांव के लोगों का तो कहना ही क्या।

हमारे राजस्थान में खास तौर पर पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहां पर पानी बहुत कठिनाई से मिलता है---वह बहुत गहरा है और खारा है। अधिकतर गांवों में पीने का पानी तीन सौ फीट नीचे से निकलता है। विशेषकर हमारे जो हरिजन भाई हैं, उन को इस सम्बन्ध में बहुत तकलीफ है। नहाने के लिये तो पानी दूर रहा, उन लोगों को पीने के लिये भी पानी सवर्ण भाइयों की दया से मिलता है। अगर उन में कोई कटुता पैदा हो जाती है, तो पानी देना बन्द कर दिया जाता है, जिस से उन का जीवन संकट में पड़ जाता है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर हरिजनों के लिये विशेषकर पानी का प्रबन्ध

[श्री पी० एल० बारूपाल]

किया जाये। उन के लिये किसी अलग प्रबन्ध की बात तो मैं नहीं कहता, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है कि हर आदमी को अधिकार है कि वह समान रूप से पानी ले सकता है, लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि गांव वालों की बात तो दूर रही, हम लोगों को भी यहां पानी नहीं मिलता है। शहरों में हम लोगों को लोटे से पानी नहीं पिलाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप को हर सड़क पर म्युनिसिपिल कमेटी एरिया में पियाऊ मिलेगा। उस में अभी भी हम लोगों को नालियों से पानी पिलाया जाता है। वहां हर पियाऊ पर आप इस प्रकार की नालियां लगी देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा अपमान है।

सभापति महोदय : क्या म्युनिसिपिल कमेटियों ने नालियां लगाई हैं ?

श्री पी० एल० बारूपाल : म्युनिसिपिल कमेटी की जगहों पर जो पियाऊ हैं, उन में नालियां लगी हुई हैं।

सभापति महोदय : म्युनिसिपिल कमेटी की तरफ से पानी का जो इन्तजाम है, क्या वहां नालियां लगी हुई हैं ?

श्री पी० एल० बारूपाल : जी हां।

श्री नवल प्रभाकर : क्या आप ने इस सम्बन्ध में कभी मुख्य मंत्री को लिखा है ?

श्री पी० एल० बारूपाल : मैं ने इस बारे में श्री व्यास जी तथा श्री सुखाडिया जी को कहा था। उन्हों ने प्रयत्न कर के एक पियाउ से नाली हटवाई थी, लेकिन उस में भी सात दिन लग गये और बाकी अभी भी लगी हुई हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दे।

यहां पर एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था। उस ने जो कार्य किया है वह भी देखना है। राजस्थान में चमारों में कई उपजातियां हैं, जिन की संस्कृति, वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान एक है और उन में रोटी बेटी का "सम्बन्ध" है। किया यह गया है कि जिस ने अपने को "चमार" लिखवा दिया, उस को तो शिड्यूल्ड कास्ट्स में रख दिया गया, बाकी को अलग डाल दिया गया। नतीजा यह है कि उन लोगों को वजीफा नहीं मिलता है और न दूसरी सुविधायें मिलती हैं। जब वे लोग अधिकारियों के पास जाते हैं, तो उन को कहते हैं कि तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है, तुम तो भाम्भी हो, बलाई हो, बेरवा हो, मेघवाल हो और जाटव हो और इस तरह वे लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

डीलिमिटेशन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कांस्टीच्युएन्सीज बन चुकी हैं। जब तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन इस बारे में रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक इन लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ जातियां उन में से निकल जायें और कुछ उन में जोड़ दी जायें। गवर्नमेंट के सामने यह दूसरी समस्या है, जिस में यह तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उस रिपोर्ट पर शीघ्र ही विचार होना चाहिये।

जो अस्पृश्यता निवारण विधेयक पास हुआ है, उस को लाखों की संख्या में हिन्दी में प्रकाशित किया जाये और उस की प्रतियां हर डिपार्टमेंट, हर पुलिस थानेदार, तहसीलदार और सार्वजनिक कार्यकर्ता के पास भेजी जायें और उन को समझाया जाये कि इस कानून की इस धारा के अन्तर्गत मुकदमा चल सकता है और उस के ऊपर पूरा अमल होना चाहिये।

मेरे पास यह एक चिट्ठी आई है। यह सवाई छोटी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु की बात है। हमारी एक शिकायत पर कलेक्टर साहब मुझे लिख रहे हैं कि गांव वाले नहीं मानते

हैं। प्रश्न यह है कि अगर वे नहीं मानते हैं तो इस कानून के अन्तर्गत मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता है । इस में भाई-बन्दी किस बात की है बात यह है कि ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, मेहरबानी कर के छोड़ देते हैं और उन को गिरफ्तार नहीं करते हैं । यहां पर हृदय-परिवर्तन की बात की जाती है । ठीक है, मैं भी समझता हूं कि ये बातें कानून के द्वारा नहीं हो सकतीं, लेकिन जहां कानून से काम चलता है, वहां कानून का ही प्रयोग करना पड़ता है । अगर आप कानून नहीं बनाते और हरिजनों को सुरक्षित स्थान नहीं दिये जाते, तो हम को इस भवन के दर्शन नहीं होते । हम को कोई इस की दीवारों को छूने भी नहीं देता । जिन का हृदय हो, उन के हृदय-परिवर्तन की बात सोची जा सकती है, लेकिन जिन का हृदय ही नहीं है, उन का क्या इलाज है ? गांधी जी की भावना बहुत जबर्दस्त थी और सारा राष्ट्र ही नहीं, पर-राष्ट्र भी उन की इज्जत करते थे और हरिजन उन की दया के कारण इस काबिल हुए हैं ।

सभापति महोदय : आप उन पर मुकदमा क्यों नहीं करते ? जो इस तरह का सलूक करते हैं, उन पर मुकदमा करने का हर व्यक्ति को हक हासिल है । जो डिप्टी कमिश्नर यह जवाब देते हैं और काम नहीं करते, उन को भी मुलज़िम बना दीजिये ।

श्री पी० एल० बारूपाल : मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं—मैं पार्लियामेंट में यह पोथा रखने वाला हूं, गवर्नमेंट जांच कराये । लीजिये मैं रख देता हूं—तो हमारी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । पुलिस के थानेदार हम से शराब की बोतलें मांगते हैं । अगर हम उन को नहीं पिलाते तो चोर को तो दंड नहीं देते उल्टा हम को ही फांसते हैं और हम पर मुकदमा चलाते हैं और पीटते हैं । मेरे पास बहुत से कागज़ इस विषय के हैं ।

सभापति महोदय : ये कागजात आप दातार साहब को दे दें ।

श्री पी० एल० बारूपाल : इन थानेदारों को डिसमिस किया जाय । हमारे साधू महात्मा कहते थे :

जिन जैसा सतसंग किया ते तैसा फल लीन,
कदली, सीप, भुजंग मुख एक बूंद फल तीन ।

गांधी जी ने बहुत उपदेश दिये । लेकिन उस उपदेश को सुन कर भी गोडसे जैसा आदमी पैदा हो गया और उस का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ । तो हृदय परिवर्तन तो उन का होता है जिन के हृदय होता है । तो मेरी गवर्नमेंट से यह प्रार्थना है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए । मेरे पास १२ या १३ गांवों की शिकायत हैं । किसी जगह पानी बन्द है, किसी जगह कपड़ा नहीं पहनने देते, किसी जगह बेदखल कर रहे हैं, ये अनेक प्रकार की समस्यायें हैं । जब कोई जांच को जायेंगा तो गांव में दो पार्टियां हो जायेंगी । कहा जायेगा कि हम तो पानी देने को तैयार हैं लेकिन क्या करें चमार हैं वह भंगी के हाथ का पानी नहीं पीते, और भंगी धोबी और संसी का नहीं पीते आदि आदि । हम अफसरों के पास जाते हैं तो वे क्या करते हैं ? जब कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता उन के पास हरिजनों में से जाता है तो बड़े अदब से उस से बात करते हैं, उस को बिठाते हैं, पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे काफी पियेंगे या लेमनेड पियेंगे । उन को वह पिलाते हैं और उन से बात करते हैं । जब वे चले जाते हैं और उन के पास जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वे पूछते हैं कि ये कौन थे तो आप के अफसर कहते हैं कि भाई क्या करें अब भंगी और चमारों का राज्य

[श्री पी० एल० बारूपाल]

हो गया है, रात दिन सिर पर चढ़े रहते हैं । यह आप के अफसरों की मेंटेलिटी है । मैं मानता हूं कि आप कानून के विरुद्ध जाने वालों के लिये बोर्ड बनाते हैं लेकिन उन के द्वारा इन्साफ नही होता, उनका उल्टा असर होता है । मैं जानना चाहता हूं कि हम कब तक इस तरह से चिल्लाते रहेंगे और आप कब हमारी बात को सुनेंगे । हम तो गांधी जी के चेले हैं और आप के भी चेले हैं । लेकिन याद रखिये, अगर आप ने हरिजनों की स्थिति को जल्दी नहीं सुधारा तो ये देश के लिये अभिशाप बन जायेंगे । जब कोई आदमी बहुत दुखी होता है तो वह सब कुछ कर सकता है । मरता क्या न करता । कहा जाता है कि तुम तो हरिजन हो तुम को शान्त रहना चाहिये । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंगाल है तो केवल उस का नाम बदल देने से तो उस का प्रश्न हल नहीं हो जायगा । अगर कोई लंगड़ा है तो उस की समस्या तो तभी हल होगी जब उस के एक टांग लग जायें । केवल उसका नाम बदल देन से उसका प्रश्न हल नहीं हो जाएगा । जब हम अछूत माने जाते हैं तो हम कसे कह सकते हैं कि हम सवर्ण के बराबर हैं । मैं जो कुछ कह रहा हूं केवल भावना से प्रेरित हो कर नहीं कह रहा हूं । मैं जो कुछ कह रहा हूं उस के लिये मैं ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं । मैं अपनी हर बात के लिये प्रमाण देने के लिये तैयार हूं । हमारी बात की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ।

जब हम अपने लिये अलग एक मिनिस्ट्री की मांग करते हैं तो कहा जाता है आप मिनिस्टर बनना चाहतें हैं । मैं कहता हूं कि हम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते और न हम कोई दलीय संस्था बनाना चाहतें हैं । हम केवल यही चाहते हैं कि हमारा भी सुधार हो और हम भी इन्सान की तरह रहें । कौन चाहता है कि हम हरिजन या दलित बन कर रहें । ऐसा कोई नहीं चाहता । लेकिन जब तक आप हमारी समस्या को हल नहीं करते हैं तब तक कम से कम हमें रोने का तो मौका दीजिये ।

अभी आप से पूछा गया था कि आप ने कितने कलक्टर बनाये ह, कितने जज बनाये हैं । वह तो बहुत दूर की बात रही । हम को पुलिस तक में भरती नहीं किया जाता । अगर हमारे किसी भाई को भरती किया भी जाता है तो अगर वह भंगी है तो उस से भंगी का काम लिया जाता है, अगर कोई मेरे जैसा भरती किया जाता है तो उस से कहा जाता है कि तुम जूता बनाओ । हम से कहा जाता है कि क्या कहीं भंगी चमार भी चोर डाकुओं को पकड़ सकते हैं । मैं कहता हूं कि अगर आप मनुष्य को मनुष्य बनने में मदद दें तो हर एक उन्नति कर सकता है । आज हम देखते हैं कि श्री जगजीवन राम जी और अम्बेडकर जैसे व्यक्ति हम में से बन कर निकल चुके हैं । आप ने हमें मौका दिया तो हम भी यहां आप के सामने अपनी बात करने का साहस कर रहे हैं । अगर आप दूसरे लोगों को भी मौका देंगे तो कोई कारण नहीं कि वे उन्नति न कर सकें । लेकिन यदि आप की यह नीति हो कि "कम से कम आदमियों को मौका दिया जाए" तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा । हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हम को उन्नति करने के अवसर प्रदान करेंगे तो हम भी देश के निर्माण में आप को पूरा पूरा सहयोग देंगे ।

हम से पाकिस्तान में कहा गया था कि तुम मुसलमान हो जाओ तुम को मुसलमान लड़कियां दी जायेंगी और दूसरी सुविधायें भी दी जायेगी । पर हम मुसलमान नहीं बने ।

पिछले दिनों यहां पर ईसाई भाइयों के बारे में कुछ कहा गया था। मैं कहता हूं कि जब आप हमारे वास्ते कुछ नहीं करते तो दूसरों को हमारी भलाई करने से क्यों रोकना चाहते हैं। अगर कोई आदमी हम को आधी रोटी देता है और आप हम को पूरी रोटी दें तो कोई कारण नहीं है कि हम दूसरी तरफ जायें। मैं ने ईसाई स्कूलों में शिक्षा पाई है। वे हमारे घर आते थे, हमारी नाक और टट्टी तक अपने हाथ से साफ करते थे। वे लोग दूर देशों से आकर हमें मुहब्बत से अपने गले लगाते थे। आज आपकी तरफ से क्या हो रहा है? उपदेश तो बहुत कुछ दिया जाता है लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता। ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें की जाती हैं पर हमारे लिये वास्तविक कार्य बहुत कम किया जाता है। अगर आप हमारी भलाई करना चाहते हैं तो आप हम को ज्यादा से ज्यादा रियायत दीजिये। हम अपने लिये कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि जब तक आप हरिजनों की अवस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यह तो देश की समस्या है। जब तक हरिजनों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक देश की उन्नति भी नहीं हो सकती। इसी लिये मैं चाहता हूं कि हरिजनोत्थान के लिये एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिये, चाहे मिनिस्टर आप में से ही कोई हो। उस मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट के हरिजन मेम्बर भी लिये जायें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम-जाति आयुक्त १९५४ के प्रतिवेदन के संबंध में, अन्यथा ग्राह्य होते हुए, यह स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे। उन की संख्या २, ३, ६, ९, १५, २१, २२ और २५ है।

श्री नवल प्रभाकर, डा० सत्यवादी, श्री कामत (होशंगाबाद), पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) और श्री नाना दास (रक्षित अनुसूचित जातियां) ने अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भंटिडा--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आज बड़ी मुद्दत के बाद हमें यह मौका मिला है कि हम अपने भाइयों की हालत को इस हाउस के सामने रख सकें।

हमारे लिये कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन रखा गया है। हम उस पर डिपेंड करते हैं। इस का मैं थोड़ा नक्शा आप के सामने रखना चाहता हूं। जो लोग आजकल इस रिजर्वेशन के खिलाफ रिज्योलूशन पास कर रहे हैं उन की मैंटेलिटी जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि वे लोग यह नहीं चाहते कि यहां पर कांग्रेस का राज्य हो या कांग्रेस मुल्क को आगे बढ़ाये। वे चाहते हैं कि इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भड़काया जाये और उन को कांग्रेस के खिलाफ किया जाये। वह चाहते हैं कि ऐसे रिज्योल्यूशन पास किये जायें जिन से उन का रिजर्वेशन खत्म किया जाये। इस का नतीजा यह होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के भाई कांग्रेस से अलग हो जायेंगे और कांग्रेस को उन के वोट नहीं मिलेंगे और कांग्रेस इन गद्दियों पर नहीं रह सकेगी। मैं उन भाइयों की इस दलील को बहुत अच्छी दलील नहीं कह सकता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन के मन की जो भावना है वह बहुत बुरी है। वे हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बुरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। उन के मन में तो केवल यही है कि कांग्रेस को इन गद्दियों पर न रहने दिया जाय। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी तादाद कुल मिलाकर इस हाउस में ९७ है, ९७ हरिजन पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज सब को मिला कर तादाद सिर्फ चार

[श्री अजित सिंह]

है । दोनों हाउस के मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की तादाद मिला कर देखें तो यह कुल ४८ है जब हमारी तादाद ६७ है और पूरे हाउस की तादादा ५०० है और हिसाब से पांचवां हिस्सा हमारा होता है और हिसाब से तो दस मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज होने चाहियें। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज के मामले में हमारे साथ किया जा रहा है। कहने को तो कह दिया जाता है कि फर्स्ट और सैकिंड क्लास की सर्विसेज हम शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये रिजर्व रखते हैं लेकिन होता यह है कि उन को वहां पर नहीं रक्खा जाता, उस के लिये यह आर्गुमेंट देना कि उन के अन्दर एफिशियेंसी नहीं है, बेकार बात है । मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस एफिशियेंसी का मेजरमेंट (माप दण्ड) क्या है, किस फीते से यह एफिशियेंसी देखते हैं। एफिशियेंसी की बात लाना तो एक महज बहाना है जिस को कि रख कर अपने दोस्तों को फेवर किया जाता है और हरिजन बेचारों को रिजैक्ट कर दिया जाता है। हम आये दिन देखते हैं कि कहने को तो छाप दिया जाता है कि फलाँ जगह इतनी रिज़र्व सीटें खाली हैं, रिज़र्व क्लासेज़ की, लेकिन जब हमारे लोग उन जगहों के लिये उम्मीदवार बन कर जाते हैं तो कह दिया जाता है कि उन में एफिशियेंसी नहीं है इसलिये उन को उन जगहों पर नहीं लिया जा सकता ।

शिक्षा के सम्बन्ध में शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हरिजनों को जो फ्रीशिप्स दी जाती हैं और स्कालरशिप्स दिये जाते हैं वह बहुत थोड़े हैं और अपर्याप्त हैं और बहुत कम जगहों पर दिये जाते हैं और गवर्नमेन्ट की जो स्कालरशिप्स और फ्रीशिप देने की स्कीम है, उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। खास कर पंजाब और पैप्सू के बारे में तो मैं जानता हूं कि वहां वजीफे नहीं मिल रहे हैं और लोगों को तालीम के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है और मैं गवर्नमेंट को यह सुझाव दूंगा कि उन को वजीफे पूरे दिये जायें और उन की तालीम कम से कम दसवीं जमात तक कम्पलसरी कर दी जाये। यह ठीक है कि ऐसा करने में सरकार का काफी खर्च होगा लेकिन यह किया जाना चाहिये और हमारे गरीब भाइयों का भला तभी हो सकता है जब उन पर कुछ न कुछ खर्च किया जायेगा ।

एक यह भी सुझाव दिया गया है कि डिग्री क्लासेज में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की बड़ी जरूरत है । हम आजकल देखते हैं कि जब लोग उन क्लासों में दाखिल होने के लिये जाते हैं तो उन को सीट्स नहीं मिलतीं और इस के लिये उन को बड़े बड़े आदमियों की सिफारिश लानी पड़ती है ।

मुझे एक केस याद है जिस के लिए कि हमें बिड़ला साहब की सिफ़ारिश लानी पड़ी, तो यह हालत वहां पर बन रही है । डिग्री क्लासेज में एग्रीकल्चर है, कामर्स है और मेडिकल और इंजीनियरिंग की क्लासेज हैं, इन क्लासेज में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखना चाहिये, उन के लिये सीट्स रिजर्व रखनी चाहियें, अगर ऐसा होगा तभी वह इन में तालीम पा सकेंगे वरना नहीं। वे बेचारे इतनी बड़ी सिफारिश कहां से ला सकते हैं और उन की पहुंच बिड़ला, डालमिया और टाटा इत्यादि के पास कैसे हो सकती है !

अब मैं एग्रीकल्चरिस्ट्स की तरफ आता हूं। कल हम ने रिफ्यूजी प्राब्लम को बड़े दुःख

के साथ सुना और हमारे बहुत से दोस्तों ने बड़ी दुःख भरी आवाज में उन की दर्द भरी दास्तान सुनाई । मैं मानता हूं कि यह बात ठीक है कि वह बहुत दुःखी हैं और वे लाखों की जायदाद पीछे छोड़ कर आये हैं, इस में कोई शक नहीं है, और वह हर तरह की हमदर्दी और मदद के मुस्तहक हैं लेकिन मैं गवर्नमेंट का ध्यान उन मुसीबतजदा और गरीब शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों की तरफ दिलाऊंगा जो कि गवर्नमेंट की सब से ज्यादा हमदर्दी और मदद के मुस्तहक हैं और उन्हों ने भी किसी से कम कुर्बानी नहीं की है । उन के पास पहले भी था ही क्या जो वह वहां पर छोड़ कर आते और क्लेम भी वह यहां आकर किस चीज का देते जब उन के पास वहां पर कुछ था ही नहीं और आज से नहीं बल्कि सदियों से ही वे इस मुफलिसी में रहते चले आ रहे हैं । क्लेम का तो उन के लिये सवाल ही नहीं पैदा होता, वह तो अपने रिश्तेदार, अपने लड़कों, लड़कियों और बहु-बेटियों को वहां पर मरवा कर बड़ी मुश्किल से यहां आये हैं और क्लेम देना उन के बस की बात नहीं है और न मैं ही मांग करता हूं कि उन को क्लेम की सूरत में कुछ दिया जाय, क्लेम की बात मैं नहीं करता । क्लेम की बात तो तभी हो सकती थी जब उन के पास कुछ रहा होता । यहां आने से पेश्तर भी वे वहां पर भखे और अधनंगे थे और आज भी उन की वही हालत है । मैं तो उन के लिये सिर्फ यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप थोड़ा एग्रीकल्चरल लैंड दीजिये भले ही आप उस को टैम्पोरेरी तौर पर दीजिये लेकिन लैंड दीजिये ताकि उन की मुसीबतों का खात्मा हो और वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें । इसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट के ऐसे भाई जो फौज में पहले भरती थे और अब रिटायर हो चुके हैं उन को पंजाब और पैप्सू में गवर्नमेंट ने बसाना तजवीज किया है और जमीनें देना मंजूर किया है मगर मेरी शिकायत यह है कि इस मामले में उन को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है जितनी कि उन को दी जानी चाहिये । मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप उन दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट्स को लिखें कि ऐसे भाइयों को बसाने में पूरी पूरी इमदाद दी जाये ।

अब एग्रीकल्चर के बारे में मुझे यह कहना है कि खेती बाड़ी अब मिकैनाइजड ढंग से की जा रही है, हलों और बैलों की जगह ट्रैक्टरों से लोग अपनी खेती बाड़ी करने लगे हैं क्योंकि कानून कुछ ऐसे बन रहे हैं जिनकी कि रू से कुछ लैंड उनका सैल्फ कल्टीवेटेड लैंड हो जाता है । जिस खेत में पहले २० आदमी काम करते थे वहां पर एक ट्रैक्टर काफी है और नतीजा यह हुआ है कि २० आदमी बेरोजगार हो गये हैं । मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां मिकैनाइज्ड फार्मिंग नहीं होना चाहिये लेकिन कुछ न कुछ उपाय जरूर करना है कि जिनको कि हमने ट्रैक्टर चला कर बेकार कर दिया है उनको कुछ काम दिया जाये ताकि वे अपनी रोजी कमा सकें । मैं पूछता हूं कि अगर आप उनको बेकार रहने देंगे तो क्या वह कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे और क्या वह आप के सोशलिस्टिक पैट्रन के खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं करेंगे ? इसलिये आप को इस का इंतजाम करना है कि उन को काम पर लगाया जाय । अगर आप उनको अपने साथ नहीं रखते और छोड़ देते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दूसरे मुल्कों के सामने एक आजाद और खुशहाल हिन्दुस्तान का नक्शा रखना चाहते हैं, वह महज ख्वाब बन कर रह जाएगा । इसलिये मैं आप से इल्तजा करता हूं कि उन लोगों की तरफ खास कर जमीन के मसले में तवज्जह दी जाए । बहुत सारी जमीन पैप्सू और पंजाब में बंजर पड़ी है और वह उन को दी जा सकती

[श्री अजित सिंह]

है । हम लोग सिवाय खेती-बाड़ी करने या फौज में भरती हो कर लड़ाई लड़ने, मरने मारने के अलावा और कोई काम नहीं जानते, हमारे पास और कोई बड़ा हुनर नहीं है और न ही हम लोग कोई बड़े टैक्नीशियन, इंजीनियर या मैडिकल डिग्रीयाफ्ता हैं, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हल चलाने के लिये आप कुछ न कुछ सहूलियतें जरूर दें। हमारे यहां एक एकड़ की कीमत तकरीबन जो उसकी साल के बाद निकलती है तकरीबन ४० रुपये है ।

एक एकड़ में हमें चालीस रुपये आमदनी होती है और जब एक आदमी की सीलिंग लैंड की ३० एकड़ होगी और उस आदमी ने अपने खेत में काम कराने के लिये एक सीरी रक्खा हुआ है जो कि उस के खेत में काम करता है। वह वहां काम करते हैं सारा दिन । तो अगर हम ३० एकड़ को ४० से जरब करें तो उस की कीमत १२०० रु० बनती है । अमूमन एक फैमिली में ७, ८ मेम्बर होते हैं । ७ तो घर वाले खुद ही हो गये और ८वां उसका काम करने वाला। १२०० रु० को ८ से तकसीम करने से १५० रु० बनता है, सालाना आमदनी बनती है । अब आप अन्दाजा लगायें कि इस रुपये से क्या तो वह लड़के को पढ़ा लेगा और क्या अपनी लड़की की शादी कर लेगा या कोई विजिनेस करने के काबिल हो सकेगा।

अब जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से ग्रान्ट दी जाती है, मैं कुछ उसकी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । आप देखिये कि इस में हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है । मैं नहीं कहता कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं, उन की तरफ ज्यादा तवज्जह न दी जाए, लेकिन मैं इस में कुछ भेद समझता हूं । एक तरफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज हैं जिन की आबादी ६०३ लाख है और दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं जिन की आबादी १६१ लाख है । अब आप देखिये कि जो २२ करोड़ रुपये हमने अपने फाइव इअर प्लैन में इन लोगों के लिये सैंक्शन किये हैं उन में से नार्थ ईस्ट्रन फ्रैंटियर एजेन्सी जिस की आबादी ८ लाख है ३ करोड़ रुपये सैंक्शन किये गये थे उस को कुछ देर के बाद बढ़ा कर ४ करोड़ २२ लाख कर कर दिया गया । जिस की आबादी १६१ लाख है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये १५ करोड़ रुपया दिया गया और शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज और एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये जिन की आबादी ६०३ लाख है, सिर्फ ४ करोड़ रुपया दिया गया । मैं समझता हूं कि इस में जरूर कुछ राज की बात है । या तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन की आबादी कंजेस्टेड है और हम लोगों की आबादी स्कैटर्ड है, हम लोग किसी गांव में १५ फी सदी हैं और किसी गांव में २० फी सदी और उन की आबादी बिल्कुल इकट्ठी है, और आप की पालिसी यह साबित करती है कि चूंकि उन की आबादी इकट्ठी है इसलिये उन के वोट्स आप को काफी तादाद में मिलते हैं जब कि हमारे वोट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं । शायद इसी लिये आप उन को तरजीह देते हैं । नहीं तो हम लोग भी उसी तरह से पिछड़े हुए हैं जिस तरह से कि वह लोग। फिर भी हम को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता । यह जो डिस्क्रिमिनेशन है उस के बारे में मैं चाहता हूं कि आप जरा तफसील से बतलाएं ।

रिपोर्ट के पेज ८६ पर लिखा हुआ है कि :

"सामाजिक आयोग्यता के प्रचलन से पैदा होने वाले और मामलों को चलाने में सहायता के लिये अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क विधि सम्बन्धी सहायता देनी चाहिये ।"

तो जवाब देते हैं :

"अनुसूचित जातियों को विधि सम्बन्धी सहायता निःशुल्क दी जाती है ।"

मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है, यह किसी भी फैक्ट्स पर मबनी नहीं है, अगर है तो मिनिस्टर साहब बतलायें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : बम्बई स्टेट में है ।

श्री अजित सिंह : मैं बम्बई की नहीं पंजाब की बात कर रहा हूं । बम्बई में ट्राइब्ज को दी जाती है । मैं चाहता हूं कि जैसे ट्राइब्ज को दी जाती है, उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स को भी दी जाये।

अब आप रिलिजस डिस्क्रिमिनेशन को देखिये । यह आज कल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो चल रहा है, बात यह है कि इस में सिर्फ जो अपोजीशन पार्टी है, यानी अकाली पार्टी, उसका ही भला हो रहा है, यह तो उन का पोलिटिकल भला है । हम लोगों का तो जो भला वह चाहें वह करें । वह हम लोगों पर एहसान करते हैं । मैं पूछता हूं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसे ऐमेन्ड कर के हम लोगों को इक्वल जस्टिस देती ? जिस तरह से और जगहों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स को बड़े प्रिविलेजेज दिये जाते हैं उसी तरह से पंजाब और पैप्सू में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के सिख हैं उन को प्रिविलेजेज दिये जाये । वहां पर चार क्लासेज हैं, मजहबी, रामदासी, कबीरपन्थी और सिकलीगर । इन चार जातियों को जो कि सिखों की हैं जो रियायतें मिलती हैं पंजाब और पैप्सू में, मैं चाहता हूं कि उन्हीं को एक्स्टेन्ड कर दें तो आप का क्या नुकसान हो जाता है । फर्ज कीजिये कि मैं फीरोजपुर में हूं, फौज में नौकरी कर रहा हूं । मेरे बाल-बच्चे हैं । मेरे बाल-बच्चों को वजीफा मिलता है, पूरी रियायतें मिलती हैं जो कि किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट को मिलती हैं। आप ने मझे ट्रान्सफर कर के बम्बई भेज दिया तो वहां पर मैं ने या मेरे बच्चों ने क्या कसूर किया है कि वह रियायतें मुझे नहीं मिलतीं ? मुझे वहां पर भी वही फैसिलिटीज मिलनी चाहियें जो पंजाब में मिलती थीं । मैं चाहता हूं कि आप इस आर्गूमेंट का जवाब जरूर दें ।

श्री राम धनी दास (गया—पूर्व—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह चौथा प्रतिवेदन है जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं । १९५१ के अपने पहले प्रतिवेदन के पहले पृष्ठ पर आयुक्त महोदय ने ठीक ही कहा है कि, "हरिजनों में भी प्रत्येक जाति को किसी न किसी जाति को अपने से हीन समझने का गौरव प्राप्त है, केवल एक ही जाति ऐसी है जो उत्तर भारत में भंगी या हलालखोर, बिहार में डोम, तथा मद्रास में मदारू के नाम से पुकारी जाती है जो कि इस नियम का अपवाद है ।" अपने कथन के समर्थन में उन्हों ने महात्मा गांधी को उद्धृत किया है ।

१९५२ के अपने दूसरे प्रतिवेदन के पृष्ठ १४१ पर वह कहते हैं कि, "शहरों और कस्बों में नागरिक जागरूकता इतनी सुप्त और क्षीण है कि निगम, नगरपालिकायें और जिला बोर्ड इत्यादि अपने मेहतर, डोम, भंगी और महार हरिजन कर्मचारियों के लिये स्वच्छ मकान, प्रकाश तथा जल का प्रबन्ध जैसी साधारण सुविधाओं की व्यवस्था करने में आगा पीछा करती हैं ।" १९५३ के अपने तीसरे प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये वह कहते है कि, "अनुसूचित जाति की उन्नति और प्रगति की असली कसौटी भंगियों, डोमों और मेहतरों की दशा है जोकि सब से अन्तिम सीढ़ी पर हैं ।"

यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिये लाखों रुपये खर्च कर रही हैं परन्तु इस से उन जातियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है जिन का कि मैं उल्लेख कर रहा हूं ।

[श्री राम धनी दास]

इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि हरिजन सुधार के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि जिन की आवश्यकता अधिक है उन को सहायता अधिक दी जाये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये और उनके निर्वाह तथा उन की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विशेषज्ञों और तत्सम्बन्धी जातियों के प्रतिनिधियों की एक जांच समिति नियुक्त करने को कहे। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारें इस बात पर निगाह रखें कि कौन कौन सी हरिजन जातियां शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं। मुझे यह देख कर हर्ष होता है कि तीसरे प्रतिवेदन के पृष्ठ २२३ पर स्वयं आयुक्त महोदय ने भी शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया है।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जब कभी सरकार हरिजनों को नामनिर्देशित करें तो नामनिर्देशन उन का किया जाय जिन को प्रतिवेदन में निकृष्टतम बताया गया है।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का परिपालन सारे देश में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा वरन् हाकिम परगना तथा चौकीदार जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा भी कराया जाये।

मुझे विश्वास है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस सभा के और इससे बाहर के अनुसूचित जातियों के सदस्य अनुसूचित जाति आयुक्त के चौथे प्रतिवेदन की राह देख रहे थे और उनका विचार था कि उस में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जातियों की आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी निर्योग्यताओं की ओर इस तीन वर्ष की अवधि की वास्तविक सफलताओं की विस्तृत जानकारी होगी। अनुसूचित जाति आयुक्त ने हमें बताया है कि राज्य सरकारों ने सहानुभूति, समर्थन और सहयोग प्रदान नहीं किया। संघ के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्त के प्रति जब राज्य सरकारों का यह रवय्या है तो हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के सुधार के लिये काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की स्थिति क्या होगी इस का सभी भली भांति अनुमान लगा सकती है।

मेरा विचार है कि वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन ने अनुसूचित जातियों की सहायता करने के बजाय उन का अहित ही अधिक किया है। जब पहला प्रतिवेदन तैयार हो रहा था तो राज्य सरकारों के अधिकारियों को हरिजन सुधार मे कुछ भय और उस के प्रति कुछ रुचि थी परन्तु जब उन्हों ने देख लिया कि अनुसूचित जाति आयुक्त के प्रतिवेदन की सभा में यह कद्र की जाती है तो वे और ढ़ीले पड़ जायेंगे। परन्तु मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि नये गृह-कार्य मंत्री पंडित गोबिन्द वल्लभ पन्त की सहायता से हमारी शिकायतें थोड़े ही समय में दूर हो जायेंगी क्योंकि बावजूद इस के कि भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री से बराबर कहा जा रहा था कि संघ लोक सेवा आयोग में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाये। वह साढ़े तीन वर्ष की अवधि में सारे देश में से ऐसा भी एक व्यक्ति नहीं खोज पाये जिसे इस पद पर नियुक्त किया जा सकता, और हमारे नये गृह-कार्य मंत्री ने पांच छ : मास में ही सुदूर दक्षिण से एसा व्यक्ति खोज निकाला है। इसलिये हमें वर्तमान गृह-कार्य मंत्री से बहुत आशायें हैं। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की आर्थिक

सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये प्रत्येक जिले में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाये जिस को पर्याप्त शक्तियां दी जायें और पुलिस को इन अधिकारियों की सहायता करने का आदेश दिया जाये । इन को निश्चित प्रकार के काम दिये जायें और इन का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाये जिस से कि पता चल सके कि एक निश्चित अवधि में इन्हों ने कितना काम किया ।

हम ने हाल ही में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पास किया है परन्तु इस का परिपालन कराने के लिये जिलों में कोई समुचित अभिकरण नहीं है । जो कुछ भी है वह पुलिस पर निर्भर है और पुलिस बहुधा अनुसूचित जातियों के मुकाबले में तथाकथित सवर्ण जातियों का ही समर्थन करती है । इसलिये जब तक विशेष अधिकारियों को पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं होगा हरिजनों को इस अधिनियम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है ।

मेरा एक और सुझाव यह है कि अस्पृश्यता निवारण की कोई भी जिम्मेदारी हरिजनों पर न रखी जाये क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि हरिजनों को और कम से कम छोटे बच्चों को स्वप्न में भी यह महसूस होने पाये कि इस देश में अस्पृश्यता जैसी भी कोई वस्तु है । इसलिये इस का उत्तरदायित्व सवर्ण जातियों पर और सरकार पर रखा जाना चाहिये । गृह-कार्य मंत्री ने भी अनेक अवसरों पर यही कहा है ।

मैं समझता हूं कि अस्पृश्यता निवारण पर रुपया खर्च करने के बजाय यदि सरकार हरिजनों के लिये प्रविधिक स्कूल खोलने पर रुपया खर्च करे तो उन की आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है । मुझे इस में तनिक भी विश्वास नहीं है कि यदि कोई हरिजन छठे दर्जे तक पढ़ भी जाये तो वह कोई उन्नति कर सकता है क्योंकि आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है और हरिजन अन्य जातियों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पायेंगे । इसलिये प्रविधिक स्कूलों के खोले जाने से उन को निश्चय ही लाभ होगा ।

दूसरी बात मैं सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खंडों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। २२० सामुदायिक परियोजनायें हैं जिन के अन्तर्गत ३२,९५७ गांव हैं और जिन से लगभग २ करोड़ ४ लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । शेष ६०८ राष्ट्रीय विस्तार खण्ड हैं जिन के अन्तर्गत ६६,३३५ गांव हैं और जिन से ४ करोड़ १८ लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । इस सभा में कई बार प्रश्न किया गया है कि इन से कितने हरिजन परिवारों को सहायता पहुंचाई जा रही है परन्तु माननीय मंत्री कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके हैं । इस से स्पष्ट है कि हरिजनों को इन से कोई सहायता नहीं मिल रही है इस लिये गृह-मंत्रालय को चाहिये कि वह राज्यों पर यह जोर दे कि ३० से ले कर ४० प्रतिशत तक उन क्षेत्रों के हरिजन परिवारों पर खर्च किया जाये जो कि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आते हैं । यह निश्चित कर दिया जाये कि सहायता की एक शर्त यह होगी । मैं जानता हूं कि विभिन्न राज्यों में सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिये, हरिजनों को शिक्षा देने के लिये, और उन को काम दिलाने के लिये रुपया खर्च किया जा रहा है परन्तु अनुसूचित जाति आयुक्त ने स्वयं कहा है कि विभिन्न राज्यों में सुधार कुछ अधिक नहीं हो रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय उचित उपाय करे जिस से कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें कम से कम ३० प्रतिशत तक तो पूरी हो जायें ।

[श्री एम० आर कृष्ण]

एक बात मैं द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । योजना आयोग द्वारा योजना पर विचार करने के लिये कुछ समितियां बनाई जा रही हैं । हरिजनों की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिये मैं चाहता हूं कि योजना आयोग अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिन्दू जातियों के उन सदस्यों का एक विशेष विभाग बनावे जो कि हरिजन सुधार के कामों में दिलचस्पी लेते रहे हैं जिस से कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना को तैयार करते समय हरिजनों के हितों पर भी उचित रूप से ध्यान दिया जा सके ।

जब कभी हम इस सभा में रक्षित रिक्तताओं के लिये भर्ती करने के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं तो मंत्रिगण बताते हैं कि हरिजन अभ्यर्थी अपेक्षित स्तर के नहीं पाये गये हैं । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि कुशल बनने में उन्हें कितने वर्ष लगे हैं और उन के माता पिता को उन पर कितना रुपया खर्च करना पड़ा है । अभी कल से आप ने अनुसूचित जातियों को रियायतें देना आरम्भ किया है और आज आप चाहते हैं कि वे दूसरे लड़कों के समान स्तर के हो जायें । माननीय मंत्री यह भूल जाते हैं कि उन के गांवों में पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं, उन की संगति शिक्षित लोगों की है या नहीं है, उन के माता पिता शिक्षित हैं या नहीं, मैं आशा करता हूं कि वर्तमान गृह-कार्य मंत्री इन सब बातों पर ध्यान देंगे । और यह प्रयत्न करेंगे कि हरिजनों की समस्यायें जल्दी से जल्दी हल हो जायें ।

मुझे इस की कोई चिन्ता नहीं है कि मेरे घर ब्राह्मण खाने खाना आता है या नहीं । मैं तो यह चाहता हूं कि हरिजनों के पास रहने के लिये अच्छे घर हों, पहिनने के लिये अच्छे वस्त्र हों, और खाने के लिये अच्छा भोजन हो । यह एक व्यक्ति की मूल आवश्यकतायें हैं और जो सरकार इन की व्यवस्था नहीं कर सकती है वह सरकार कहलाने की हकदार नहीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग इस के लिये बड़ी-बड़ी धन राशियों की व्यवस्था करे और इस प्रकार बुद्धिमानी से खर्च किया जाये जिस से कि हरिजनों को कुछ लाभ हो ।

सभापति महोदय : मेरे पास अभी लगभग ३० चिटें ऐसी हैं जिन में वाद-विवाद में भाग लेने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के नाम हैं परन्तु समय कम है। अभी तक तो मैं पन्द्रह-बीस मिनट के बाद घन्टी बजाता था । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे अनुमति दें कि मैं दस मिनट के बाद घंटी बजाऊं जिस से कि सब को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल जाये ।

श्री जांगड़े : बहुत से सदस्यों ने हरिजनों की उन्नति के सम्बन्ध में नये नये सुझाव पेश किये हैं और जब से माननीय श्री पन्त जी इस सदन में आये हैं, तब से हरिजनों की उन्नति का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । उन्हों ने आते ही एक हरिजन को अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया और यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन में भी एक हरिजन को उन्हों ने सदस्य बनाया । मैं समझता हूं कि यदि पन्त जी १९५० से ही गृह मंत्री हो गये होते, तो आज तक इस देश के हरिजनों की बहुत दूर तक उन्नति हो सकती थी । यह तो मंत्रियों के रुख पर निर्भर करता है कि हरिजनों की उन्नति हो या न हो । यदि मंत्रीगण अपना रुख बदल लें तो हरिजनों की उन्नति में कोई देर नहीं लगेगी ।

एक बात का मुझे दुःख है कि मैं यहां केवल उपमंत्री गृह-कार्य को यहां देखता हूं । दूसरे मंत्री यहां हैं नहीं उन को भी यहां इस समय

रहना चाहिये था ताकि वे हमारे अनुभवों को हमारी दर्द भरी कहानियों को सुन सकते और अपने नीचे के अधिकारियों को उचित आदेश दे सकते। यहां इस समय केवल शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर और उपमंत्री गृह कार्य हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी कहानी दूसरे मिनिस्टरों के कान तक नहीं पहुंच सकेगी।

मुझे एक बात को सुन कर तो बहुत दुःख हुआ है। प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में वे राज्य सरकारों को हरिजनों की छूआछूत निवारण के अलावा और किसी योजना के लिये कोई हैल्प या लोन नहीं देंगे। इस का नतीजा यह होगा कि इस ढिलाई का राज्य सरकारें नाजायज फायदा उठायेंगी। हमारे शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर कहते हैं कि यह तो राज्य सरकारों का सबजैक्ट है इस में हम क्या कर सकते हैं, राज्य सरकारें हमारी बात मानें या न मानें। अगर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हरिजनों के लिये छूआछूत निवारण के अलावा और किसी योजना में सहायता नहीं देंगी तो इस का यह नतीजा होगा कि कुछ दिन बाद हम को यह देखने को मिलेगा कि कई राज्य सरकारों ने हरिजनों की उन्नति के लिये कुछ नहीं किया है।

मेरा एक और सुझाव है। आप ४,३०० करोड़ की दूसरी पंच वर्षीय योजना बना रहे हैं। हरिजनों के लिये इस योजना में क्या होना चाहिये था इस विषय में आप को संसद् के हरिजन बैकवर्ड क्लासेज, और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को कन्सल्ट करना चाहिये और जो सहायता वे इस कार्य में दे सकते हैं वह सहायता उन से ली जानी चाहिये। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अगर आप हरिजनों की सलाह उन के मामलों में नहीं लेंगे तो जो काम आप उन के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करेंगे वह अधूरा होगा। अगर आप इस विषय में हमारी सलाह और सहयोग नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हरिजनों और आदिमजातियों की आर्थिक उन्नति में बहुत देर और ढिलाई हो जाये। जो कुछ रुपया हरिजनों के लिये रखा जाता है उस में बहुत सा तो एस्टेबलिशमेंट पर खर्च हो जाता है और जो रचनात्मक कार्य हरिजनों के लिये होना चाहिये वह नहीं हो पाता। इस चीज को मैं ने देखा है, जाना है, सुना है और इस के बारे में यहां कई बार आलोचना भी की है।

दूसरी बात मुझे सेंसस (जनगणना) के बारे में कहनी है। बिहार के प्रत्येक जिले में जनसंख्या बढ़ी है पर एक जिले दरभंगा में हरिजनों की संख्या घट गई है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि वहां के हरिजनों ने अपने को सवर्ण लिखवाया हो। जब हम सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल और डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल के पास जाते हैं तो हमें वहां भी यही उत्तर मिलता है कि दरभंगा में हरिजनों की संख्या घट गई है किन्तु उन को इस का कारण ज्ञात नहीं है। जो और जनगणना के अधिकारी हैं उन को भी इस का ज्ञान नहीं है कि यह संख्या क्यों कम हो गई है। अगले चुनाव आने वाले हैं। इस कमी का नतीजा इस में बुरा निकलेगा। मैं समझता हूं कि इस गलती को अब इसी तरह से ठीक किया जा सकता है कि आप १९०१, १९११, १९२१, १९३१, और १९४१ की सेंसस को देखें और उस के अनुसार उस संख्या को बढ़ावें। तभी हम वहां के लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। इस में केवल हरिजन सीटों का ही सवाल नहीं है इस में कर्तव्य परायणता वफादारी का प्रश्न है। मुख्य प्रश्न तो यह है कि हमें उन लोगों के साथ न्याय करना चाहिये। इस के लिये ग्रह-कार्य मंत्री सहाब को आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

अब मैं बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप ने पहले परिसीमित समिति बनाई थी। उस की रिपोर्ट सरकार के पास है। अब यह बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन कुछ जातियों को शामिल करेगी कुछ को

[श्री जांगड़े]

निकालेगी। इसलिये उन की संख्या का फिर से निर्धारण करना पड़ेगा। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। संविधान के अनुसार इस कमीशन की स्थापना हुई है। उस की रिपोर्ट अभी भी कानफिडेंशियल है। सदन के सदस्यों को मालूम नहीं है। मालूम नहीं कि राज्य सरकारों को उस के बारे में कुछ मालूम है या नहीं। पता नहीं कि फिर चुनाव परिसीमन समिति बनाई जायेगी। इस बात में कितनी देर लगेगी यह नहीं मालूम। गृह-कार्य मंत्री साहब को यह चीज़ पहले करनी थी। मैं इस बात के लिये सदन से और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत जल्द बहस हो जानी चाहिये। शिशिर काल में जो इस सदन का सत्र होने वाला है उस में उस पर विचार होना चाहिये ताकि १६५७ में या जब भी चुनाव हों तो बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की सिफारिशों से फायदा हो सके। यदि बैकवर्ड क्लासेज़ ने कुछ जातियों को शामिल किया या नहीं किया तो उस का नतीजा यह होगा कि १६६० तक हमारे प्रतिनिधित्व और संरक्षण का कोई अर्थ नहीं रहेगा और बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की स्थापना का हमारे लिये कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिशिर कालीन सत्र में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो जाये और सरकार उस पर अपना अन्तिम निर्णय दे दे। राज्य सरकारों से भी राय ली जाये, लेकिन अगर राज्य सरकारें ढिलाई करें तो उन की राय की परवाह न कर के केन्द्रीय सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिये।

मेरी यह सूचना है कि जहां अनुसूचित आदिमजातियों का सवाल है वहां तक तो ठीक है। उन के लिये आल इंडिया अनुसूचित आदिमजाति कान्फ्रेंस बुलाई जाती है यदि इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों के हरिजनों के बारे में एकसूत्रता लाने के लिये, गृह मंत्रालय एक आल इंडिया हरिजन कान्फ्रेंस अर्ध सरकारी तौर पर बुलाता तो कितना अच्छा होता। उस में केन्द्र के और राज्यों के हरिजनों से सम्बन्ध रखने वाले मिनिस्टर शामिल होते, संसद सदस्य शामिल होते और गैर सरकारी हरिजन संस्थाओं के कार्यकर्ता भी आते और हरिजनों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते। इस विषय में शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर को कुछ सुझाव देना चाहिये था पर उन्होंने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। मैं ने आल इंडिया शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कान्फ्रेंस को जब देखा तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि यदि इसी तरह की कान्फ्रेंस हरिजनों के लिये भी की जाती, या इसी के साथ मिला कर ही हरिजनों की भी कान्फ्रेंस सेमी गवर्नमेंट लेविल पर की जाती तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसा होता तो हम अपनी समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते, हम में आपस में अधिक प्रेम बढ़ सकता था और हम सारे देश के लिये एक यूनीफार्म पालिसी निर्धारित कर सकते।

अब मैं अपने प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अनुसूचित जाति आयुक्त ने हम को बतलाया है कि हर प्रान्त में कितने मंत्री और उपमंत्री हमारे लिए काम कर रहे हैं लेकिन जब हम केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जातियों के विषय में प्रश्न करते हैं तो वह अस्वीकृत कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह तो राज्य सरकारों का विषय है। कहा जाता है कि इस विषय में हम कोई आर्डर नहीं दे सकते, केवल सलाह दे सकते हैं, उस को राज्य सरककारे

चाहे मानें या न मानें इस का उन को अधिकार है । मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार आप शिड्यूल्ड ट्राइब्स को सेंट्रल सब्जेक्ट माना है उसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स को भी सेन्ट्रल सब्जेक्ट मान लें, नहीं तो कम से कम इस विषय को कानकरेंट लिस्ट में रख दें । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रान्त हरिजनों के काम में उपेक्षा दिखाते हैं उन पर आप सख्ती कर सकेंगे और तभी हमारी उन्नति होगी । यदि आप इस को स्टेट सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो हरिजनों की उन्नति कई प्रान्तों में नहीं हो सकेगी । मैं उन प्रान्तों का यहां पर नाम नहीं लेना चाहता ।

मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में हरिजनों के लिये कितना खर्च किया गया इस का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है । दूसरी पंच वर्षीय योजना में वहां की सरकार क्या खर्च करेगी इस बारे में भी कोई ब्योरा नहीं दिया गया है । केन्द्रीय सरकार कहती है कि हम केवल हरिजनों की छूआछात निवारण के लिये ही पैसा देंगे और कार्यों के लिये नहीं देंगे । यदि केन्द्रीय सरकार दूसरी पंच वर्षीय योजना में हरिजनों के अन्य कार्यों के लिये कुछ सहायता नहीं देगी तो मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में जहां हरिजनों के प्रति उपेक्षा दिखाई जाती है, हरिजनों की कैसे उन्नति होगी । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार ध्यान दे ।

अब मैं सरविसेज के ऊपर आता हूं । जब से पन्त जी आये हैं तब से गृह मंत्रालय में और रेलवे को छोड़ कर अन्य मंत्रालयों में भी हरिजनों के प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही है । यदि इसी तरह की सहानुभूति बढ़ती गई तो हरिजनों की उन्नति हो सकती है । लेकिन जो विभागों के अधिकारी हैं वे हरिजनों के प्रोमोशन में कुछ जातिवाद का ऐसा चक्कर लगाते हैं कि हरिजनों को नौकरी मिल जाती है तो उन का प्रोमोशन नहीं हो पाता । बार बार गृह मंत्रालय के आदेश जाते हैं पर कोई परिवर्तन नहीं होता । एक हरिजन बरसों क्लर्की पर रगड़ता रहता है उस को प्रोमोशन नहीं मिलता । इस ओर भी सरकार को निगाह रखनी चाहिये ।

मैं एक चीज़ और नहीं समझ सकता कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जितने मंत्रालयों के कर्मचारी हैं उन के लिये अलग कानून हैं और रेलवे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये दूसरे कानून क्यों रक्खे जाते हैं । रेलवे मंत्रालय में इम्तिहान होता है जबकि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ मंत्रालयों में कोई इम्तिहान नहीं होता । गृहविभाग ने अपने यहां हरिजनों के लिए रिज़रवेशन रखा है पर रेलवे मंत्रालय ने अपने यहां कोई रिज़रवेशन नहीं रखा है मैं रेलवे के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर हमेशा दिलाता रहता हूं परन्तु कोई उत्तर नहीं मिलता और मैं समझता हूं कि जब तक उनका उत्तर हमें प्राप्त होगा तब तक हमारी पार्लियामेंट की मेम्बरी खत्म हो चुकी होगी । उसके बाद हमें ऐसा उत्तर प्राप्त होगा जो कि एक दिन में तैयार किया जा सकता है । रेलवे मंत्रालय में हरिजनों को विशेष संरक्षण और रिज़रवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है । क्योंकि यह बहुत काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है और इस में क़रीब १० लाख लोगों को नौकरी मिलती है । वह सब से बड़ा मंत्रालय है जहां कि १० लाख आदमी काम करते हैं जबकि और सब मंत्रालयों में कुल मिला कर ७ लाख से ज्यादा आदमी काम नहीं कर रहे हैं और रेलवे विभाग में इस की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है ..

श्री दातार : माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं । रेलवे में रक्षित अभ्यंश हैं ।

श्री जांगड़े : मुझे हाल ही में एक पत्र मिला है कि गृह कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से सहायक अधीक्षकों के लिये एक परीक्षा ली थी जिस प्रणाली को रेलवे मंत्री नहीं अपनाते ।

श्री दातार : परन्तु माननीय सदस्य ने तो यह कहा है कि रेलवे मंत्रालय में रक्षित अभ्यंश की प्रणाली नहीं अपनाई जाती । गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ करें । माननीय सदस्य को रेलवे मंत्रालय के संबंध में अनुचित नहीं कहना चाहिये ।

डा० जाटववीर (भरतपुर सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसुचित जातियां) : यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और उस के सम्बन्ध में मैं थोड़े में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस में कोई सन्देह नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने जिस परिश्रम से और जिस मेहनत से इस रिपोर्ट को तैयार किया अगर यह ठीक समय पर पेश की गई होती तो आज जो हरिजन सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, वे सारे काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव करते । मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वे भविष्य में सतर्कता से काम लें और कहीं ऐसा न हो कि हमारे भाई श्रीकान्त सन् ५५ की जो रिपोर्ट काफ़ी परिश्रम से तैयार कर रहे हैं, वह वक्त पर न पेश हो सके और इतने में इलेक्शन सिर पर आ जाय और आप लोग तड़पते ही रह जायें ।

हमारे गृह मंत्री महोदय ने इस सदन के अन्दर अस्पृश्यता अपराध क़ानून बनाया संबंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव और उस के अनुसार उन्हों ने हम तमाम सुविधायें दीं । उस ऐक्ट के लिये हम उन को धन्यवाद देते हैं परन्तु मेरी शिकायत यह है कि वह ऐक्ट केवल यहां पर बन कर सदन में ही रह गया है और जब स्टेट गवर्नमेन्टों से उस के विषय में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमें उस के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे स्टेट गवर्नमेंट्स को आवश्यक आदेश जारी करे ताकि वहां पर इस क़ानून को अमल में लाया जाय । मैं अपने उपमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं । उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स को यह आदेश देना चाहिये कि जो सरकारी होटल अथवा होस्टल हैं वहां पर सरकारी हरिजन कर्मचारियों को खाना खिलाने में भेदभाव नहीं बर्तना चाहिये । राजस्थान और यू० पी० की बाबत मैं जानता हूं कि जो हमारे हरिजन रिक्रूट हैं, जैसे कांस्टेबुल हैं, उन को उन सरकारी होटलों में सवर्णों के साथ खाना नहीं परसा जाता है बल्कि उन्हें खाना अलग दिया जाता है, उन के बर्तन अलग मांजे जाते हैं और उनसे मंजवाये जाते हैं । इस तरह का भेदभाव और छुआछूत हमारे भाइयों के साथ बर्ती जाती है। इसी तरह मैं आप को बतलाऊं कि राजस्थान में और यू० पी० में जो ट्रेनिंग स्कूल हैं आगरा और फ़तेहपुर वगैरह में, वहां पर हरिजन लड़कों को स्वयं अपने बर्तन मांजने पड़ते हैं जबकि सवर्णों के लिये यह ज़रूरी नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस तरह के भेदभाव को हटाने के लिये क्या किया है इसी तरह की दर्दनाक हालत दूसरे प्रान्तों में भी हमारे भाइयों की है । इसी तरह हम देखते हैं कि आप के पोस्टल डिपार्टमेंट में दिल्ली में हा जो हरिजन भाई पैकर्सआदि को हेसियत से

काम कर रहे हैं उन को पानी पीने के लिये नल पर जाना पड़ता है, वह सुराही में से पानी नहीं पी सकते । देहली पोस्ट आफ़िस के अन्दर यह भेदभाव हरिजन और सवर्ण कर्मचारियों के बीच में बर्ता जा रहा है । इस को मिटाने के लिये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा सर्कुलर या आदेश स्टेट गवर्नमेंट को भेजें या अगर वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो सम्बन्धित डिपार्टमेंट को भेजें ताकि यह छुआछूत जल्दी से जल्दी वहां से मिट जाय ।

मैं गृह मंत्री का ध्यान जिस में पंडित खुशी राम संसद मदस्य मेरठ वाले केस परवापुरा की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । जिस में बाल्मीकों के बीस मकानात तुड़वा दिये गये और उन का रास्ता भी रोक दिया, उन का खेत काटना तक बन्द कर दिया गया, इस के लिये वह स्टेट गवर्नमेंट के पास गये, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला । यह दशा आजकल हो रही है । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, वह दर्ज नहीं करती, कलक्टर के पास जाते हैं, कलक्टर नहीं सुनता, एस० पी० के पास जाते हैं, एस० पी० नहीं सुनता । आखिर बेचारे ने हम को यहां पर टेलीफ़ोन किया और हम लोग मौक़े पर गये, दो महीने बाद वहां के एस० डी० एम० और डी० एस० पी० वहां पर जाते हैं और राज़ीनामे की कोशिश करते हैं कि राज़ीनामा कर लो । तो इस तरह की दुर्दशा उन की बनी और वर्षा में वे बेचारे तंग होते हैं लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है ।

अकेला यही क़िस्सा नहीं, राजस्थान का मैं आप को एक क़िस्सा बताऊं कि आप का ऐक्ट पहली जन से लागू हुआ और २९ जून को वहां पर हारजनों की शादी की बारात नहीं चढ़ने दी और बाजा नहीं बजने दिया और दूलहे के सिर पर से मौर उतार कर ले गये । जब पुलिस में इस को रिपोर्ट लिखाने गये तो उन्हों ने कोई समाधान नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ । पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो बहुत कुछ कहने सुनने पर रिपोर्ट तो लिख ली जाती है लेकिन उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है । मैं ने आगरा एस० पी० से कहा कि आखिर अब तो ऐक्ट बन गया है जो अस्पृश्यता बर्तता हुआ पकड़ा जाय उस का आप चालान कीजिये और उस पर ऐक्शन लीजिये, लेकिन तजुर्बा यह बतलाता है कि कोई कार्यवाही नहीं होती है और अपराधियों को दंड नहीं मिलता है । पुलिस के पास सूचना पहुंचने पर थानेदार चला जाता है और जा कर उन से कहता है कि भाई आपस में तुम लोग राजीनामा कर लो, उस से कहला दिया जाता है कि भविष्य में मैं अस्पृश्यता का अपराध नहीं करूंगा और उस को बस छोड़ दिया जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि आपके यहां से सेन्टर से स्टेट गवर्नमेंट्स को इस विषय में स्पष्ट आदेश जाने चाहियें कि ऐसे अपराध करने वालों को माफ न किया जाय और उन्हें उचित दंड दिया जाय तभी इस देश से अस्पृश्यता का कलंक दूर हो सकता है अन्यथा नहीं । खाली जरनल में अपने आदेश अथवा आर्डर को निकाल देने से कुछ नहीं होने वाला है, उस के लिये आप का सर्कुलर जाना चाहिये और स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर वह सर्कुलर आर्डर अपने तमाम जिला अधिकारियों के पास भेजना चाहिये । यदि आप को छुआछूत मिटाना है, सर्विस इत्यादि के विषय में, तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप उस के लिये उपाय सोचिये । अगर हरिजनों और सवर्णों में छुआछूत मिटा कर प्रेम उत्पन्न करना है तो आप आदेश कीजिये, और आप यह कर सकते हैं, कि रेलवे मिनिस्ट्री के जो आइस वन्डर्स हैं जो यात्रियों

[डा० जाटववीर]

को पानी आदि पिलाते हैं, वह केवल हरिजन ही रक्खे जायें । ऐसा कर के आप देखिये कि अस्पृश्यता दूर होती है या नहीं ।

मैं पुलिस के सम्बन्ध में अपने गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देहली में वह मुझे बतलायें कि जो पुलिस उन के नीचे है उस में कितने दलित जाति के लोग हैं ? पता नहीं, मुझे इस का जवाब भी मिलेगा या नहीं ।

इसी प्रकार से श्री जांगड़े ने सर्विस में हमारे प्रमोशन के बारे में कहा कि आप हरिजनों को ऊंचे स्थानों में पहुंचायें । मैं अपने माननीय पंत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने पहले भी इस सम्बन्ध में काफी किया है, और अब यहां आये हैं, हो सकता है कि यहां भी कुछ करें । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि कितने आदमी जिन का कार्य बहुत अच्छा है, जिन्हों ने बड़े बड़े डाकू पकड़े हैं, जो दलित जाति में से एस० पी० बने हैं, आई० पी० बनाये गये हैं । जो लोग उन के बाद एस० पी० हुए हैं ऐसे दो चार आदमी आई० पी० बना दिये गये, लेकिन उन को अवसर नहीं दिया गया । उन का कार्य अच्छा है, सर्विस बुक भी अच्छी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

इस के बाद एक बात मैं जमीनों के वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जो खेतिहर भूमि है उस में काम करने वाले अधिकतर दलित जाति के लोग हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ७५ फी सदी लोग दलित जाति के हैं । यहां भी इस बात पर कई बार ध्यान दिलाया गया, स्टेटों में भी दिलाया गया, राजस्थान में जब एक हरिजन कल्याण बोर्ड बना तो मैं ने कहा कि वहां पर ३३ १/३ फी सदी हरिजनों को दे दी जाये, उन हरिजनों को जो कि खेतिहर मजदूर हैं । लेकिन इस का नतीजा क्या निकलता है ? कुछ नहीं । यह भूमिहीन लोग हैं कौन ? रूपवासा में जमीन दी गई तो लाला जी को जो कि मिठाई बनाते हैं । वही तो भूमिहीन हैं । और वही लोग बाद में जमीन को हरिजनों को बटाई पर दे देते हैं । इस तरह से हो रहा है । यह इस लिये होता है कि जो जमीन वितरण करने वाली संस्था है, उस में हरिजनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह कोई ऐसा आदेश दें कि जो भूमि वितरण करने वाली हमारी संस्था है उस में हरिजनों का प्रतिनिधि लिया जाय । ऐसा करने से ही भूमि की समस्या हल हो सकती है । हरिजनों का उद्धार खाली नौकिरियां दे देने से ही नहीं हो सकता है । उस के लिये उन की आर्थिक अवस्था को सुधारना पड़ेगा । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक उन की हालत सुधर नहीं सकती है ।

इस के अलावा आप मिलिटरी को भी ऐसे आदेश करें कि वे ठेकेदारों को बिल्कुल उड़ा दें । जूते बनावें तो हरिजन लोग और फायदा उठायें बीच के ठेकेदार लोग या दूसरे लोग । यह बड़े अचम्भे की बात है कि आगरे के अन्दर से आप के पास जूते आते हैं । सारा रुपया ठेकेदारों को दे दिया जाता है और वह २ (दो) रुपया हर जोड़े हिसाब से काट कर जूते बनवा लेते हैं और भेज देते हैं । कोई वजह नहीं है कि यह लोग मुफ्त का रुपया खावें । यह गृह उद्योग हरिजन लोग करते हैं और उन को सहायता दे कर उस को सफल बनाना चाहिये । फौज को सीधे उन्हीं से जूते खरीदने चाहियें ।

अन्त में मैं श्रीकान्त साहब को, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर हैं, धन्यवाद देता हूं और गवर्नमेंट को यह ध्यान दिलाता हूं कि उन्हों ने अपनी पहली रिपोर्ट में और दूसरी में भी यह सुझाव दिया है कि सेन्ट्रल हरिजन कल्याण बोर्ड बनाया जाय । मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र सेन्टर में एक हरिजन कल्याण बोर्ड बनावे ताकि जो यहां सारे भारतवर्ष के एम० पी० आये हुए

हैं वह भी यहा पर अपने विचार प्रकट कर सकें, और शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट कर सकें और आप को अपनी सलाह दें ।

श्री नानादास : संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदि जाति आयुक्त को संविधान के द्वारा इन जातियों को दिये गये संरक्षणों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों की जांच करना और उस के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यहां हमें इस बात का परीक्षण करना होता है कि आयुक्त ने अपने कर्तव्य का कहां तक पालन किया है ।

यदि हम प्रतिवेदन का अच्छी प्रकार अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से पता लग जायेगा कि आयुक्त ने कोई गहन तथा गंभीर खोज नहीं की है, उन्हों ने इस समस्या का कोई गहन अध्ययन नहीं किया है और न किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव ही दिया है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त ने साहस और निर्भयता से काम नहीं लिया है । उन्हों ने अपने सच्चे उद्गारों को भी अभिव्यक्त नहीं किया है । इसीलिये उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में कोई नवीन क्रांतिकारी सुझाव नहीं दिये हैं ।

वास्तव में इन जातियों की समस्या एक इतनी गंभीर समस्या है कि उस के लिये महान क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। परन्तु आयुक्त महोदय इस कार्य में असफल रहे हैं। आयुक्त से ऐसे प्रतिवेदन की आशा नहीं थी ।

यह प्रतिवेदन तो केवल उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करने के लिये ही लिखा गया है, इस में तो केवल कांग्रेस दल की ही प्रशंसा की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिवेदन तो कांग्रेस का प्रचार करने के लिये ही लिखा गया है ।

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

आयुक्त ने १९५४ के प्रतिवेदन के पृष्ठ १०३ पर लिखा है कि, "केवल आर्थिक विकास से ही अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है" । परन्तु मैं उन के इस कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम में से प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि आर्थिक विकास ही एकमात्र साधन है जिस से इस समस्या का हल हो सकता है। इस के अतिरिक्त आयुक्त ने १९५३ के प्रतिवेदन के पृष्ठ २२२ पर लिखा है कि, "सामान्यतः यह समझा जाता है कि अस्पृश्यता जाति पाति वर्णाश्रम प्रणाली का ही परिणाम है, और इसे दूर करने में बहुत समय लगेगा" । परन्तु ऐसा नहीं है । मैं आयुक्त के इस कथन से सहमत नहीं हूं। हम सभी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अस्पृश्यता जाति पांति की ही एक देन है और जितनी जल्दी जाति पांति प्रणाली समाप्ति होगी, उतनी ही जल्दी ही अस्पृश्यता का भी निवारण होगा । इसी प्रकार से आयोग ने १९५१ के प्रतिवेदन के भाग ३ के पृष्ठ १ पर लिखा है कि, "हरिजन तो नीच कर्म करने के आदी हो गये हैं, वे तो नीच कर्म करने में ही गर्व समझते हैं, और उच्च कर्म करने से संकोच करते हैं" । मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं हरिजन उच्च कर्म करने से अथवा उच्च स्थानों पर काम करने से कभी भी संकोच नहीं करता है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्हें समान अवसर दिये जाते हैं। यदि उन्हें कोई ऊंचा स्थान दिया जाये तो वे कदापि इन्कार नहीं करेंगे । यदि सरकार अनुसूचित जातियों के बच्चों को शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगी तो हम कदापि इन्कार नहीं करेंगे। परन्तु दुःख यह है कि ऐसे अवसर दिये ही नहीं जाते हैं ।

मेरे मतानुसार देश से अस्पृश्यता दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक तो है अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा को उन्नत करना और दूसरा है जाति पांति का उन्मूलन ।

[श्री नानादास]

प्रतिवेदन में यह लिखा है कि जाति पांति के उन्मूलन के दो उपाय हैं। प्रचार और समझाना बुझाना। परन्तु इन उपायों से समस्या हल नहीं हो सकती है।

आर्थिक दशा को उन्नत करने के बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार १९६० के अन्त तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्येक कृषिकार परिवार को कम से कम चार एकड़ भूमि आवंटित करे।

जाति पांति प्रणाली के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम इस प्रणाली **का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं करेंगे, तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकेगी।** हमारे देश की उन्नति के मार्ग में जाति पांति ही सब से बड़ी बाधा रही है।

इस जाति पांति प्रणाली को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है---अन्तर्जातीय विवाह। और इस के लिये सारे हिन्दू समाज को दस प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया जाये और उन वर्गों में पारस्परिक विवाह होने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। यदि हम ऐसा करन का साहस करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अस्पृश्यता का इस देश में नाम निशान नहीं रहेगा।

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय गृह कार्य मंत्री तथा उप मंत्री को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये बनाई गई ऐसी सुन्दर योजना बनाने के लिये बधाई देता हूं। मैं आयुक्त महोदय को भी बधाई देता हूं कि उन्हों ने इतना सुन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आयुक्त महोदय की विरोधी पक्ष द्वारा की गई आलोचना निराधार है। आयुक्त महोदय वास्तव म एक अनुभवी और सच्चे देशभक्त हैं।

भूमि, जल और वायु में ये तीन चीजें भगवान की ओर से मनुष्य को कर-विहीन वरदान के रूप में प्राप्त हुई हैं। यदि भारत की कृषि योग्य भूमि को न्याय के आधार पर बांटा जाय तो कोई समस्या ही न रहे। परन्तु वास्तव में एसा नहीं किया गया है। अंग्रेजों ने यह भूमि सवर्ण हिन्दुओं को दे दी और छोटी जाति वालों को सवर्ण हिन्दुओं के अधीन रह कर काम करते हुए अनेक कष्ट सहने पड़े। बड़ी जाति वाले छोटी जाति वालों का शोषण करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। छोटी जाति वालों को बड़ी जाति वालों के पास रहने भी नहीं दिया जाता है। अतः मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या को शीघ्रातिशीघ्र हल करें और छोटी जातियों के प्रत्येक कृषिकार परिवार को पांच एकड़ कृषि योग्य भूमि और बैलों की एक जोड़ी प्रदान की जाये। हम ने समाज की बड़ी भारी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं, परन्तु हमें इस सेवा का फल क्या मिला है ?

यदि हम चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान हो तो उस के लिये किय जा रहे कार्य की गति बढ़ाई जाये। केवल एक मंत्री या उपमंत्री की नियुक्ति से कोई कार्यसिद्धि नहीं होगी। इसलिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि वह इस समस्या की ओर पूरा ध्यान देवें।

सामाजिक लोकतन्त्र से ही राजनीतिक लोकतन्त्र की प्राप्ति होती है। इसलिये यदि हम वास्तविक राजनीतिक लोकतन्त्र चाहते हैं तो उस के लिये इन जातियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना परमावश्यक है। उन का जीवन स्तर ऊंचा करना ही होगा।

श्री जयपाल सिंह : सरकारी बैंचों की ओर से कौन व्यक्ति नोट ले रहा है ? गृह-

कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य उपमंत्री दोनों ही इस समय अनुपस्थित हैं ।

सभापति महोदय : उन की अनुपस्थिति में सभा-सचिव और संसद् कार्य-मंत्री महोदय दोनों ही नोट ले रहे हैं । गृह-कार्य उपमंत्री भी वापिस लोट आये हैं ।

श्री अमर सिंह डामर (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं यहां पर हरिजन भाइयों के भाषण सुनता रहा । उन्हों ने अपने भाषणों में कहा कि हरिजनों के लिये एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये । उन्हों ने हरिजनों की सर्विस के बारे में कहा , और भी बहुत सी बातें कहीं । हरिजनों और आदिवासियों की समस्यायें कुछ अंश में एक सी हैं और कुछ अंश में भिन्न भिन्न हैं। हरिजन कस्बों और बड़े शहरों में रहते हैं इसलिये वे पढ़ लिख गये हैं और समझदार हो गये हैं । लेकिन आदिवासी लोग तो जंगलों में रहते हैं, उन के पास पढ़ने लिखने के कोई साधन नहीं हैं। इसलिये वे लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं । मैं मध्य भारत से आया हूं । मध्यभारत सरकार ने सन् १९५४--५५ का जो बजट आदिवासियों के लिये बनाया है उस के बारे में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं । इसी रिपोर्ट में लिखा है कि मध्य भारत सरकार ने आदिवासियों के लिये, जिन की संख्या राज्य में १०,६०,८१२ है, जो कि दूसरे लोगों का १/८ भाग है, ३,३८,००० शिक्षा के लिये रखा है, २,२३,५०० कृषि के लिये रखा है, १,५४,५०० गृह उद्योगों के लिये रखा है, ३,३७,५०० संचार के लिये रखा है, ७०,००० चिकित्सा के लिए रखा है, ६,८१,००० प्रशिक्षण के लिए रखा है और इस के अतिरिक्त एक २५,००० का अनुदान रखा है । और सामूहिक कल्याण के लिये ६,७७,९७० रखा है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यभारत में आदिवासियों की संख्या दस लाख है जो कि किसी भी मी० सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव स्टेट से कम नहीं है । इन दस लाख आदमियों के लिये राज्य सरकार ने १९ लाख रुपया रखा है जो कि प्रति व्यक्ति दो रुपया पड़ता है । यह सोचने की बात है कि इस दो रुपये प्रति व्यक्ति से इन लोगों का कितना कल्याण हो सकता है ।

रिपोर्ट में कमिश्नर महोदय ने कहा कि आदिवासियों के लिये कहीं छात्रालय खुले हैं कहीं बोर्डिंग हाउस हैं, कहीं स्कूल चल रहे हैं । लेकिन यह सोचने की बात है कि जो लोग वर्षों से शोषित और पीड़ित हैं वे इस प्रकार की सहायता से किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं । उस रिपोर्ट में आदिवासियों के जो चित्र दिये गये हैं उन से जाहिर होता है कि आज हिन्तुस्तान की स्वाधीनता के आठ साल के बाद उन की क्या अवस्था है । रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ पर उन के जो चित्र दिये गये हैं उन में वे लोग नग्न हैं जो कि गरीबी के निपट द्योतक हैं । इस से आप सोच सकते हैं कि उन को इतने कम साधनों से किस प्रकार उन्नति हो सकती है ।

मध्यभारत में आदिवासियों के तीन जिले हैं जो कि पहाड़ी हैं । ये लोग विन्ध्यचल और सत्पुरा की पहाड़ियों में निवास करते हैं । उन के पास जो खेती की जमीन है वह भी पहाड़ी इलाके की ही है । उस इलाके में वर्षा होने के थोड़े समय के अन्दर ही पानी सूख जाता है और वह अपने साथ उन खेतों की मिट्टी को बहा ले जाता है । यह जो मिट्टी खेतों से कट कट कर जाती है उस की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है । इन खेतों की पहाड़ी जमीन है । यहां मिट्टी गहरी नहीं है । इस के लिये गवर्नमेंट को कोई योजना बनानी चाहिये । इस के अलावा जो दस लाख आदिवासी मध्यभारत में रहते हैं उन में से एक चौथाई के पास खेती की जमीन नहीं है । आज हरिजन भाइयों ने अपनी नौकरियों के लिये आवाज उठाई है । लेकिन आदिवासियों के पास तो पहनने के लिये कपड़ तक उपलब्ध नहीं हैं । उन के लिये तो अभी यह सोचना भ

[श्री अमर सिंह डामर]

मुश्किल है कि वे किस तरह से सरविस म जायेंगे। यह ठीक है कि आगे चल कर वे सरविस में जाने योग्य हो जायेंगे लेकिन अभी तो गवर्नमेंट को उन की रोटी और रोजी का प्रबन्ध करना चाहिये। इस समय उन की एक खास समस्या भूमि की है। सरकार को चाहिये कि उन को भूमि दे। मध्य भारत में जंगल का एरिया है जहां से उन को जमीन दी जा सकती है। इस प्रश्न पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस के अतिरिक्त मध्य भारत में आदिवासियों की गरीबी का मुख्य कारण यह है कि वे कर्जे से बहुत बोझिल हैं। साहूकार उन को एक साल ५० रुपये देता है दूसरे साल वह ७५ रुपये हो जाता है, तीसरे साल १०० रुपये हो जाता है और इसी तरह बढ़ता चला जाता है। एक फूटा बरतन है। जब तक आप उस के फूटे हुए भाग को ठीक नहीं करें, तब तक आप उस में चाहे जितना पानी डालें जाइये वह नहीं भरेगा। इसी तरह से जब तक इन आदिवासियों की यह कर्जे की समस्या हल नहीं की जायगी, चाहे गवर्नमेंट कितना भी रुपया दे उस से उन को लाभ नहीं होगा क्योंकि साहूकार वह रुपया उन से ले लेंगे।

इस के बाद शराब बन्दी की समस्या है। वहां पर शराब बन्दी की खास आवश्यकता है। पास ही में बम्बई राज्य में सरकार ने शराब बन्द कर दी है। इस का नतीजा यह होता है कि मध्य भारत के लोग अपने हाथ से शराब निकालते हैं और उस को बम्बई भेजते हैं। इसी कारण मध्य भारत में भी खूब शराब पी जाती है और शराब पी कर ये लोग झगड़े टंटे करते हैं। भाई भाई आपस में शराब पी कर झगड़ते हैं और मारे जाते हैं और उन के चालान होते हैं और उन पर मुकदमे चलते हैं और उन को सजायें होती हैं। मेरा यह निवेदन है कि मध्य भारत में शराबबन्दी होनी चाहिये और कम से कम उन तीन जिलों झाबुआ, धार तथा नेमाड़ में तो यह अवश्य ही होनी चाहिये।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक सरकार ने जो योजना बनाई है उस के अन्तर्गत आदिवासियों एवं हरिजनों की सहायता करने के लिये कुछ छोटी छोटी योजनायें बनाई हैं जैसे, मधुमक्खी का पालना, शहद इकट्ठा करना और मुर्गी पालने आदि के काम। लेकिन मेरी सम्मत्ति में केवल इतना करना पर्याप्त नहीं होगा और जरूरत इस बात की है कि इन के लिये कोई रेलवे लाइन निकाली जाय, कोई बड़े बांध बनायें जायें और नये कल कारखाने खोले जायें। इस तरह की उन के सहायतार्थ कोई बड़ी योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। ऐसी छोटी छोटी योजनाओं मात्र से यह आदिवासियों की समस्या हल होने वाली नहीं है। वहां पर आदिवासियों की चिकित्सा के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस के अलावा मध्य भारत के इन्दौर और उज्जैन के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना काम कर रही है और युनिवरसिटी इन्दौर में बनाने की बात चली तो सवाल खड़ा किया गया कि उस के मुकाबले में उज्जैन में एक युनिवरसिटी बनाई जाय। इसी तरह जब इन्दौर में एक फारवर्ड मार्केट बनाने का सवाल आया तो यह मांग पेश की गई कि एक मार्केट उज्जैन में भी होनी चाहिये और नतीजा यह हुआ कि मार्केट बनाने का आडर कैंसिल हो गया। कहने का मतलब यह है कि शहरों में भी मध्यभारत के लोग इस तरह के व्यर्थ के झगड़े और उलझन में फंसे हुए हैं और आदिवासियों की अवस्था सुधारने की ओर उन का कोई विशेष ध्यान नहीं जाता है। इसलिये केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि उन की चिकित्सा और शिक्षा आदि के

लिये कोई विशेष योजना बनाई जाय । इस के अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि वर्षों से जो हमारे आदिवासी भाई जंगलों में रह रहे हैं, जिन का कस्बों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उन के लिये शहरों में आने जाने के वास्ते आवागमन के साधन सुलभ होने चाहियें और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि वह शहरों में आ जा सकें और कुछ काम धंधा कर सकें और अपनी रोजी कमा सकें । वहां पर रेलवे लाइन होनी चहिये और नेशनल हाईवेज जैसा कोई मार्ग होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है ।

श्री रामानन्द दास (बैरकपुर) : मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्हों ने इतना पूर्ण, व्यापक तथा पक्षपात-रहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । मुझ इस बात का बड़ा दुःख है कि राज्य सरकारों ने आयुक्त महोदय की पूरी तरह सहायता नहीं की है । प्रतिवेदन की कंडिका ५ में स्पष्टतः उल्लिखित है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी जानकारी निश्चित समय तक नहीं भेजी थी । यदि राज्य सरकारें पूरा सहयोग देतीं तो ये योजनायें अच्छी प्रकार से और शीघ्रता पूर्वक प्रस्तुत की जा सकतीं ।

श्री श्रीकान्त को अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये प्रशासन सम्बन्धी ब्यौरे के बारे में पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था । जब उन्हें राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया था, तो उन को आवश्यक अधिकार तो दिये जाने चाहियें थे । अतः मेरी प्रार्थना है कि आयुक्त को सभी आवश्यक अधिकार दिये जायें ।

अनुसूचित जातियों को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है । वे आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं । अतः उन का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये उन का आर्थिक सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव उत्थान करना होगा । वे कुटीर उद्योगों का सहारा ले रहे हैं, परन्तु ये छोटे उद्योग बड़े उद्योगों से कहां तक प्रतियोगिता कर सकते हैं । सरकार भी इन छोटे उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । मुझे आशा है कि सरकार हरिजनों के इन कुटीर उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिये उचित कार्यवाही करेगी ।

ये व्यक्ति भूमिविहीन श्रमिक हैं । सरकार ने जमींदारी प्रणाली तो समाप्त कर दी है, परन्तु इन अभागों को अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि भूमि इन भूमि-विहीन श्रमिकों और कृषिकों को बांटी जाये । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक इन के जीवन का स्तर कदापि ऊंचा नहीं किया जा सकेगा । आचार्य विनोबा भावे इस भू-दान कार्य में संलग्न हैं, सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस कार्य में उन की पूर सहायता करे ।

अनुसूचित जातियों के व्यक्ति निर्धन हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षा देने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं । इस लिये सरकार से प्रार्थना है कि वह उन के बच्चों को शिक्षा के लिये और अधिक छात्र वृत्तियां दे । कालिजों में तो विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलती ही हैं, परन्तु स्कूलों में कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है । अतः सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के बच्चों को भी छात्रवृत्तियां तथा अन्य प्रकार की सुविधायें प्रदान करे । इस के अतिरिक्त इंजीनियरिंग तथा अन्य प्रकार के प्रविधिक कालिजों में इन विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने में हर प्रकार की सहायता तथा सुविधा प्रदान की जाये । देश के विभाजन से पूर्व पश्चिमी बंगाल में मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालिजों में २० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित थे परन्तु अब तो १०० के पीछे केवल एक ही स्थान रखा गया है । मुझे आशा है की सरकार

[श्री रामानन्द दास]

इस मामले पर विचार करेगी और इन जातियों की दशा सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये एक मंत्री नियुक्त किया जाये । अच्छा तो यही है कि प्रत्येक राज्य का मुख्य मंत्री स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में रख, ताकि वह सभी योजनाओं को स्वतन्त्रता से सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर सके ।

इन अभागे व्यक्तियों के पास ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस पर वे अपने रहने के लिये मकान बना सकें । उन्हें किराये पर रहना पड़ता है, मकान का स्वामी उन्हें जब चाहे निकाल बाहर कर देता है । इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इन्हें मकान बनाने के लिये भूमि प्रदान करे ।

सरकार उन्हें मकान बनाने के लिये कुछ वित्तीय सहायता भी दे, इस के बिना वे अपने मकान नहीं बना सकेंगे । इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि वह हरिजनों को वित्तीय सहायता दे कर उन की दशा सुधारने का प्रयत्न करे ।

दिल्ली नगर में हरिजनों की दशा अत्यन्त दयनीय है । बापा नगर और कस्तूरबा नगर इन दोनों बस्तियों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । इन बस्तियों में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन को एक व्यक्ति श्री करम चन्द सेवक राम द्वारा, जो कि इन बस्तियों का प्रभारी है, प्रपीड़ित किया जाता है ।

श्री सेवक राम श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का आदमी है और सभी मंत्री और अनुसूचित जातियों के आयुक्त श्रीमती रामेश्वरी नेहरू से डरते हैं और इसीलिये कोई भी इस श्री सेवक राम के विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस नही करता है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस धांधले बाजी की जांच करे और समुचित कार्यवाही करे ।

गत वर्ष दिल्ली राज्य सरकार को जो तीन लाख रुपये की रकम आवंटित की गई थी वह दिल्ली में योजना के कार्यान्वित न किये जाने के कारण व्यपगत हो गई । हरिजन कष्ट उठा रहे हैं और अनुदान व्यपगत हो रहे हैं । मैं इस विधेयक को पारित करने के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं, परन्तु मुझे यह कहते दुःख होता है कि इस अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है । यहां तक कि इसे प्रकाशित तक नहीं कराया गया है जिस से कि अधिकारीवर्ग अपने कर्तव्यों को समझते । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जाय नहीं तो इस को पारित करना व्यर्थ ही रहेगा ।

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हजारी बाग—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : मैं यहां पर बिहार की ओर से खासकर संथाल परगने के आदिवासियों के द्वारा चुन कर आया हूं। हमारे बिहार के अन्दर सबसे ज्यादा आदिवासी संथाल परगने के इलाके में रहते हैं। वहां सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा हमारी संख्या है । अभी तक सरकार की ओर से जितनी मात्रा में भी मदद दी गई है वह हमारे यहां के आदिवासियों तक बहुत कम पहुंची है ।

गवर्नमेंट आदिवासियों को उठाने के लिये कई स्कीमें सोच रही है, लेकिन वह कहां तक सफल हो सकेगी यह मैं नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि जरा सा देखने से आप को पता चल जायेगा कि आदिवासी हमारे यहां के सब से ज्यादा पिछड़े हुए हैं । आज हिन्दुस्तान में जो हरिजन लोग हैं वह भी हम से ज्यादा शिक्षित हैं । अभी तक हमारे आदिवासियों की ओर आप का ध्यान नहीं गया है और जाये भी तो भी उन का अधिक भला नहीं हो सकता

क्यों कि वह लोग शिक्षित नहीं हैं । जब यहां ब्रिटिश राज्य था, तब उन्हों ने ही इसाई आदिवासियों को कुछ लिखाने पढ़ाने की कोशिश की थी, उस के अलावा हम को कभी भी कुछ सीखने या जानने का मौका नहीं मिला है । सेवा मंडल वगैरह जरूर हैं, लेकिन वहां भी हम को बहुत कम काम सीखने को मिलता है । वहां पर हम कोई भी सुविधा नहीं पाते हैं । वहां पर दो चार होस्टल जरूर हैं लेकिन उस में हम अपने घर से रुपया खर्च कर के कैसे पढ़ सकते हैं । आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार के अन्दर अभी भी हम आदिवासियों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है । जो कानून ब्रिटिश राज्य के जमाने में थे, वही कानून आज तक लागू हैं । कृषि के लिये वहां गरीब लोगों को रुपया दिया जाता है, लेकिन बिना घूस दिये हुए वह रुपया नहीं मिल सकता है । १५ तारीख को मैं ने रिपोर्ट की थी एक घूसखोरी मामले की उस की जांच पड़ताल हो रही है । वहां हर एक आदमी से कृषि ऋण रुपया बांटने वाला ५, ५ रुपया लेता है तभी जा कर रुपया देता है, बिना रुपये दिये हुए कृषि के लिये भी रुपया नहीं मिल सकता है । एक आदमी गुपी के कादर थामा ने कबूल किया कि मैं साहब को १०० रुपये दूंगा अगर मुझको ३०० रुपये मिल जांये । बल्कि रुपया बाद में दिया गया, १०० रुपया ले लिया । मामला तय हो गया । जब उस गरीब आदमी को २०० रुपये मिले तो उस ने निकाल कर १०० रुपये दे दिये, लेकिन आखिर में पता नहीं क्या सोच कर साहब ने ९० रुपयें वापिस कर दिये और १० रुपये ले लिये । जब ऐसी हालत है तो सुधार कैसे हो सकता है । हम लोगों को रुपया तो लेना ही होगा, लेकिन अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट के सामने ही हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म होगा तो हम इस तकलीफ को कैसे भूल सकते हैं ? जैसी आप की स्कीमें हैं, उन के मुताबिक अभी बहुत कम रुपया हमारे बिहार के अन्दर पहुंच पाया है । हमारे यहां

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

की जन संख्या कम से कम ५० लाख है, उनके लिये यदि आप २० लाख, १५ लाख या १२ लाख रुपया ही भेजें तो उस से हमारा क्या भला होने वाला है ?

हमारे यहां बहुत से ऐसे गांव हैं जो बाजार में नहीं हैं, गुफाओं में हैं, जंगलों में हैं । हमारे उप गृह मंत्री उस को देख भी चुके हैं । वहां आने जाने के अच्छे रास्ते नहीं हैं । वहां से आमदनी तो बहुत हो सकती है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, सभी कुछ वहां मिल सकता है । गवर्नमेंट तो इस सब के लिये स्कीम बनाती है लेकिन जो उस के अफसर लोग हैं जो कि वहां काम करते हैं उन्हों ने जंगल को बरबाद किया । इस साल तो वहां सत्तविहार में पानी भी बरसा नहीं होगा । ऐसी हालत में जो वहां के आदिवासी वगैरह हैं वह बहुत तकलीफ में पड़ गये । जब वहां के जंगल वगैरह इस तरह से खराब हो कर सूख जायेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारी मदद कैसे कर सकेगी, क्योंकि जंगलों के बरबाद हो जाने पर वह वहां से कुछ भी आमदनी नहीं कर सकेंगे ।

मैं तो आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को खास कर अपनी देख रेख में रखे । अब तक हम को स्टेट के संरक्षण में रखा गया है । अगर हम को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की देख रेख में नहीं लिया जाता तो हमारा उत्थान नहीं हो सकता है । वह लोग तो हमारे उत्थान की बात सोच ही नहीं सकते हैं । यह तो वही बात है कि जैसे स्टट गवर्नमेंट घूसखोरी को रोकने के लिये कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने से घूसखोरी घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है । इस तरह से घूसखोरी कैसे बन्द हो सकती है ?

आप को हम बता सकते हैं कि थोड़े दिन हुए जब आदिवासी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी के लिये गये तो उन से कहा गया कि तुम ५० रुपये लाओ तब तुम्हें रखा जायगा ।

[श्री हेमब्रोम]

वे लोग हर तरह से इंस्पेक्टर और कर्मचारी सर्किल की जगह के लिये फिट थे और वे अच्छी तरह से काम भी चला सकते थे लेकिन फिर भी उन को नौकर रखने के लिये यह कहा जाता है कि तुम ५० रुपये लाओ तभी तुम्हें रखा जायगा । इस तरह का जुल्म हम लोगों के साथ हो रहा है और ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और न ही हमारी कोई सुनवाई होती है । हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारी गरीबी तभी दूर हो सकती है जब हमको नौकरी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में रखा जाय । जो जगहें हमारे लिये रिजर्व की गई हैं वहां पर हम को नहीं लिया जाता है और उन जगहों पर दूसरे आदमियों को रख लिया जाता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो घूसखोरी चल रही है इस को बन्द किया जाय और जो जगहें हमारे लिये सुरक्षित रखी गई हैं वे हमें दी जायें ।

अब मैं क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उस की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जो रुपया दिया जा रहा है स्कालरशिपस वगैरह के लिये, उस का बहुत बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन मिशनरीज जिन लोगों को चाहती हैं दे दिया जाता है । इस का नतीजा यह होता है कि जो आदिवासी बच्चे हैं उन को बहुत कम दिया जाता है । हम चाहते हैं कि हमारा रुपया अलग कर दिया जाय और उन को जो आप देना चाहते हैं उस को भी अलग कर दिया जाय । आप अगर उन को ज्यादा रुपया देना चाहते हैं तो आप दे दें, हमें इस में कोई एतराज नहीं है लेकिन इतना आप जरूर कर दें कि उन का रुपया अलग रहे और हमारा अलग रहे ।

अब मैं जो प्रचार इन मिशनरीज द्वारा किया जा रहा है उस को तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो प्रचार यह लोग कर रहे हैं उस का बहुत बुरा प्रभाव आदिवासी लोगों पर पड़ रहा है । यह लोग तो शिक्षित हैं और इन लोगों को लालच दे कर इन का धर्म परिवर्तन कर देते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां यह लोग प्रचार करते हैं उन जगहों पर दफा १४४ लगा दी जाय ताकि इन का प्रचार बन्द हो सके । साथ ही साथ जो भी उपाय इस प्रचार को रोकने के लिय आप कर सकते करें । ये लोग फारवर्ड हैं और हम लोग बैकवर्ड हैं और चूंकि हम बैकवर्ड हैं इसलिये ये लोग हमें फारवर्ड बनाने का लालच देकर हमको कनवर्ट कर लेते हैं । यह चीज़ बन्द होनी चाहिये और गवर्नमेंट को इस चीज को रोकने के लिये विशेष उपाय करने चाहियें । हम लोगों को स्कालरशिप बहुत कम दिये जा रहे हैं और जिस हिसाब से दिये जा रहे हैं उस हिसाब से किस तरह हम जल्दी शिक्षित बन सकते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन की तादाद बढ़ाई जाय ।

हमारे यहां एक और बांध बनाया जा रहा है और उस के कारण ५०,००० आदिवासियों के खेत वगैरह पानी में डूब गये हैं । बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों को खेत के बदले खेत दिया जायगा और घर के बदले घर दिया जायगा । अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया है । फोस की झौंपड़ियां बना कर हम लोग रह रहे हैं । इस से फायदा तो बंगाल गवर्नमेंट को होगा और मुसीबत हम लोगों पर आ पड़ी है । हम को जमीन भी नहीं मिल रही है और न ही मकान मिल रहे हैं ।

इसी तरह से मैथोन डैम यहां पर बनाया जा रहा है । इस डैम के कारण भी कई आदिवासियों के खेत पानी में डूब गये हैं । इन लोगों को अभी तक खेत नहीं दिये गये हैं और न घर दिये गये हैं । हम कहते हैं कि आप ने यह स्कीम तो बना ली कि इस डम को बना दिया

जाय लेकिन आपने यह स्कीम नहीं बनाई कि इन को ठीक तरह से बसाने का और इनको जमीन देने का इंतजाम भी आप करें । इसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है । इस तरह से इन गरीब लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और इसको रोकने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि यह काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिये ।

हम चाहते हैं कि हमारे भलाई के कामों की देख भाल यहां एक मिनिस्टर करे और उस को पूरे अख्तियारात हों ताकि हम उस के पास शिकायत कर सकें और वह उन शिकायतों को दूर भी करवा सके ।

अब जो क्षेत्रों को डेवेलप करने का काम है वह सरकार कांट्रेक्टरों द्वारा करवाती है और इस से आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता है । हम चाहते हैं कि यह काम कांट्रेक्टरों द्वारा कराये जाने के बजाय सीधे आदिवासियों से करवाये । इस से उन लोगों का भला होगा और उन को काम मिलेगा ।

हमारे यहां आदिवासी इलाकों में बीमारी बहुत ज्यादा है और उस बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नई किये जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि कितने ही आदमी और कितने हीं पशु इन बीमारियों के कारण मर जाते हैं । इस का भी वहां पर्याप्त इंतजाम होना चाहिये ।

सरकार जो रुपया आदिवासियों को मआवजे के तौर पर देती है वह उस रुपये को डाकखाने में जमा करवा देती है । यह लोग जब उस रुपये को निकलवाने जाते हैं तो उन से रिश्वत मांगी जाती है । जब तक वह रिश्वत नहीं देते हैं उन का काम नहीं होता है । इस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

अब मैं जो एग्रीकल्चरल लोन्ज इन आदिवासियों को दिये जाते हैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं । यह लोन्ज उन को मिलते नहीं हैं और उन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है । मैं चाहता हूं कि उन को जल्दी से जल्दी लोन दे दिया जाया करे ताकि वह लोग अपना काम चला सकें । अगर आप वीवर्ज को पैसा देंगे तो वह जो काम करता है उस को वह अच्छी तरह से कर सकेगा और इस से ग्रामोद्योग को भी काम मिलेगा ।

जो रिपोर्ट कमिश्नर साहब ने १९५२-५३ में दी थी उस पर कोई एक्शन नही लिया गया है । में चाहता हूं कि उस पर जल्दी एक्शन लिया जाय ।

एक बात में उन खतों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो आदिवासियों ने अपनी मेहनत से बनाये हैं । उन का बदले पट्टा नहीं दिया गया है । जब अफसरों के पास दरख्वास्त दी जाती है तो वे कहते हैं कि आप यहां पर नहीं बना सकते । सेटलमेंट एक्ट तो खत्म हो गया और डूब भी गया लेकिन फिर भी उन को कहा जाता है कि पहाड़ पर जा कर खेत बनाओ और पत्थरों पर जा कर खेत बनाओ । तब वे गरीब आदिवासी लाचार हैं ।

क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में और उन की एक्टिविटीज को देखने के लिये मध्य प्रदेश के सिवाय कहीं भी कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है । मैं चाहता हूं कि हर प्रान्त में ऐसे बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें ....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री हेमब्रोम : एक दो मिनट और दीजिये .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही १३ मिनट ले लिये हैं । उन्हें अब समाप्त

[सभापति महोदय]

करना चाहिये । अगले सदस्य श्री वीरस्वामी बोलें ।

श्री वीरस्वामी : अनुसूचित जाति आयुक्त ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या काग हन अध्ययन किया है और अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । हमारे वर्तमान गृह-कार्य मंत्री की सहानुभूति भी इस वर्ग की ओर है । सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दीं हैं उन के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । इस समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अभी भी उपेक्षापूर्ण है यह मैं बिना संकोच के कह सकता हूं ।

सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये कोई गंभीर कार्यवाही नही की है । १९५३ का प्रतिवेदन आज आठ महीने २० दिन बाद सभा के समक्ष रखा क्या है, यही एक बात मेरे कथन की पुष्टि करती है । अभी तक सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कुछ भी नही किया है, राज्यों ने इस सम्बन्ध में कोई उत्सकता नही दिखाई है । उन्होंने तो मांगी गई सूचना और जानकारी तक नहीं दी है । आयुक्त ने केन्द्र में तथा राज्यों में एक पृथक् मंत्रालय खोले जाने की सिफारिश की है पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने कानों में तेल डाले बैठी हैं ।

केवल बिहार , मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य भारत ने अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ पृथक् विभाग खोले हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य राज्यों का दृष्टिकोण इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है । इस अवधि में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ क्या किया गया है यह मैं सरकार से जानना चाहता हुं ।

अनुसूचित जातियों के सदस्यों की समस्यायें केवल सामाजिक ही नहीं हैं, वह आर्थिक भी हैं । वह घोर दारिद्र में डूबे हुए हैं । अस्पृश्यता यद्यपि संविधान के द्वारा अपराध घोषित कर दी गई है पर तो भी राज्यों ने इस सम्बन्ध में पारित किये गये विधान अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू तक नहीं किया है । मेरा सुझाव है कि इस के लागू करने के लिये एक विशेष पुलिस बल संगठित किया जाये । कुछ राज्यों में मद्य निषेध के लिये विशेष पुलिस बल हैं परन्तु अस्पृश्यता निवारण के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है । जहां तक सामाजिक अनर्हताओं का सम्बन्ध है आज भी उन्हें अनेक अनर्हताओं का सामना करना पड़ रहा है । तंजौर जिले के प्रतापर्म-पुर में एक हरिजन विद्यार्थी को केवल चप्पल पहनने के अपराध पर पीटा, इस घटना की शिकायत श्री जगजीवन राम और डाक तथा तार विभाग के महा निदेशक से की गई परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस प्रकार की घटनायें एक नहीं अनेकों हैं, परन्तु शिकायत किये जाने पर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । अनुसूचित जातियों का आज भी अपमान किया जाता है, उन के घर जलाये जाते हैं और उन को प्रत्येक सभव उपाय से प्रपीड़ित किया जाता है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है, वह अब अपना भाषण बन्द कर दें । यदि प्रपीडन की कोई घटनायें उन्हें ज्ञात हैं तो वह माननीय उपमन्त्री को उन से अवगत करा दें, वह उन की समुचित जांच करायेंगे ।

श्री वीरस्वामी : मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : सुझाव तो दिये जा चुके हैं, इसलिये माननीय सदस्य अपना स्थान

ग्रहण करें। मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को और अधिक समय नहीं दे सकता हूं। अब श्री उइके अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री उइके (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अभी तक हमारे हरिजन भाइयों की काफी स्पष्ट समस्यायें इस सदन के सामने आती रही हैं और हम आदिवासियों की भी थोड़ी सी समस्यायें सदन के सामने आई हैं। सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि आदिवासियों की तकलीफें किस प्रकार की हैं किन्तु इस का सही चित्र आदिवासी सदन के सामने नहीं रख सकते हैं। इस का कारण यह है कि उन में उतना ज्ञान नहीं है। वह तो हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे इस मुहकमे को ऐसे व्यक्ति के अधीन कर दिया गया है जिस ने ठक्कर बापा के साथ रह कर इस काम का शिक्षण प्राप्त किया है और जो हमारे दुखों को अच्छी तरह से समझते है। उन्हों ने अपनी जो भी रिपोर्ट आज तक पेश की है उन में वे सारी शिकायतें लिखी हैं जो कि हम कर सकते थे। जिस जिस स्थान पर वे गये और उन को वहां जो भी शिकायत मालूम हुई उन्हों ने उस को अपनी रिपोर्ट में लिखा है। आप ने जो इस विभाग में रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तरों में भी जो असिस्टेंट कमिश्नर रखे हैं उन को अगर आई० सी० एस० अफसरों की सलाह से न रख कर श्रीकान्त जी की सलाह से रखा होता तो हमारी और भी ज्यादा उन्नति होती। इस समय मैं थोड़ी देर के लिये हरिजन भाइयों की समस्या को छोड़े देता हूं, केवल आदिवासियों की समस्याओं पर ही बोलूंगा। आदिवासियों की उन्नति का कार्य अत्यन्त कठिन है। जितना यहां उस को सरल समझा जाता है वह वैसा सरल नहीं है। अभी तो आप ने दस साल का समय दिया है। मगर मैं समझता हूं कि अगर आप इस में ५० साल और मिलायें तो भी इस काम के लिये कम है। यदि इस कठिन कार्य को हमारी सरकार करना चाहती है तो इस विभाग में श्रीकान्त जी की सलाह से ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये।

दूसरी बात मुझे उन आदिवासी मंत्रियों के विषय में कहनी है जो कि राज्यों में हमारा काम कर रहे हैं। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि हम चाहते थे कि हमारा काम करने के लिये आदिवासी मंत्री रखे जायें, पर अब हम देखते हैं कि ये आदिवासी मंत्री हमारा काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। उन की मिनिस्ट्री में कोई आवाज ही नहीं मालूम होती। अगर मैं यह कहूं कि वे तो मुंह देखी बात करते हैं तो अनुचित न होगा। इन मंत्रियों में अपनी कोई ताकत नहीं है, खाली पार्टी के सहारे चल रहे हैं। इन के रहने से हम को क्या लाभ हो सकता है। इन के रहने से सिवाय सरकार का पैसा खर्च होने के और कोई लाभ हम को नहीं हो रहा है। उल्टा इस का यह परिणाम होता है कि क्योंकि ये लोग हमारे नजदीकी हैं इस लिये इन के विरुद्ध हम कुछ कह नहीं सकते और हमारी जबान बन्द हो जाती है। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यदि आप को आदिवासी मिनिस्टर रखने हैं तो उन को किसी और विभाग के लिये रखें, पर हमारे काम के लिये तो आप जो मिनिस्टर नियुक्त करें उसे श्रीकान्त जी की सलाह से करें।

अब अगली पंचवर्षीय योजना में जो कार्य होने वाला है उस में आदिवासियों के उत्थान का विषय भी शामिल है। चाहे हम कुछ ज्यादा न समझते हों पर सरकार को यह चाहिये था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के लिये क्या क्या किया जाये इस बारे में पार्लियामेंट और असेम्बली के आदिवासी सदस्यों की राय लेती। लेकिन सरकार ने अभी तक इस विषय में हम लोगों की राय नहीं ली है।

[श्री उइके]

हम जो यह शिकायत करते कि आदिवासियों से सम्बन्धित दफ्तरों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह इस कारण नहीं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस लिये ऐसा कर रहे हैं कि यदि उन विभागों में भी आदिवासियों को नहीं लिया जायेगा जिन में आदिवासियों के लिये काप होता है तो फिर उन को किस विभाग में लिया जा सकता है। मेरे प्रदेश में आदिवासियों के सम्बन्धित मुहकमे में ३२ क्लर्क काम करते हैं लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि उन में एक भी आदिवासी भाई नहीं है। अगर एक दो आदिवासी भाई नमूने के तौर पर ही रख लिये जाते तो अगर उन में कुछ कमी भी होती तो कुछ समय बाद वह हट जाती और वह सवर्णों की तरह एफिशियेंसाबित होते और हमें कहने को भी हो जाता कि भाई देखो आदिवासियों को हम ने नौकरियों में स्थान दिया है भले ही वह दो ही क्यों न हो।

राज्य सरकार जो स्कालरशिप्स मंजूर करती है उसकी ओर हमारे कमिश्नर साहब तथा सरकार का ध्यान विशेष तौर पर खींचता हूं और आदिवासियों की भलाई के लिये स्टेट्स में कोई महत्व का काम किया जाता है तो यह स्कालरशिप्स देने का काम है। बाकी और भी कार्य चलते हैं लेकिन आदिवासियों को उन से कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता। यह स्कालरशिप्स स्टेट्स गवर्नमेंट्स के द्वारा दिय जाते ह और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं कि साल के अन्त तक मंजूर की हुई रकम नहीं मिली। इस तरह के कई केस मैं ने राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के पास भेजे कितने ही केस इस तरह के हमारे पास आये जो हम उन तक भेज नहीं सके, लेकिन ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं और मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें और यह प्रयत्न करें कि ऐसा भविष्य में न होने पाये।

एक दूसरी बात जिस की ओर शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर और सरकार को ध्यान देना है वह यह है कि हमारे राज्य में हालांकि हमारी अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या ५० लाख है जो कि मानी २४ लाख गयी। २४ लाख के अनुपात से पंद्रह फी सदी का रिजर्वेशन नौकरियों का दिया गया, अब हमारी सरकार ने यह किया है कि जो २४ लाख के ऊपर १५ फी सदी का रिजर्वेशन है, वह ५० लाख में बांटा जा रहा है। ऐसा कर के यहां पार्लियामेंट में यह दिखाया जाता है कि आदिवासियों को अधिक नौकरियां दी जा रही हैं। और जिन को कि ज्यादा इस मामले से वाकफियत नहीं है वह तो यही समझेंगे कि भाई २४ लाख को १५ फी सदी के अनुपात से नौकरियां दी गई थीं, वह पूरी हो गईं और वह बांटी जा रही हैं ५० लाख में। इसी तरह यह भी प्रचार किया जाता है कि सरकार करोड़ों रुपया आदिवासियों पर खर्च कर रही है और अभी हमारे एक माननीय भाई ने इस को कहा भी है कि आदिवासियों को सरकार से सहायता के रूप में कई करोड़ रुपये मिलते हैं लेकिन हकीकत में होता क्या है वह मैं आप को थोड़े में बतलाना चाहता हूं। हमारे राज्य में जनपद द्वारा जितने भी स्कूल चलाये जा रहे थे, उन से आदिवासियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। अब जो आदिवासियों के कल्याण का पैसा है उस के द्वारा सरकार अनुसूचित विभाग में के जनपद के सारे स्कूल चला रही है और उन पर आदिवासियों के कल्याण का पैसा खर्च हो रहा है। आदिवासी मुहकमे में जितने भी काम करने वाले हैं उन का करीब करीब सारा समय स्कूलों के बिल बनाने में और उनका निरीक्षण करने में

चला जाता है और आदिवासियों के लिये कोई और नया काम नहीं किया जाता है ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि भारत सरकार की तरफ से स्कालरशिप्स के बारे में जो स्टेटमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट में दिया है, उस की ओर मैं अपने उन सारे भाइयों का ध्यान आकर्षित करूंगा जो समझते हैं कि आदिवासी हमारे सनातन हिन्दू धर्म के एक अंग हैं, उन को इस स्टेटमेंट को देख कर पता चल जायेगा कि जो हमारा उन के साथ सलूक होना चाहिय वह नहीं हो रहा है । अगर वह हम आदिवासियों को अपने धर्म का एक अंग मानते हैं तो उन को हम को आवश्यक संरक्षण भी प्रदान करना चाहिये क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम किस मुंह से उन को अपने में बने रखने को कह सकते हैं और उन को अपना एक अंग मान सकते हैं । दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं । अगर आप इसी तरह उन के साथ उपेक्षा का बर्ताव करते रहे तो इस का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि आप उन को कोई दूसरा धर्म अंगीकार करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं जो कि सवथा अनुचित होगा । इस ओर हम हमेशा सरकार का ध्यान खींचते रहे हैं और आगे भी सदा खींचते रहेंगे कि भगवान के लिये ऐसी स्थिति न आने दीजिये और अपने इन अभागी और पिछड़े हुए भाइयों को अपने से जुदा होना का मौका नहीं दीजिये ।

इस शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के सफे ६६ पर विभिन्न राज्यों को जो स्कालरशिप्स दिये गये हैं, उन के आंकड़े दिये गये हैं । अगर आप आसाम, बिहार, त्रिपुरा और मनीपुर स्टेटों की आदिवासियों की जनसंख्या जोड़ दें तो वह ६१ लाख होती है और ६१ लाख आदिवासियों के लिये जो स्कालरशिप्स दी गई हैं उन को जोड़ें तो उन की संख्या १६५६ होती है और बाकी जितनी और स्टेट्स हैं उन की आदिवासियों की जन संख्या को जोड़े तो वह १३१ लाख होती है और उन के लिये स्कालरशिप्स का टोटल ५२६ होता है । अब शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में ८० फी सदी धर्म परिवर्तन हुए हैं । और आप जो स्टेटमेंट में आसाम और बिहार में जो सब से अधिक स्कालरशिप्स देखते हैं, आसाम में ६७६ और बिहार में ८६३, यह हमारे उन आदिवासी भाइयों को मिल रहा है जिन्हों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है । बिहार में ४० लाख आदिवासी हैं जब कि वहां पर हमने ६७६ स्कालरशिप्स दिये हैं, त्रिपुरा में जहां कि हमारे आदिवासियों की संख्या केवल २ लाख है वहां पर हम ने ३० स्कालरशिप्स दिये हैं और मणिपुर में जहां कि आबादी २ लाख है वहां पर ८७ स्कालरशिप्स दिये गये हैं। लेकिन आप देखिये कि उड़ीसा में जहां कि आदिवासियों की २७ लाख आबादी है वहां केवल ४६ लाख स्कालरशिप्स मिलते हैं और मध्य प्रदेश में जहां कि २४ लाख आदिवासी हैं वहां पर केवल ६१ स्कालरशिप्स मिले हुए हैं । इस चीज की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उस के लिये हम ने प्रार्थना भी की थी । हमारे राज्य में २२ जिलों में से १४ जिले ऐसे हैं जहां पर कि आदिवासियों का बहुमत है, वहां पर हम ने जिला सभायें कीं जिन में कि लाखों आदिवासी आये और उन्हों ने अपनी सभाओं में प्रस्ताव पास किये और उस प्रस्ताव को एक एक प्रति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और श्रीकान्त जी और अपने राज्य के राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा आदिवासी कल्याण मंत्री के पास और जो आदिवासी विभाग के डाइरेक्टर हैं उन सब के पास भेजी । जिस में प्रार्थना की गई है कि आये दिन जो हमारे लोगों में धर्म परिवर्तन होता रहता है, इस को रोकने का प्रयत्न किया जाये और उसके लिये हमने सुझाव दिया कि हमारे आदिवासियों के और धर्म परिवर्तित आदिवासियों के संख्या के अनुपात से संरक्षित नौकरियों में स्थान तथा स्कालर-

[श्री उइके]

शिप्स और अनुदान की रकम अलग कर दिये जायें। यह हमारी विशेष मांग थी। यह जो मांग हम ने उस प्रस्ताव में की थी उस का किसी मुहकमे से जवाब भी नहीं आया कि हमारी उस मांग पर ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमें जवाब मिला कि हमें आप का प्रस्ताव मिला है. . . .

डा० एम० एम० दास : क्या वे केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों के बारे में कह रहे हैं ?

श्री उइके : जी हां, केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों के बारे में ।

डा० एम० एम० दास : मेरा निवेदन है कि इस वर्ष और गत वर्ष प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उस छात्र को जो पात्र हों अर्थात् जिस के पिता की आय एक विशिष्ट राशि से कम हो छात्रवृत्ति दी गई है। छात्रवृत्तियां इसी आधार पर दी गई हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना): क्या वे इस आशा का विरोध करते हैं, कि जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं उन में से अधिकतर ऐसे हैं जिन्हों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है और वस्तुतः वे अनुसूचित आदिम जाति के नहीं हैं ।

श्री उइके : जितने आदिवासी हैं उन को स्कालरशिप्स उन की जनसंख्या के अनुपात से एलाट किये जायें और इसी तरह आदिवासी और धर्म परिवर्तित आदिवासियों को नौकरियों में भी जनसंख्या के अनुपात से रिजरवेशन दिया जाये । इसी तरह सेना में भी उन का कोटा पूरा किया जाना चाहिये । चार वर्ष पहले तक तो हालत यह थी कि हमारे आदिवासियों को नान मार्शियल रेस माना जाता था और उन को फौज में जगह नहीं मिलती थी। यह रिपोर्ट में फौज में आप कमांडर, मेजर और फर्स्ट क्लास के अफसर देखते भी हैं वह सारे हमारे आदिवासी वो कि अपना धर्म परिवर्तन कर के ईसाई बन गये, वे हैं। मैं ने हमेशा सरकार का ध्यान इस खतरे की ओर दिलाया है कि हमारे आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर के उन्नति कर लेते हैं और बड़े अफसर बन जाते हैं तो इस के लिये सरकार को चाहिये कि उनको खास रियायत दे और संरक्षण दे और उन की उपेक्षा न करे जिस से वह अपने धर्म में बने रहें और हिन्दू धर्म का एक अंग बने रहें। मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय मेरी इन चन्द एक बातों पर ध्यान देंगे और जो जरूरी कार्यवाही है उस को करेंगे ।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां): माननीय सभापति जी, शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की जो दो रिपोर्टें यहां पर एक साथ विचार करने के लिये रक्खी गई हैं उन पर हमारे बहुत से दोस्तों ने अपनी अपनी बातें सुनाई हैं ।

मैं भी बहुत संक्षेप में अपने विचार कुछ उस के बाबत आप के सामने रखना चाहता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वह हरिजन और आदिम जाति जिस ने हिन्दुस्तान को खड़ा किया था वह जाति कितने ही वर्षों से उपेक्षित पड़ी है और देशवासियों ने सवर्णों ने उन्हें अपने से अलग सा डाल दिया है। उन को शिक्षा नहीं दी गई । उन के सारे कार बार को खत्म कर के, उन से सेवा तो ज्यादा ली, लेकिन उन को जो सत्संग देना चाहिये था, जो ऐजुकेशन देनी चाहिये थी, वह नहीं दी गई । पूज्य महात्मा गांधी के आने के बाद हमें भी कुछ हौसला हुआ कि हिन्दुस्तान में जो हमारे एक चौथाई आदमी हैं उन का भी कुछ उद्धार होगा। उन्होंने आते ही इस देश में यह एलान किया कि

"शूद्रो पदाभ्याम्" हरिजन समाज के पैर हैं ।

जिस जाति का पैर नहीं होता वह जाति कैसे टिक सकती है ? मकान बना तो बिना

फाउन्डेशन के मकान कैसे रह सकता है ? तो हिन्दुस्तान के यह आदिवासी और हरिजन हिन्दुस्तान के पैर हैं और उस पर यह सवर्ण जाति टिकी हुई है । इस सरकार के द्वारा इन जातियों के लिये जो कुछ भी किया जाय, ज्यादा से ज्यादा किया जाये वरना वह ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । सरकार को चाहिये कि अपने रुपये पैसे का अनुमान वह गिनती में न करे या कि उस ने इतने आदिमियों को नौकरियां दे दीं, इतनों को स्कालरशिप्स दे दिये । हमारे डाक्टर साहब ने अभी बतलाया कि एक एक हरिजन और गिरिजन के लड़के को हम स्कालरशिप देते हैं। देते होंगे। लेकिन पास हो जाने के बाद चाहे वह लड़के डबल ग्रेजुएट ही क्यों न हों, धक्के खाते हैं और उन को नौकरियां नहीं मिलतीं । मैं गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र से यहां आया हूं । हमारी सौराष्ट्र सरकार ने अपने यहां यह कर रक्खा है कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाये तब तक और किसी को उन के स्थानों पर न लिया जाये । अभी हमारे ही आश्रम में पढ़ा हुआ एक फर्स्ट क्लास लड़का था, उस को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया । सारे गुजरात भर में यह शोर मच गया कि हरिजन को सौराष्ट्र सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया । आप कोई अच्छी जगह देते हैं तो हमारे लोगों में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि पढ़ने के बाद हमारे लड़के बड़े बड़े स्थानों पर जा सकते हैं और अब तक हमारे माता पिताओं ने जो देश की सेवा की है, एजुकेशन मिलने के बाद हमारे बच्चे उन से भी अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे, लेकिन ऐसा मौका दिया जाये तब न ?

हमारी मिलिटरी में जैसे महारों और चमारों की पल्टनें थीं, अभी हमारे भाई ने कहा कि भले ही उन का मगज खुला हुआ न हो, लेकिन उन का शरीर खुला होता है । वह हट्टे कट्टे आदमी मिलिटरी में जा कर देश की बहुत सेवा कर सकते हैं । कम से कम पुलिस में तो, जिस में हमारे लोगों को बहुत कम लिया जाता है और लिया भी जाता है तो उन को किसी न किसी तरह से वहां से निकाल दिया जाता है, मैं ने २५ आदमियों को भेजा, लेकिन हमारे जो बड़ी जातियों के भाई वहां बैठे हुए हैं, वह उन के नुक्स बताते हैं कि आज रात की नौकरी में यह शख्स सो गया था या इस तरह का उल्टा व्यवहार किया था, और इस तरह की बातें कह कर और झूठे इल्जाम लगा कर डिसमिस कर देते हैं । आज एक जगह दे दी, लेकिन बाद में बड़ी सफाई से वहां से हमारे आदमी को निकाल दिया जाता ह । यह ठीक बात नहीं है । हमारे लिये जब पूना पैक्ट हुआ तो पूज्य बापू के सामने हमारे माननीय स्वर्गीय पंडित मालवीय जी ने सारे देश की ओर से एक प्रतिज्ञा की थी कि इन हरिजनो को हम अपने गले लगायेंगे, और उन के प्रति जो भेद भाव लोग रखते हैं, उस को सारे देश से मिटा देंगे । इस के बाद बापू ने अनशन छोड़ा था । उस प्रतिज्ञा को कई वर्ष हो गये, और उस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों की मदद से स्वराज्य लिया है । कोई कहे कि यह बेचारे हरिजन और गिरिजन, तो यह हरिजन और गिरिजन बेचारे नहीं हैं, हम भी परमात्मा के सब से छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों पर माता पिता का प्रेम सब से ज्यादा होता है। हमें चाहिये कि जो हमारे खास बड़े भाई सवर्ण मित्र हैं वह हमारा ख्याल करें । हम आप की कृपा से या अपनी गरीबी के बहाने से आप से कुछ नहीं लेना चाहते हैं, हम तो अपना भाग लेना चाहते हैं । जिन हरिजनों और गिरिजनों ने देश की आजादी के मार्ग में हजारों की तादाद में जेलें भर दी हैं, मैं अपने गुजरात की ओर से तो कह सकता हूं कि वहां स्वराज्य का झंडा इन्हीं हरिजनों के हाथ में था । पता नहीं कितने हरिजन जेलों में गये, कइयों ने वहां मार भी खाई, कई हिन्दुस्तान की आजादी के लिये मरे भी।

[श्री एम० बी० वैश्य]

स्वराज्य में इतनी कुर्बानी हरिजनों ने की है तो जब उस का हिस्सा बांटना है तो हम को भी हमारा भाग देना चाहिये। अगर आप उस से अधिक दे दें तो यह आपकी उदारता होगी, लेकिन कम से कम जो आप ने निश्चित किया है कि हर एक मिनिस्ट्री में हम १२ परसेंट कम से कम देंगे, हालांकि अभी तक दिया नहीं १ परसेंट भी, वह तो दें। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हम लोग इतने लायक नहीं हैं। हमारे लड़के डबल ग्रेजुएट हैं, इस से अधिक और क्या लियाकत चाहिये? कभी कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे अन्दर जो ऐटिकेट चाहिये वह नहीं है। ऐटिकेट होता कैसे, हजारों वर्षों से तो हम आप से दूर हैं। यही नहीं मद्रास के कई एक भाई ने कहा कि अगर कोई ग्रेजुएट हरिजन भी पोस्ट आफिस जाता है तो उस को हरिजन होने की वजह से पीटा जाता है। हमारे जाटव वीर जी ने बताया कि हमारे जो जुलूस निकलते हैं, उनको भी मारते हैं, बरातों को मारते हैं, घोड़ों पर नहीं चढ़ने देते हैं, मिठाई जो घी की होती है वह नहीं खाने देते, अगर हमारे घर अच्छे हैं तो उन को गिरा दिया जाता है। यह तो दशा आज हमारे देश में हमारी है, इस को मिटाने के लिये आप को बहुत कुछ करना होगा। इस लिये नहीं कि हम वैसे ही बैठे हुए हैं, अब हमारे नौजवान पढ़ते भी हैं, तैयार भी हो रहे हैं। पहले जो हमारे बुड्ढे आदमी थे, वह कहते थे कि चाहे आप हमारे चार जूते भी मार लें, लेकिन हमें जूते वापिस दे दें। अच्छा, भाई साहब, हम तो बुड्ढे हो गये, लेकिन अब हमारे नौजवान दावे के साथ कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, हमारे साथ तुम को न्याय का बर्ताव करना होगा।

तो अब मैं बहुत बातें न कहते हुए थोड़ी सी बातें आप की सेवा में रखना चाहता हूं कि आप को क्या करना चाहिये। हमारे श्रीकान्त भाई जो इस डिपार्टमेंट के खास आदमी हैं, वह हमारे पूज्य बापा के शिष्य हैं, कई वर्षों तक मैं भी उन का तथा गांधी का शिष्य रहा हूं। मैं थोड़ी सी बातें ही अब आप के सामने रखना चाहता हूं। हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत सी और बातें रक्खी हैं। हरिजन और गिरिजन संसार से बहुत दूर हैं। आज हरिजन ज्यादा संख्या में और गिरिजन थोड़ी संख्या में हैं। हरिजन ज्यादा हैं और उन्हीं के व अन्य देशवासियों के बल पर आजादी जंग छिड़ी थी। लेकिन कई वर्षों से हमें अलग किया हुआ है। तो मैं अपनी सरकार के चरणों में यह बात रखता हूं कि अस्पृश्यता निवारक विधेयक तो हम ने पास कर दिया, सारी दुनिया में यह ढ़ंढोरा पिट गया कि हिन्दुस्तान की सरकार ने अपने यहां से अस्पृश्यता को दूर करने के लिये विधेयक पास किया है। हां, विधेयक जरूर पास हुआ है, लेकिन कई मेरे मित्रों ने यह शिकायतें की कि दूर दूर तक के गांवों में उस का नाम निशान तक नहीं पहुंचा कि कौन सा विधेयक किस पार्लियामेंट ने पास किया। तो इस का प्रचार हमारे मंच पर से, हमारे पत्रों के द्वारा और वर्तमान पब्लिक के द्वारा सारे देश में हो कि इस विधेयक पर कड़ा अमल किया जायेगा।

बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार कितना करे, अरे हृदय परिवर्तन करो। हृदय परिवर्तन करने वाले तो सिर्फ बापू थे और पूज्य विनोबा भावे हैं, वह बड़ी बातें करने के लिये हैं। मैं तो यह विनती करता हूं कि जो हमारे सदस्य और साथी यहां बैठे हुए है वह जिस कान्स्टिटुएन्सी से आये हैं वहां पर लाखों की तादाद में आदमी रहते हैं, वह कृपा कर के अपनी कान्स्टिटुएन्सी के लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें। जो यहां कहते हैं वह पहले अपने घर से तो करने की कोशिश करें। पहले वह अपने घर में करना शुरू करें। फिर यहां आ कर कहें। लेकिन घर में तो मां नाराज हो जायेगी

कि तू हरिजन हो गया है। तो भी घरों में से भी अस्पृश्यता नहीं गई है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर-सरकारी संस्थायें और समाज सुधारक लोग पहले पबलिक में इन चीजों पर अमल करें। हृदय परिवर्तन की बात जो कही जाती है तो जो हमारे आफिसर्स लोग हैं, जिन को हम गण-पति कहते हैं, वह गणपति अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो जायें तो सब कुछ हो सकता है। कई बार तो पबलिक सर्विस कमीशन में ऐसा होता है, जैसा कि हमारे बर्मन साहब ने बताया, कि हमारे लड़कों की यह दशा है कि वह कमीशन में नहीं पास हो सकते, इसलिये नहीं लिये जाते। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से आदमियों को लेती है तो वहां तो कम से कम १२ परसेंट लिये जायेंगे।

तीसरी बात यह है कि सारे देश का जो आधार है, वह हमारी खेती बाड़ी है, ९० परसेन्ट हरिजन आज खेती में लगे हुए हैं। उन के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। वह तो मजदूरी करने के लिये हैं। मजदूरी भी उन को ठीक ठीक नहीं मिलती है। इन खेतिहर मजदूरों को कितनी मजदूरी मिले यह भी हमारी गवर्नमेंट अभी तक तय कर नहीं पाई है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो वेस्ट लैंड्स पड़ी हुई हैं, जो बंजर जमीनें हैं, अगर वह जमीनें इन हरिजनों को दे दी जायें तो वे लोग अपनी रोजी चला सकते हैं। कहा तो यह जाता है कि यह गोचर जमीन है और इस पर पशु चरते हैं। पशु तो चरते ही रहेंगे लेकिन हरिजन व गिरिजन मनुष्य हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी जमीन उनको दे दी जाये। उस को ठीक बना कर वे लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे और देश में अनाज की पैदावार को भी बढ़ायेंगे। मैं गुजरात से आता हूं। हमारी बम्बई सरकार ने बहुत सी वेस्ट लैंड हरिजनों को दे दी। जब ग्राम्य की जनता और उन के अधिकारियों को पता लगा तो उन्हों ने कलेक्टर से रिपोर्ट करवा दी कि यहां पर तो गोचर भूमि की कमी है। पांच पांच और सात सात साल हो गये हैं उनको यह जमीनें दिये और उन्हों ने इन जमीनों को ठीक ठाक भी बना लिया है और अब उन से यह जमीनें वापस लेने की बात हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि यह जमीनें उन के पास रहने दी जायें और दूसरी जगहों पर जहां पर बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं वह भी हरिजनों में बांट दी जानी चाहियें। गैर-सरकारी हरिजन और बनवासी जो संस्थायें हैं उन को प्रान्तीय सरकारों से तो सहायता मिलती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इन को सहायता दी जाये। जो मदद उन को आजकल प्रान्तीय सरकारों से मिल रही है वह बहुत कम है और उस से उन का गुजारा नहीं होता है और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार यहां से उन को और ज्यादा सहायता दे।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात में एक बात कहीं जाती है और मैं उस का जिक्र यहां पर कर देना उचित समझता हूं। हमारे होम मिनिस्टर साहब जो कि यू० पी० से आते हैं वहां पर उन्हों ने बहुत ही अच्छे काम किये हैं और हरिजनों की भलाई के कामों में उन्हों ने खास दिलचस्पी ली है। अब वे केन्द्रीय सरकार में आ गये हैं। तो गुजरात में ऐसी कहावत है कि ननीहाल में जन्म होता हो परोसने वाली माता हो तो फिर बच्चे कैसे भूखे रह सकते हैं। पंत जी जो यहां पर होम मिनिस्टर हो कर आये हैं, वह हमारी माता बन कर आये हैं और उन के द्वारा बांटे जाने में हम कैसे भूखे रह सकते ह। यह बच्चे भूखे नहीं रहेंगे यही आशा है। हमारे दातार साहब जी भी कई सालों से यह काम कर रहे हैं। उनकी दातारी भी, मुझे उम्मीद है, हम गरीबों पर ठीक ठीक चलती रहेगी। यह धर्म का काम है, हम गरीबों पर ठीक ठीक चलती रहेगी। यह धर्म का काम है, देश की

[श्री एम० बी० वैश्य]

भलाई का काम है, गरीबों को उठाने का काम है, हम सब को मिल कर इसे करना चाहिये।

सभापति महोदय : कल चर्चा जारी रहेगी।

पांडिचेरी विधान-सभा

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : पहली तारीख को तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ का माननीय मंत्री ने बड़ा असंतोष-जनक उत्तर दिया था कि पांडिचेरी में नव-निर्वाचित सभा केवल सलाहकार निकाय है जिसके संकल्पों को यदि वहां के मुख्य आयुक्त चाहें तो भारत सरकार की अनुमति से रद्द कर सकता है। और उस सभा की कोई विधायिनी शक्तियां नहीं हैं तथा वहां पुराने फ्रांसीसी नियमों का प्रशासन होता है, और वहां पर निर्वाचन नामावली संबंधी पुराने नियम ही प्रचलित हैं।

यह कोई तर्क संगत बात नहीं और पांडिचेरी की जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल है। यदि व्यापक मताधिकार पुरःस्थापित कर दिया जाता तो विधान-सभा की शक्तियों के द्वारा बहुत से परिवर्तनों की आशा की जा सकती थी। इस प्रश्न पर कि वहां परामर्शदाता क्यों नहीं चुने जाते, उपमंत्री ने फ्रांसीसी नियमों की विवशता प्रकट की है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मतदान के लिये पुरानी गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर हाथ उठाने की नई प्रणाली क्यों अपनाई गई है। फिर उपमंत्री ने चालाकी से कहा है कि वहां के लोगों को इस सरकार के उत्तम प्रशासन का लाभ प्राप्त है। अच्छा प्रशासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। वहां की जनता भी भारतीय जनता की सहायता से फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समाप्त कर पूरे अर्थों में स्वतन्त्रता चाहती है। इसलिये "उत्तम प्रशासन" का प्रयोग सर्वथा अवांछनीय है।

उपमंत्री ने नवीन निर्वाचनों के बारे में कहा कि वे कानूनन हस्तांतरण के उपरान्त होंगे और फिर कहा कि संभवतः इस मास की ७ तारीख को होंगे। भविष्य अनिश्चित है। इस समय तो हमें कुछ और ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है।

वहां की सभा ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अर्थात् कुछ नवीन करों को लगाने और भारत के कुछ अधिनियमों को वहां लागू करने तथा कुछ करों में संशोधन करने आदि के बारे में १६ संकल्प एकमत से पारित किये हैं जिन्हें वह वहां की जनता के लिये अति आवश्यक और लाभदायक समझती है, इसलिये भारत सरकार को उन का अनुमोदन करना चाहिये।

सभा द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों में विरोधी दल को सम्मिलित नहीं किया है, जिस की संख्या ३९ में से १६ है। वहां सभा के कार्य संचालन की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, और सभा में प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश राज्य में भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त था। इसलिये वहां के मुख्य आयुक्त और सभा को तुरन्त ही प्रश्न पूछे जाने का उपबन्ध करने का निदेश दिया जाना चाहिये। वहां के ८ करोड़ रुपये की प्रारूप योजना पर चर्चा करने की मांग भी इस तर्क पर कि यह अनुभवी आई० ए० एस० अफसरों द्वारा बनाई गई है, ठुकरा दी गई थी। वहां के आर्थिक जीवन, कतिपय सूती वस्त्र निर्माण मिलों में हड़तालों और तालाबन्दियों तथा न्यायपालिका के संचालन आदि के बारे में अनेक शिकायतें हैं। मैं इन बातों के तथ्य दे सकता हूं। एक मामले में केवल ४ घंटे में समस्त मामला सुना गया और ५ वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया था। इसलिये एक अनुभवी भारतीय न्यायाधीश को वहां की न्यायपालिका का प्रभार सौंपा जाना चाहिये। मैं उपमंत्री से निवेदन करता हूं कि

वह "उत्तम प्रशासन" के लिये कोई रचनात्मक कार्यवाही करें ।

परन्तु सब से बड़ी शिकायत यह है कि निर्वाचित होने पर भी वहां की सभा के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसे अन्य विधान सभाओं के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि अधिक प्रजातन्त्रात्मक फ्रांसीसी नियम क्यों लागू नहीं किये जाते । यह बड़ा उलझा हुआ मामला है । इसलिये मैं ने इस पर चर्चा करवाई है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): श्री एच० एन० मुखर्जी की मधुर वाणी सुन कर बड़ा आनन्द आता है । तथापि उन्होंने अपनी व्यक्तता की गलत सूचना और तथ्यों पर व्यर्थ में प्रयोग किया है । उन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उपेक्षित आदर्शों को अपनाने के सम्बन्ध में विख्यात है । मैं माननीय मित्र को विश्वास दिला सकता हूं कि आक्सफोर्ड के किसी भी विद्यार्थी ने पाण्डीचेरी में साम्यवादी दल के हित से अधिक उपेक्षित किसी बात के लिये संघर्ष नहीं किया है ।

उन्होंने पांडीचेरी की जनता की अनेक तथाकथित शिकायतों का उल्लेख किया है । किन्तु मैं हमारे और फ्रांस के बीच हुए करार की धारा संख्या २ को पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें कहा गया है कि इन बस्तियों के विभिन्न 'कम्यून' नगरपालिका शासन और प्रतिनिधि सभा संबंधी शासन वर्तमान रूप में जारी रखा जायेगा । मेरा निवेदन है कि हम इस धारा से वचनबद्ध हैं । चाहे हम पाण्डीचेरी में पूरी प्रजातन्त्रात्मक सरकार और प्रशासन की स्थापना के लिये कितने ही उत्सुक क्यों न हों, विधानतः हस्तांतरण होने तक हम ऐसा करने में विवश हैं । जब इस सरकार ने इस समस्त देश में पूरा प्रजातंत्रात्मक प्रशासन का आश्वासन दे रखा है, निस्सन्देह, उन तीन लाख लोगों के लिए, जो हाल ही मे हमारे क्षेत्राधिकार में आये हैं, पूरे प्रजातंत्र अधिकारों का इनकार करने का कोई हेतु विशेष नहीं हो सकता । किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि करार की वह धारा २, जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय संधि के रूप में पवित्र मानते हैं, हमें कतिपय कार्यवाहियां करने से रोकती हैं, जिन्हें हम निश्चय ही यथा शीघ्र करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में, जहां तक इस सरकार का संबन्ध है, हम ने विधानतः हस्तांतरण को शीघ्रता पूर्वक करने के लिए प्रत्येक संभव कार्यवाही की है, और सन्धि का प्रारूप पहले ही फ्रांसीसी सरकार के विचाराधीन है और मैं आशा करता हूं कि हम पाण्डीचेरी के प्रशासन में अत्यावश्यक परिवर्तन कर सकेंगे ।

माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने पाण्डीचेरी के सभ्य प्रशासन सम्बन्धी मेरे कथन का उल्लेख किया है । मैंने जो कुछ कहा है, मुझे उससे लज्जित होने का कोई कारण नही है, क्योंकि उनके अपने नेता श्री गोपालन ने कहाँ के मुख्य आयुक्त पुलिस के महा निरीक्षक तथा मुख्य सचिव के साथ बातचीत में वहां के प्रशासन की प्रशंसा की थी । उन्होंने कहा था कि वर्तमान निर्वाचन वातावरण तथा फ्रांसीसी शासन काल में प्रचलित वातावरण में बडा अन्तर है । उन्होंने इसे प्रशासन के लिये श्रेय का विषय बताया था । जब श्री गोपालन यह कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि यदि मैं आज भी पाण्डीचेरी के प्रशासन को सभ्य प्रशासन कहूं तो श्री मुखर्जी बुरा नही मानेंगे ।

मैं समझता हूं कि बात निर्वाचनों में श्री मुखर्जी के दल के पराजय से यह आलोचना आरम्भ हुई है । मैं मानता हूं कि श्री सुब्बैया बड़ा वीर योध्दा है किन्तु वह बुरी तरह हार गया है ।

यह कहा गया है कि हम फ्रांसीसी नियमों की उपेक्षा करत हैं । श्री मुखर्जी ने सरकार

[श्री अनिल के० चन्दा]

के परामर्श दाता के निर्वाचन के बारे में प्रजातंत्रत्मक फ़्रांसीसी नियमों का उल्लेख किया है। नियम यह था कि पांडीचेरी के प्रशासन में एक राज्य का मुखिया होता था—वह फ़्रास के शासन काल में राज्यपाल होता था, और आजकल मुख्य आयुक्त है और छः परामर्शदाता होते थे जिनमें से तीन अवश्य जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिये। यह हमारी शक्ति के अन्दर था कि हम सभा के तीन निवाचित व्यक्ति ले लें और तीन प्रशासन के मनोनीत सदस्यों को ले सकें, किन्तु हम वर्तमान करार के अन्दर रहते हुए वहां अधिक से अधिक प्रजातन्त्र लाने को उत्सुक थे और वहां पूरी प्रजातंन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली देखना चाहते थे, इसलिये हम ने निश्चय किया, अर्थात् भारत सरकार ने मुख्य आयुक्त को नामनिर्देशित सदस्यों को न ले कर समस्त परिषद् में निर्वाचित सदस्यों को लेने अर्थात सभा से ही छः निर्वाचित सदस्यों को लेने का अनुदेश दिया। और सांविधानिक उदाहरण के अनुसार मुख्य आयुक्त ने बहुमत वाले दल के नेता को छः नाम देने के लिये कहा और उस ने दे दिये। जब सभा पहली बार समवेत हुई तो कार्य सूचि में पहली मद सभा के स्थायी प्रधान का निर्वाचन था। मैं यह बता दूं कि फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार, सभा का सब से वयोवृद्ध सदस्य सभापति के निर्वाचन होने तक सभा के पहले सत्र का प्रधान होता था, और इस मामले में सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्री मुखर्जी के दल का सदस्य था, इसलिये उन्हों ने सभापति के निर्वाचन तक बैठकों का सभापतित्व किया। पाण्डीचेरी सभा के प्रक्रिया के नियमों की धारा ३९ के अनुसार सब मतदान खुला था, अर्थात खड़े हो कर या बैठ कर, किन्तु मतदान में व्यक्ति हों—मैं इस का ठीक अर्थ नही समझता, संभवतः इस का यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन गुप्त शला का के द्वारा होना चाहिये। श्री सुबैय्या ने सब से पहले यह संकल्प रखा कि सभापति का निर्वाचन खुले मतदान से होना चाहिये, गुप्त मतदान से नहीं। इस पर बहुमत के नेता ने कहा कि अभी सभा पूरी तरह संस्थापित नही हुई है क्योंकि तब तक स्थायी सभापति का निर्वाचन नही हुआ था, इसलिये उस ने सुझाव दिया कि इस अवसर पर सभा के कार्य संचालन के बारे में पुरानी प्रथा से भिन्न कोई काम नहीं किया जाना चाहिये, इसलिये उस ने कहा कि सभा के सभापति का निर्वाचन पुरानी प्रथा के अनुसार याने गुप्त शलाका द्वारा होना चाहिये। और श्री सुबैय्या का खुले मतदान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। निर्वाचन हुआ और सभा का एक व्यक्ति सभा का सभापति चुना गया।

फिर प्रशासन परिषद के छः सदस्यों के निर्वाचन का प्रश्न आया। सभा के सभापति ने कहा कि उस ने मुख्य आयुक्त से एक पत्र प्राप्त किया था जिस में लिखा था कि बहुसंख्यक दल के नेता ने परिषेदों के सदस्यों के सत्र में निर्वाचन के लिये छः सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये हैं और वह प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं। इस क्रम पर श्री सुबैय्या ने यह कह कर अपनी बात बदल दी कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया के नियम ३९ के अनुसार सारे ऐसे मतदान जिन में व्यक्ति समिलित हों, गुप्त मत द्वारा होने चाहियें। जब अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये यह चाहते हुए भी कि वह खुले मतदान द्वारा हो, उन्हों ने कहा कि इस मामले में यह नियम ३९ के उपबन्धानुसार गुप्त मतदान होना चाहिये।

कदाचित मेरे माननीय मित्र श्री एच० एन० मुखर्जी ने इन नियमों को नही पढ़ा है। नियम ५४ में उपबन्ध किया गया है कि यदि १२ सदस्य प्रस्ताव रखें और सदस्यों की बहुसंख्या उसे स्वीकार करले, तो विधान सभा की कार्य प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। और विधान सभाके नियमों

ने इस नियम ५४ के अनुसार बहुसंख्यक दल के नेता ने प्रस्ताव रखा था कि सभासदों का निर्वाचन खुले मतदान द्वारा होना चाहिये। उन्हों ने कहा था "यद्यपि हमें मुख्य आयुक्त का एक पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु मैं नहीं जानता कि इस सभा में इस की क्या मान्यता है, इसलिये मैं बहुसंख्यक दल के नेता के नाते पांडिचेरी सरकार के सभासदों के निर्वाचन के लिये ये नाम देता हूं।" और सभा अध्यक्ष तथा बहुसंख्या के नेता ने श्री सुबैया से कहा था कि वह अपने नाम दें। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, और बहुसंख्या दल के नेता द्वारा दी गई नामावली सभा के समक्ष रखी गई और नेता द्वारा दिये गये छः नाम बहुतमत से स्वीकार कर लिये गये।

सरकार के निर्वाचनों में और पांडिचेरी सभा की अन्य अनेकों समितियों के निर्वाचनों में हमारे द्वारा जो लोकतन्त्रवाद विरोधी ढंग अपनाने की बात कही जाती है उसकी सारी कहानी यह है।

श्री एच० एन० मुखर्जी द्वारा उल्लेखित अन्य मामले के बारे में कि समितियों के बनाने में, विरोधी दलों को एक भी स्थान नहीं मिला, और सारे स्थान बहुसंख्यक दल ने ले लिये हैं, प्रत्यक्ष है कि सभा के सदस्यों को यह कहना भारत सरकार का कार्य नहीं है कि वे मतदान कैसे करें या किस को मत दें। यह सर्वथा संभव है—और यह मेरी सूचना है कि बहुसंख्या के नेता की यह इच्छा हो कि इन समितियों के बनाने में विरोधी दलों का सहयोग मांगा जाये और वास्तव में उन्होंने सहयोग मांगा भी था।

परन्तु सभा की बैठक होने से पहिले, विरोधी दल के नेता और बहुसंख्यक दल के नेता अनौपचारिक ढंग से मुख्य आयुक्त से मिले थे। बहुमत के नेता ने सुझाव दिया सभा की प्रथम बैठक में तीन संकल्प प्रस्तुत किये जायें। प्रथम, भारत सरकार को बधाई देना और पांडिचेरी की जनता का भारत सरकार तथा भारत के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस महान् सहायता के लिये धन्यवाद देना जो उन्हें स्वतन्त्रता की लड़ाई में प्राप्त हुई थी। श्री सुबैय्या भारत सरकार को धन्यवाद देने का संकल्प तो रखने को तैयार थे, परन्तु भारत के प्रधान मंत्री का नाम संकल्प में सम्मिलित करने का घोर विरोध करते थे। द्वितीय संकल्प यह था कि पांडिचेरी विधान-सभा ने गोआ के लोगों के प्रति, उनकी स्वतन्त्रता की लड़ाई में, सहानुभूति प्रकट की और उन्हें पूर्ण सहायता देने का वचन दिया। श्री सुबैय्या चाहते थे कि उस संकल्प में यह और जोड़ दिया जाये कि भारत सरकार से गोआ में पुलिस कार्यवाही करने की प्रार्थना की जाये। तीसरा संकल्प था कि भारत सरकार से प्रार्थना की जाये कि वह फ्रांसीसी सरकार से विधिसिद्ध हस्तान्तरण के मामले पर यथा शीघ्र बात करें। यहां भी, श्री सुबैया ने कहा था कि यदि प्रशासन में मजदूरों के हितों, निवृत्ति वेतनों, अधिकारों आदि के संरक्षण के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह संकल्प का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि श्री सुबैय्या का घोर विरोध प्रथम संकल्प में हमारे प्रधान मंत्री का नाम सम्मिलित करने पर था, (अर्थात्, पांडीचेरी की जनता का भारत सरकार को उस सहायता के लिये, जो उन्हें अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई में मिली थी, धन्यवाद देना)। उससे सारी स्थिति बदल गई। उस के पश्चात्, मेरा ख्याल है कि बहुसंख्यक दल के नेता को यह महसूस हुआ कि वह विरोधी दलों के सदस्यों से किसी भी सहयोग या सहायता की आशा नहीं कर सकते। सम्भव है कि उस के पश्चात उन का दिल कठोर हो गया हो। जब विभिन्न समितियों के निर्वाचन हुए तब विरोधी दलों का कोई भी सदस्य उनमें न आ सका। प्रत्यक्ष है, यह अच्छा है या बुरा है, इस से हमारा कार्य

[श्री अनिल के० चन्दा]

नहीं है कि हम यहां से पांडिचेरी सभा के सदस्यों को कहें कि वे अपनी सभा में मतदान कैसे करें। श्री एच० एन० मुकर्जी ने भी प्रशासन के अध्यक्ष के हाथों में रक्षित अधिकारों का उल्लेख किया है। पहिले फ्रांसीसी प्रशासन काल में, यह पद राज्यपाल का होता था, आज कल यह पद मुख्य आयुक्त का है। उन्होंने उन १६ संकल्पों का उल्लेख किया जो सभा ने पारित किये हैं, जो जनता आदि के लिये लाभदायक होंगे, परन्तु उन्होंने पूछा था "मुख्य आयुक्त के हाथों में रक्षित असाधारण अधिकारों के बारे में क्या कहते हो?" जहां तक मुझे विदित है, मुख्य आयुक्त ने एक भी संकल्प अस्वीकृत नहीं किया है। यह ठीक है कि इस स्थिति में यह स्पष्ट आश्वासन देना मेरा कार्य नहीं है कि समस्त पारित संकल्प स्वतः ही मुख्य आयुक्त द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जायेंगे या नहीं। परन्तु यदि यह बहुत युक्तिपूर्ण प्रस्ताव है, तो भारत सरकार निश्चय ही पांडिचेरी सभा के ऐसे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेगी।

जहां तक पांडीचेरी प्रशासन का सवाल है, सारी कहानी यह है। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि हमने पांडीचेरी की जनता के उन लोकतन्त्रात्मक अधिकारों पर भी रोक लगा दी है जो उन्हें प्राप्त थे। इसके विपरीत, हमने प्रशासन को कड़ी हिदायतें की हैं कि वे यथासम्भव उस करार की सीमाओं में रहें जो हमने स्वीकार किया है, करार द्वारा लगाई गई सीमाओं में रहें, पांडिचेरी के प्रशासन को भारत के अन्य भागों के प्रशासन के समान बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिये।

निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में मैं यह कहूंगा कि श्री एच० एन० मुखर्जी के यह कहने से कि हम ने वयस्क निर्वाचन में वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया है जब कि फ्रांसीसी काल में कभी भी ऐसा निर्वाचन नहीं हुआ और यह भारत सरकार का अनुच्छेद २ की अपेक्षा करते हुए, कठोर हस्तक्षेप है, पता चलता है कि उन्हे ठीक सूचना प्राप्त नहीं है। पांडिचेरी में वयस्क निर्वाचन हुआ; केवल वहां शैक्षिक योग्यता की शर्त थी। हमने एक प्रकार का सर्व वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया है जैसा कि भारत के अन्य भागों में उसे अपनाया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री एच० एन० मुकर्जी स्वयं यह स्वीकार करेंगे कि निश्चय ही प्रगति की दिशा में एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम है। मैं यह भी बता दूं कि निर्वाचन नियमों के पारित होने के पूर्व हम ने निर्वाचन आयुक्त को पांडिचेरी भेजा। उसने सारे राजनीतिक दलों से काफी विचार-विनिमय किया, और श्री सुबैय्या के दल सहित अर्थात् श्री मुकर्जी के दल सहित सारे दलों का यह एकमत था कि सर्वत्र वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन हों। और जैसा कि मैं बता चुका हूं मेरे श्री ए० के० गोपालन जैसे व्यक्ति की भी बिना मांगी साक्षी है कि निर्वाचन बहुत भुक्त और उचित ढंग से किये गये।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, १६ सितम्बर १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।